VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material

www.visionias.in +91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD

विषय सूची

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति 7

1.1 बैंकिंग सुधार 7
1.1.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना 7
1.1.2 नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स 9
1.1.3 शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता-2016 10
1.1.4. कोर बैंकिंग से SWIFT को जोड़ना 10
1.1.5. RBI ने SDR, S4A वापस लिया 11
1.1.6 शाखा प्राधिकरण नीति 12
1.1.7. बैंक की उधारी दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना 12
1.1.8. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन 13
1.1.9 वित्तीय समाधान एवं जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017 13
1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक 14
1.3 विभेदीकृत बैंक 15
1.4 डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पॉर्टेन्ट बैंक 15
1.5 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को उधार से सम्बंधित मानक 16
1.6 पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री 17
1.7 ATM 17
1.8. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां 17
1.8.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 17
1.8.2 पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग 18
1.9 मुद्रास्फीति का मापन 19
1.10 मर्चेंट डिस्काउंट रेट 20
1.11 चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2018 21

2. वित्तीय बाज़ार 23

2.1. वित्तीय बाज़ार उपकरण 23
2.1.1 क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट 23
2.1.2 मसाला बांड 24
2.1.3. ग्रीन बॉन्ड 24
2.1.4. भारत-22 25
2.1.5 कमोडिटी ऑप्शन्स 26
2.1.6. सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 26
2.1.7 पी-नोट्स मानदंड 27
2.2 बाजार अवसंरचना संस्थान 27
2.3 अनुचित व्यापार आचरण पर मानदंडों की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन 28
2.4 शेल कंपनियाँ 28
2.5 वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) और वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA) 29

VISION IAS

3. राजकोषीय.....31

3.1. सरकार द्वारा राजस्व घाटा लक्ष्यीकरण का त्याग.....31
3.2 मध्यम-अवधि के व्यय की रूपरेखा का वक्तव्य (MTEF).....32
3.3. विनिवेश.....33
3.4. आर्थिक सलाहकार परिषद.....34
3.5. वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र.....34

4. कराधान.....35

4.1. वस्तु एवं सेवा कर.....35
4.1.1. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण.....36
4.1.2 GST ई-वे बिल.....37
4.1.3 वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय.....37
4.2 पूंजीगत लाभ कर नियम.....38
4.3. न्यूनतम वैकल्पिक कर.....38
4.4. प्रोजेक्ट इनसाइट.....38
4.5. द्विपक्षीय ट्रान्सफर प्राइसिंग पॉलिसी में रियायत.....39

5. बाह्य क्षेत्रक.....41

5.1. विश्व व्यापार संगठन का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन.....41
5.2. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग.....42
5.3. निवेशक-राज्य विवाद निपटान.....43
5.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.....43
5.5. भारत का वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति का भाग बनना तय.....45
5.6. विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा.....45

6. रोजगार और कौशल विकास.....47

6.1. संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ.....47
6.2. BPO संवर्धन योजना.....48
6.3. मजदूरी संहिता विधेयक 2017.....49
6.4. स्वैच्छिक बेरोजगारी.....49

7. समावेशी संवृद्धि और विकास.....51

7.1. SATH कार्यक्रम.....51
7.2. पूर्वोत्तर में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ.....51
7.3 . द्वीप विकास एजेंसी.....51
7.4. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना.....52
7.5 SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट.....53
7.6. किफायती आवास.....53
7.7. सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना.....54

8. कृषि और संबद्ध उद्योग.....56

VISION IAS

8.1. अनुबंध कृषि....56
8.2. किसानों की आय दोगुना करने....56
8.3. सम्पदा योजना....57
8.4. RKVY-रफ़्तार....58
8.5. ऑपरेशन ग्रीन्स....59
8.6. जैविक खाद्य पदार्थ....60
8.7. जूट-ICARE....61
8.8. कॉयर उद्योग....62
8.9. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष....63
8.10. डेरी क्षेत्रक....63
8.11. सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहन....64
8.12. भारत में मत्स्यन क्षेत्रक....65
8.13. खाद्य तेल आयात....66
8.14. हनी मिशन....67
8.15. नाबार्ड....67
8.16. किसान उत्पादक कंपनियाँ....68
8.17 कृषि लागत....68
8.17.1. दीर्घावधिक सिंचाई कोष....68
8.17.2. बीज उद्योग....69
8.17.3. ड्रिप सिंचाई परियोजना....69
8.17.4. उर्वरक क्षेत्र....70
8.17.5. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन....71
8.17.6.प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट (मूल्य अन्तराल भुगतान) योजना....71
8.17.7. ब्याज अनुदान योजना....72
8.17.8. ई-कृषि संवाद....72
8.18. कृषि बाजार....72
8.18.1. कृषि-उपज की बिक्री करने के लिए ई-रकम पोर्टल....72
8.18.2. एग्री-उड़ान....73
8.18.3. निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट [NWRs]....73
8.18.4. निवेश बंधु....73
8.19 कृषि शिक्षा....74
8.19.1.राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना....74
8.19.2. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट....75
8.20. कोडेक्स एलमेंटेरियस कमीशन....75

9. औद्योगिक नीति और संबंधित मुद्दे....77

9.1. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME SECTOR)....77
9.2. सेवा क्षेत्र में चैम्पियन क्षेत्रक....78
9.3 स्टार्ट अप से संबंधित पहल....79

VISION IAS

9.3.1. स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 79
9.3.2. स्टार्ट-अप इंडिया हब 80
9.3.3. स्टार्ट-अप संगम पहल 80
9.4. वस्त्र क्षेत्र 80
9.4.1. साथी योजना 80
9.4.2. वस्त्र उद्योग क्षेत्रक में क्षमता निर्माण के लिए योजना 81
9.4.3. राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना 82
9.5. चमड़ा उद्योग 82
9.6. पोत भंजक उद्योग 83
9.7. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 83
9.8. घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति 84
9.9. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 85
9.10. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक 86

10. अवसंरचना 87

10.1 सड़कें 87
10.1.1. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ 87
10.1.2. INAM-Pro+ का शुभारम्भ 88
10.1.3 केन्द्रीय सड़क निधि 88
10.1.4. राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री 89
10.1.5. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स 89
10.1.6. भारत सड़क आकलन कार्यक्रम 89
10.1.7. इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट [TIR] कन्वेंशन 90
10.2 रेलवे 90
10.2.1 रेल विकास प्राधिकरण 90
10.2.2. नई मेट्रो रेल नीति 2016 91
10.2.3 राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय 91
10.2.4. IROAF को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 92
10.2.5 स्फूर्ति एप 92
10.3 विमानन 92
10.3.1. उड़ान 2 92
10.3.2. भारत में विमानन क्षेत्रक की लेखापरीक्षा 93
10.4 बंदरगाह और जलमार्ग 94
10.4.1 बंदरगाह क्षेत्र 94
10.4.2. तटीय आर्थिक क्षेत्र 95
10.4.3. रो-रो फेरी सेवा की शुरूआत 95
10.4.4. जल मार्ग विकास परियोजना 96
10.5. इलेक्ट्रिसिटी 97
10.5.1. सौभाग्य योजना 97

VISION IAS

10.5.2 नेशनल पॉवर पोर्टल....98
10.6 लॉजिस्टिक क्षेत्र....98
10.7. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016....100
10.8. INVIT और REITS....100
10.9. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि....101

11. ऊर्जा....102

11.1. पनबिजली....102
11.2. पवन ऊर्जा....103
11.3. सौर....104
11.3.1 कुसुम....104
11.3.2. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI)....105
11.4 नाभिकीय विद्युत संयंत्र....105
11.5. कोयला....106
11.5.1 शक्ति नीति....106
11.5.2. कोयले का व्यावसायिक खनन....107
11.6. पेट्रोलियम....108
11.6.1. रणनीतिक तेल भंडार....108
11.6.2 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)....109
11.6.3. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र....111
11.6.4 प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा....112
11.7. खनिज....113
11.7.1. गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए मसौदा टेम्पलेट....113
11.7.2. राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा....114

12. रिपोर्ट/ इंडेक्स....116

12.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट....116
12.2. राज्य निवेश सम्भाव्यता सूचकांक....117
12.3. विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट/ सूचकांक....117
12.3.1. WEF का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक....117
12.3.2. समावेशी विकास सूचकांक....117
12.4. वर्ल्ड इकॉनमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स....118
12.5. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2018....119
12.6 लिवेबिलिटी इंडेक्स....119
12.7. वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक....120
12.8. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वेक्षण....120
12.9. अन्य रिपोर्ट....120

13. विविध....121

VISION IAS

13.1. उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018.....121
13.2. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016.....121
13.3. भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) 122
13.4. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं.....122
13.5. नेशनल CSR डेटा पोर्टल और कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल.....123
13.6. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर (IAIS) 123
13.7. दर्पण परियोजना.....123
13.8. भारतीय निर्देशक द्रव्य 124
13.9. ढोला सदिया पुल.....124
13.10. अजी बांध का उद्घाटन.....124
13.11. थिंक 20 टास्क फोर्स.....124
13.12. अनूगा 125

VISION IAS

1. बैंकिंग और मौद्रिक नीति

(BANKING AND MONETARY POLICY)

1.1 बैंकिंग सुधार

(Banking Reforms)

1.1.1. बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना

(Bank Recapitalisation Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसे सुधार एजेंडे हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क - **"उत्तरदायी और जिम्मेदार PSBs"** सहित प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए इस पूंजी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- PSBs की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि, बेसल III मानकों को पूरा करने हेतु आवश्यक पूंजी के कारण पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता हुई।
- सरकार द्वारा बैंकों को 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की गयी है। इसके द्वारा बैंकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तीन माध्यमों से प्रदान करने का निर्णय किया गया है: **1. सकल बजटीय सहायता (GBS): 8,139 करोड़ रुपए , 2. पुनर्पूंजीकरण बांड (Recap Bonds) के जरिए 80,000 करोड़ रुपए , 3. बाजार के माध्यम से : 10,312 करोड़ रुपए**
- सरकार ने बैंकों को पूंजी प्रदान करने हेतु दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: **गैर- त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (Non PCA) बैंक और त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) बैंक।**

त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) फ्रेमवर्क एक पर्यवेक्षी प्रक्रिया है जो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के कुछ निष्पादन संकेतकों के आधार पर जोखिम का अग्रिम आकलन करने का अवसर प्रदान करता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने **CRAR (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात, यह बैलेंस शीट की स्थिति को मापने का एक साधन है)**, NPA और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) के आधार पर ट्रिगर पॉइंट निर्धारित किये हैं। प्रत्येक ट्रिगर पॉइंट के आधार पर, बैंकों को अनिवार्य कार्य योजना का अनुपालन करना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त, RBI की विवेकाधीन कार्यवाही योजनाएं भी हैं
- PCA प्रारंभ होने के बाद, **बैंकों को महंगी जमाओं को नवीनीकृत या प्राप्त करने या** अपनी शुल्क-आधारित आय में वृद्धि करने हेतु कदम उठाने और नए व्यवसाय में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है। PCA का प्रारम्भ होना प्रत्यक्ष रूप से बेसल-III दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी आवश्यकता नियमों का अनुपालन करने से सीधे तौर पर संबंधित है।
- **बासेल III-** बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाने हेतु, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न द्वारा विकसित सुधारात्मक उपायों का एक व्यापक सेट है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्च 2019 तक **बेसल III मानदंडों** के अंतर्गत लाना है।
- विशेष रूप से, बेसल III द्वारा न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी को 4% से 4.5% तक और न्यूनतम टीयर-1 पूंजी को 4% से 6% तक बढ़ा दिया गया है।
- बैंकों की नियामक पूंजी (रेगुलेटरी कैपिटल) को टीयर-1 और टीयर-2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि टीयर-1 को कॉमन इक्विटी टियर-1 और अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी में वर्गीकृत किया गया है।
- कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी में इक्विटी उपकरण सम्मिलित होते हैं जिनमें विवेकाधीन लाभांश होता है

और उनकी कोई परिपक्वता अवधि भी नहीं होती है, जबकि अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी के अंतर्गत प्रतिभूतियां सम्मिलित होती हैं जो निम्न महत्व के ऋणों के अधीन होती हैं, उनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है और उनके लाभांशों को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

- टीयर-2 पूंजी के अंतर्गत असुरक्षित निम्न महत्व के ऋण सम्मिलित होतें हैं जिसकी मूल परिपक्वता अवधि कम से कम पांच वर्ष होती है।
- इसके द्वारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 8 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुशंसा की गयी है, जबकि भारत में यह 9 प्रतिशत है।

पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने की विधि

- यह संस्था द्वारा ऋण के पुनर्गठन हेतु इक्विटी धन का उपयोग करने को संदर्भित करता है।
- बांड्स या तो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या होल्डिंग कंपनी के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं।
- सरकार बैंक की इक्विटी के शेयर के लिए बैंकों को बांड जारी करेगी।
- इन बांड्स पर देय वार्षिक ब्याज और उनके मोचन (redemption) पर मूलधन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- पूंजी की आवश्यकता होने पर बैंकों द्वारा इन बांडस का बाजार में विक्रय किया जा सकता है।

पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने के निहितार्थ

- सरकार को बैंक के पुनर्पूंजीकरण पर बढ़ते बिल के लिए धन जुटाने हेतु तत्काल कर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसका अर्थ है कि करदाता पर कर का निम्न बोझ होगा।
- बाजारों की अपेक्षा बैंकिंग व्यवस्था से सीधे उधार लेने से सरकार निजी उधारी के क्राउडिंग आउट या बाज़ार उत्पादकता के विकृत होने से बच सकती है।
- इससे बैंक के **परिसंपत्ति-ऋण अनुपात** में सुधार होगा जिससे शेयर बाजार में इनकी इक्विटी रेटिंग में भी सुधार होगा। इससे निजी शेयरधारकों के आकर्षित होने की संभावना है।
- पुनर्पूंजीकरण बांड सरकारी ऋण देयता में GDP के 0.8% भाग के बराबर (वित्त वर्ष 17 में 47.5%) वृद्धि कर देगा। हालांकि कोई अतिरिक्त सरकारी उधारी न होने के कारण, पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

- **इंद्रधनुष योजना:** यह बैंकिंग सुधारों के लिए एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें सात घटक सम्मिलित हैं:
- **नियुक्ति:** व्यावसायिकता में वृद्धि करने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को पृथक करना।
- **बैंक बोर्ड ब्यूरो:** यह प्रमुख पेशेवरों और अधिकारियों का एक समूह है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे- बैंकों के प्रमुखों के चयन की अनुशंसा करना, रणनीतियों और योजनाओं के निर्माण में बैंकों की सहायता करना, समेकन की रणनीति पर बैंकों को सलाह देना आदि।
- **पूंजीकरण:** इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना।
- **दबाव-मुक्त करना (De-stressing):** परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के सशक्तिकरण एवं 6 नए ऋण वसूली प्राधिकरणों (DRTs) की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को क्रेडिट डेटा संग्रहण, भंडारण और प्रसारण करने हेतु सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट

(CRILC) का सृजन करना।

- **सशक्तिकरण:** संगठन के वाणिज्यिक हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में अहस्तक्षेप और उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- **जवाबदेहिता की योजना बनाना:** सरकार द्वारा संचालित PSBs के प्रमुख निष्पादन संकेतकों के माध्यम से।
- **प्रशासनिक सुधार:** PSBs और वित्तीय संस्थानों के एक सम्मेलन **"ज्ञान संगम"** में सभी प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।

1.1.2 नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स

(Non-Performing Assets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह बताया है कि कृषि क्षेत्र में नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स की मात्रा में 23% की वृद्धि हुई है। इसके अनुसार, 2016 के 48,800 करोड़ रुपये की तुलना में 2017 में यह बढ़कर 60,200 करोड़ रुपये हो गयी है।
- हाल ही में, संसद ने भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन हेतु बैंकिंग विनियमन (संशोधन)अधिनियम, 2017 पारित किया है। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ऋण चुकाने में डिफ़ॉल्ट के मामले में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए बैंकों को निर्देश दे सकता है। यह कार्यवाही शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता-2016 के तहत की जाएगी।

- **कृषि क्षेत्र में नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स में वृद्धि के कारण**
  - ग्रामीण संकट (रूरल डिस्ट्रेस) में वृद्धि,
  - जोत-स्वामित्व (लैंडहोल्डिंग) में कमी,
  - कृषि ऋण माफ़ी के प्रभाव (अन्य द्वारा जान-बुझकर ऋण न चुकाना),
  - गैर-कृषिगत प्रयोजनों हेतु ऋण राशि का उपयोग और
  - कृषि वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में गिरावट।
- NPA की चुनौती से निपटने के लिए, आर्थिक सर्वे द्वारा 4R's की अवधारणा प्रस्तुत की गयी: रिकग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन,रेज़ोल्यूशन, रिफॉर्म।
- NPA का एक बड़ा भाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है।

नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (NPA)

RBI द्वारा जोखिमग्रस्त परिसम्पतियों का वर्गीकरण समय अवधि के आधार पर किया गया है;

- **NPA:** वह संपत्ति जिस पर ब्याज/मूलधन 90 दिनों की अवधि तक बकाया हो (कृषि ऋण के लिए लागू नहीं)।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए दिए गए कृषि ऋण को NPA माना जाएगा, यदि उस पर मूलधन या ब्याज की किश्त दो फसल-ऋतुओं (क्रॉप सीजन) तक बकाया हो। दीर्घावधि फसलों के लिए, यह सीमा एक फसल-ऋतु है।
- **सब-स्टैन्डर्ड एसेट्स:** ऐसी संपत्ति जो 12 माह या इससे कम अवधि से NPA के रूप में रही हो।
- **डाउटफुल एसेट्स :** 12 माह की अवधि तक सब-स्टैन्डर्ड ऐसेट्स की श्रेणी में बनी रहने वाली संपत्ति को संदिग्ध परिसम्पत्ति (डाउटफुल एसेट्स) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **लॉस एसेट्स :** भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 'लॉस एसेट्स' को न वसूल की जा सकने वाली (अशोध्य) और इतने अल्प मूल्य की संपत्ति माना जाता है कि इसके बैंक की परिसंपति के रूप में बने रहने की आधिकारिक पुष्टि नहीं सकती। हालांकि इस तरह की परिसम्पत्तियों का कुछ मूल्य या पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) मूल्य अवश्य होता है।
- **स्पेशल मेन्शन्ड अकाउंट्स:** SMAs वे मानक खाते हैं जो स्टैंडर्ड और सबस्टैंडर्ड (NPA) श्रेणी की मध्य स्थिति के प्रारम्भिक-संकेत प्रदर्शित करते हैं।

VISION IAS

1.1.3 शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता-2016

(Insolvency and Bankruptcy Code-2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल ई-गवर्नेन्स सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) को शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता-2016 के तहत दिवालियापन के मामलों में भारत के पहले सूचना उपक्रम (IU) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

सूचना उपक्रम (IU)

- यह एक सूचना नेटवर्क है जो कम्पनियों के उधार, डिफ़ॉल्ट और सुरक्षा हितों आदि से संबंधित वित्तीय डेटा को संगृहीत करेगा।
- वित्तीय लेनदारों द्वारा सूचना उपक्रम को वित्तीय जानकारी प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसलिए, इसके द्वारा संगृहीत डेटाबेस और रिकॉर्ड, ऋण देने संबंधी सूचित निर्णय लेने में ऋणदाताओं को सहायता प्रदान करेंगे।
- उपक्रम के पास उपलब्ध जानकारी को दिवालियापन के मामलों में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता-2016 (IBC)

इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किये गये है-

- मूल व्यवसाय के व्यवहार्य (viable) पाए जाने की स्थिति में कंपनियों और सीमित देयता इकाइयों के वित्तीय संकट की प्राथमिक स्तर पर पहचान एवं समाधान के लिए एक स्पष्ट सुसंगत और त्वरित प्रक्रिया का निर्माण।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण को शोधन अक्षमता (इन्सॉल्वेंसी), लिक्विडेशन और दिवालियापन की प्रक्रिया के विषय पर अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्मों के सन्दर्भ में तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को कंपनियों तथा सीमित देयता इकाइयों के सन्दर्भ में निर्णायक प्राधिकरण की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- दिवालियापन से सम्बंधित पेशेवरों, दिवालियापन सम्बन्धी पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपक्रमों पर नियामक निरीक्षण स्थापित करने के लिए एक दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना।
- सीमा-पार दिवालियापन से निपटने के लिए प्रावधानों का निर्माण।

1.1.4. कोर बैंकिंग से SWIFT को जोड़ना

(Linking Swift To Core Banking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 30 अप्रैल तक **कोर बैंकिंग सोल्युशन्स** (CBS) से **SWIFT** को जोड़ने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि **CBS-SWIFT** लिंक की विफलता ने हाल ही में हुई **PNB** धोखाधड़ी का मार्ग प्रशस्त किया था।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- अन्य भारतीय उधारदाताओं से विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए मुंबई में PNB की शाखा से **लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग** (LOU) लिए गए थे।
- LOU, किसी बैंक द्वारा आयातक की ओर से दायित्व को पूरा करने के लिए अन्य बैंकों की शाखाओं को जारी किया गया आश्वासन या गारंटी पत्र होता है। इसके आधार पर विदेशी शाखाएं खरीदार को ऋण प्रदान करती हैं।
- **कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (CBS)**
  - यह एक बैक-एंड सिस्टम है जो दैनिक बैंकिंग लेन-देन को क्रियान्वित करता है तथा खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों के अपडेट्स को प्रस्तुत करता है।
  - यह ग्राहकों को अपने खातों को प्रबंधित करने और विश्व के किसी भी हिस्से से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में, बैंकिंग लेन-देन करने के लिए अपनी शाखा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

VISION IAS

- **ई-कुबेर** भारतीय रिज़र्व बैंक का CBS है। यह सुरक्षित ढंग से पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग करके कहीं से भी-कभी भी खाते तक विकेन्द्रीकृत पहुंच के साथ, देश भर में प्रत्येक बैंक के लिए एकल चालू खाते की व्यवस्था प्रदान करता है

- विश्व स्तर पर बैंकों द्वारा सीमा-पार वित्तीय लेन-देन से संबंधित संदेश प्रेषित करने के लिए 1973 में प्रवर्तित **SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्लेटफार्म)** का उपयोग किया जाता है। SWIFT उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित, निर्बाध और स्वचालित वित्तीय संचार संभव बनाता है।
- SWIFT के माध्यम से संदेश प्राप्त होने पर, विदेशों में बैंक (अधिकांशत: भारतीय बैंकों की शाखाएं) विशेष रूप से भारतीय फर्मों को धन उपलब्ध कराते हैं।
- आयात दस्तावेजों के आधार पर लिया गया यह ऋण सामान्यत: 90 दिनों के लिए होता है। इस सुविधा का विशेषकर **स्वर्ण, रत्न और आभूषण** के व्यापार में संलग्न कंपनियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
- कंपनियां वित्तपोषण के इस रूप का सहारा इसलिए लेती है क्योंकि रुपये में वित्तपोषण की तुलना में विदेशों में धन जुटाने की लागत अपेक्षाकृत कम होती है।
- यह अनिवार्य रूप से अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण है। इस पर बैंक **LIBOR** के मुकाबले 60 से 90 आधार अंक अधिक प्रभारित करते हैं।

LIBOR (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट)

- यह इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पावधिक उधारी के लिए वैश्विक संदर्भ दर है।
- यह अल्पावधिक ब्याज दर के लिए मानदण्ड के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग ब्याज दर विनिमय, मुद्रा दर विनिमय तथा साथ ही बंधकों के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है।
- यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की सूचक है और केंद्रीय बैंकों की आसन्न नीतिगत दरों की दिशा के बारे में विचार प्रदान करती है।
- इसके भारतीय समकक्ष को **मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट (MIBOR)** के रूप में जाना जाता है।

1.1.5. RBI ने SDR, S4A वापस लिया

(RBI Withdraws SDR, S4A)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **RBI** ने 'बैड लोन्स' की समस्या को हल करने के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं को वापस ले लिया।

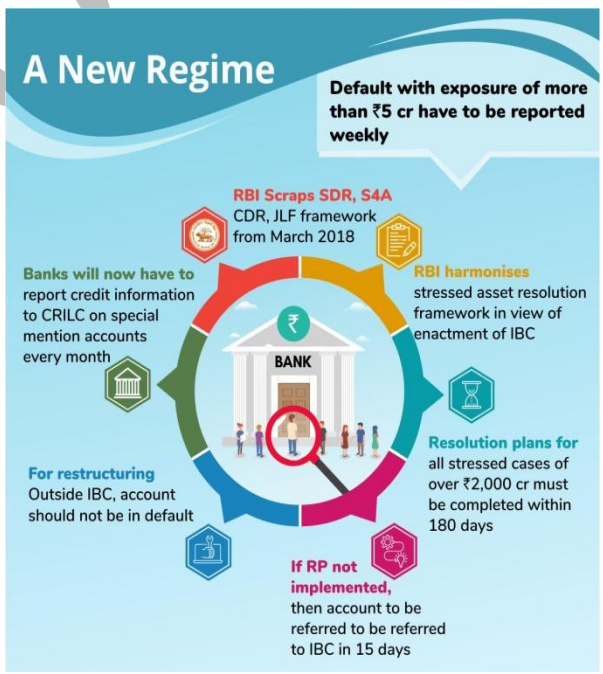

अन्य सम्बंधित तथ्य

- ऋणशोधन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के अधिनियमन के साथ, RBI ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को सुसंगत और सरलीकृत साधारण ढांचे से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया।

वापस ली गई योजनाएँ

- **सामरिक ऋण पुनर्गठन(SDR) योजना -**
- **संकटासन्न परिसंपदाओं की धारणीय पुनःसंरचना योजना (S4A)–**
- **कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन योजना -**
- **संयुक्त ऋणदाता मंच (JLF) –**
- **मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना या 5/25 पुनर्वित्तपोषण -**

1.1.6 शाखा प्राधिकरण नीति

(Branch Authorisation Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाया गया है।

संशोधित नीति के प्रावधान

- इसका उद्देश्य सभी शाखाओं और किसी निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट्स को बैंकिंग आउटलेट की परिभाषा के अंतर्गत लाना है।
- बैंकिंग आउटलेट एक **मानव संचालित सेवा वितरण केंद्र** है जो **एक सप्ताह में कम से कम पाँच दिन एवं प्रतिदिन कम से कम चार घंटे** कार्यशील रहता है। इसके द्वारा जमा, चेक का नकदीकरण, नकद निकासी और उधार देने जैसी सेवाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं।
- बैंकों द्वारा ऐसे 25% आउटलेट्स की स्थापना **बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों (URC)** पर करना अनिवार्य है।

व्यवसायिक अभिकर्ता (BCs) या बैंक साथी

बैंक शाखा/एटीएम के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति/इकाई को व्यवसायिक अभिकर्ता या बैंक साथी के रूप में जाना जाता है।

BCs द्वारा सम्पादित कार्य

- उधारदाताओं की पहचान, लोन प्रोसेसिंग, बैंकिंग और वित्त के लाभ के प्रति जागरूकता का प्रसार, स्व-सहायता समूह/संयुक्त देयता समूहों की निगरानी, ऋण स्वीकृति के पश्चात निगरानी, वसूली के आगे की कार्यवाही करना।
- कम मूल्य की जमा स्वीकार करना, कम मूल्य के ऋण का वितरण, मूलधन/ब्याज की वसूली, सूक्ष्म बीमा/म्यूचुअल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों की बिक्री और कम मूल्य के प्रेषित धन/अन्य भुगतानों की प्राप्ति एवं डिलीवरी आदि कार्य भी कर सकते हैं।
- सभी व्यवसायिक अभिकर्ता (BCs) या किसी एक विशेष बैंक के प्रतिनिधि दूसरे बैंकों के लिए भी कार्य कर सकते हैं।

1.1.7. बैंक की उधारी दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना

(Linking Bank Lending Rates to External Benchmark)

सुर्खियों में क्यों?

- डॉ जनक राज की अध्यक्षता में RBI के पाँच सदस्यीय पैनल ने **मौद्रिक नीति संचरण को त्वरित करने हेतु बैंक की उधारी दरों को मार्केट बेंचमार्क से जोड़ने की अनुशंसा की है**।

- **आधार दर (Base Rate):** वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक उधार दे सकते हैं। इसकी गणना RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। यह प्रत्येक बैंक के लिए भिन्न होती है।
- **नकद आरक्षित अनुपात: नकद आरक्षित अनुपात (CRR)** वह राशि है जिसे बैंकों को RBI के पास रखना अनिवार्य होता है। यदि केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करने का निर्णय करता तो इसके परिणामस्वरूप बैंकों के पास उपलब्ध राशि कम हो जाती है।
- **रेपो रेट**: यह वह दर होती है जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी (pledge) रख कर RBI से ऋण प्राप्त करते हैं।
- **रिवर्स रेपो रेट: रिवर्स रेपो रेट** वह दर है जिस पर **RBI** वाणिज्यिक बैंकों से धन प्राप्त करता है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में बैंक उधारी दर वस्तुतः 2016 में आरम्भ सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) द्वारा निर्धारित होती है।
- सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR), बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को प्रदर्शित करती है, जिससे नीचे (RBI द्वारा निर्धारित कुछ मामलों को छोड़कर) ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या रेफरेन्स रेट है।

VISION IAS

- इसका उद्देश्य बैंकों की नीतिगत दरों की ऋण दरों के परिवर्तन में सुधार करना है तथा बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली अग्रिम ब्याज दरों को निर्धारित करने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
- MCLR ने आधार दर प्रणाली (2010 में आरंभ) को प्रतिस्थापित किया है।
- आधार दर और MCLR दोनों का निर्धारण बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता था। हालांकि, दोनों के मध्य मुख्य अंतर यह है कि आधार दर की गणना बैंकों द्वारा स्वयं के अनुसार की जाती थी, जबकि MCLR की गणना एक निर्धारित सूत्र के माध्यम से की जाती है।

1.1.8. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन

(Consolidation Of Public Sector Banks)

सरकार वैश्विक स्तर के 3-4 बैंकों का निर्माण करने तथा राज्य स्वामित्व वाले बैंकों की सख्या को 21 से घटाकर लगभग 10-12 करने की दृष्टि से सरकारी बैंकों के समेकन करने पर कार्य कर रही है।

इस कदम का महत्व:

- बढ़ते NPA के परिपेक्ष्य में लागत कटौती और दक्षता प्राप्त करने में सहायक होगा।
- संसाधनों को अन्य वंचित वर्गों (underserved segments) की ओर हस्तांतरित करने को सुविधाजनक बनाएगा।
- जोखिम के बेहतर तरीके से विविधीकरण और मज़बूत समग्र लाभप्रदता के कारण उच्च क्रेडिट रेटिंग्स प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- बढ़ती अर्थव्यवस्था की विशाल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, आघातों (shocks) को कम करने और अनावश्यक रूप से सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना संसाधनों में वृद्धि करने में सक्षमता प्राप्त होगी।

नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 1991 की अनुशंसाएँ

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाने हेतु उनका विलय किया जाना चाहिए।
- इसने तीन स्तरीय बैंकिंग संरचना की परिकल्पना की थी। इस संरचना में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन बड़े बैंकों को शीर्ष स्तर पर, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों को दूसरे स्तर पर तथा क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की बड़ी संख्या को अंतिम स्तर पर रखा गया।
- विलय का निर्णय करते समय क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक पहुँच, वित्तीय बोझ और मानव संसाधन के आसानी से संचरण जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1.1.9 वित्तीय समाधान एवं जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017

(Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा (FRDI) विधेयक 2017 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

FRDI विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- यह विधेयक बैंकों, बीमा कम्पनियों, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, भुगतान व्यवस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और उनकी मूल कम्पनियों पर लागू होगा।
- इसका उद्देश्य वर्तमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) के स्थान पर **समाधान निगम (Resolution Corporation)** की स्थापना करना है।
- समाधान निगम, बैंकों और बीमा कम्पनियों जैसी वित्तीय कम्पनियों की निगरानी करेगा एवं उनकी वित्तीय विफलता के संकट का पूर्वानुमान लगाते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाहियों को संचालित कर उनका समाधान करेगा। बैंक की विफलता की स्थिति में यह निगम एक निश्चित सीमा तक जमाराशि पर बीमा भी उपलब्ध कराएगा।
    - इसमें **समाधान के लिए अनेक उपकरण भी** उपलब्ध कराये गये हैं, जैसे **बेल-इन, ब्रिज-इन्स्टिट्यूशन और बीमा के लिए रन ऑफ़ एन्टिटी।** ये साधन विलय और विक्रय जैसे वर्तमान उपकरणों के अतिरिक्त हैं।

VISION IAS

- इसके द्वारा यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि बेल-इन क्लॉज का प्रयोग केवल ऋणदाता (creditor) की **स्वीकृति** के बाद ही किया जाएगा और मानदंडों के अनुपालन की विफलता के मामले में **क्षतिपूर्ति का प्रावधान** है।

बेल-इन क्लॉज: इसके अंतर्गत, समाधान निगम आंतरिक रूप से फर्म के ऋण का पुनर्गठन कर सकता है: (i) फर्म की ऋणदाताओं के प्रति देनदारियों को रद्द करके, या (ii) देनदारियों को किसी अन्य उपकरण में परिवर्तित करके (जैसे, ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना)

यह बेल-आऊट से भिन्न है, क्योंकि उसमें सार्वजनिक निधियों का उपयोग रुग्ण कम्पनियों में पूँजी डालने के लिए किया जाता है।

ब्रिज-इन्स्टीट्यूशन – एक निर्दिष्ट सेवा प्रदाता के समाधान के उद्देश्य से निगम द्वारा बनाई गई एक ब्रिज सर्विस प्रोवाइडर (सहायक सेवा प्रदाता) है। यह शेयरों के माध्यम से एक लिमिटेड कम्पनी है।

रन ऑफ़ एन्टिटी– इस समाधान के अंतर्गत किसी बीमा इकाई को *रन ऑफ़ एन्टिटी* के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि वर्तमान बीमा पॉलिसियों को उनकी समाप्ति की तिथि तक चलाया जा सके।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक

(Reserve Bank of India)

सुर्खियों में क्यों?

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अर्जित राशि में से हस्तांतरित की गई अधिशेष राशि पिछले वर्ष की तुलना में आधी से भी कम थी। इतने कम अधिशेष का एक कारण था- भारतीय रिज़र्व बैंक की आकस्मिकता निधि में धनराशि का स्थानांतरण किया जाना।

आकस्मिकता निधि

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे 'ब्लैक स्वान' घटनाओं (ऐसी घटनाएं जिनकी आशा न की गई हो) या ऐसी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए रखा जाता है जो बैंक की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए-संयुक्त राज्य अमेरिका के लेहमेन ब्रदर्स बैंक अथवा किसी अन्य बैंक के पतन की घटना।
- यह विदेशी मुद्रा एवं सोने के मूल्यों में आए अभूतपूर्व उतार-चढ़ावों एवं बॉन्ड धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी घाटों जैसी घटनाओं के विरूद्ध आघात-अवशोषक (cushion) के रूप में भी कार्य करता है।

RBI एवं इसके कार्य

- इसकी स्थापना **RBI Act, 1934** के प्रावधानों के अंतर्गत 1935 में की गयी थी।

RBI के सात प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- **नोटों का मुद्रण:** नोटों को मुद्रित करने का एकमात्र प्राधिकार RBI के पास है। हालाँकि, सिक्कों की ढलाई और एक रुपये के नोटों के मुद्रण का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है।
- **सरकार का बैंकर:** यह सरकार के जमा खातों का प्रबंधन करता है। यह IMF और विश्व बैंक के सदस्य के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह वाणिज्यिक बैंक की जमाओं का **संरक्षक (Custodian)** एवं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों सहित बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का विनियामक और पर्यवेक्षक है।
- **देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक (Custodian) है** और चालू एवं पूंजी खातों का प्रबंधन करता है।
- **ऋण देने के अंतिम विकल्प के रूप में:** RBI आपातकालीन परिस्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है।
- **सेंट्रल क्लीयरेंस और अकाउंट सेटलमेंट:** RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों की नकद आरक्षित राशि जमा होती है। इसलिए यह आसानी से उनके बिल ऑफ़ एक्सचेंज की पुनर्कटौती कर सकता है।
- **साख नियंत्रण:** यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

RBI के गवर्नर को नियुक्त करने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है और वह केंद्र सरकार **के प्रसाद पर्यंत** अपना पद धारण करता (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक) है।

VISION IAS

मौद्रिक नीति समिति

- यह महत्वपूर्ण नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु गठित की जाने वाली एक 6-सदस्यीय समिति है।
- इसमें RBI के तीन सदस्य- गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एवं अन्य अधिकारी सम्मिलित होते हैं।
- **कैबिनेट सचिव** की अध्यक्षता में गठित पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर अन्य 3 सदस्यों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **RBI गवर्नर** को मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।

1.3 विभेदीकृत बैंक

(Differentiated Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक (ABIPBL) ने भुगतान बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।

विभेदीकृत बैंक क्या है?

ऐसे बैंक जिन्हें पूंजीगत आवश्यकता व गतिविधियों के कार्यक्षेत्र के आधार पर अन्य बैंकों से अलग किया जा सके और जो जनसंख्या के विशेष खंड की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उन्हें विभेदीकृत बैंक या निशे (Niche) बैंक के रूप में जाना जाता है।

विभेदीकृत बैंक का विचार नचिकेत मोर समिति, 2014 द्वारा **वित्तीय समावेशन के लिए** प्रस्तुत किया गया था।

इसे भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक, होलसेल एंड लॉंग टर्म फाइनेंस (WLTF) बैंक आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

Features of PAYMENT and Small FINANCE BANK

	Payment Banks	Small Finance Bank
Capital	Minimum paid-up capital is Rs.100 crore.	Minimum paid-up capital is Rs.100 crore.
Deposit Account	Yes	Yes
Fixed Account/ Recurring Deposit	No	Yes
Customer	Small businesses and low-income households.	Small and marginal farmers, micro and small industries, and un-organized sector entities.
Loans	No	Yes
Cash Reserve Ration/ Statuary Liquidity ration	Yes	Yes
Priority Sector lending Norms	-NA-	Yes (75 per cent of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC))
Other Services	Offer remittance services, sell insurance and mutual funds, offer internet banking, and issue ATM/debit cards. (no credit card)	Offers remittance, access to ATMs/ POS terminals

होलसेल एंड लॉंग टर्म फाइनेंस बैंक का प्राथमिक कार्य अवसंरचनात्मक क्षेत्र और लघु, मध्यम एवं कॉर्पोरेट व्यवसायों को ऋण प्रदान करने पर केंद्रित होता है।

1.4 डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पॉर्टेन्ट बैंक

(Domestic Systematic Important Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में RBI द्वारा पिछले वर्ष निर्धारित किये गये *'बकेट स्ट्रक्चर'* के अंतर्गत HDFC को Domestic Systematic Important Bank: DSIB के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

DSIBs क्या हैं?

- DSIBs को ऐसे बैंकों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपने आकार, अनेक क्षेत्राधिकारों में गतिविधियों के संचालन (cross-jurisdictional activities), जटिलता एवं प्रतिस्थापन के अभाव एवं अंतर्संबंधों के कारण **"इतने विशाल हैं कि ध्वस्त नहीं हो सकते"** (Too Big To Fail:TBTF)।

- ऐसे बैंक जिनकी परिसंपत्तियां **सकल घरेलू उत्पाद के 2%** से अधिक हों, उन्हें DSIB माना जाता है। अर्थव्यवस्था पर इनके विफल होने का विघटनकारी प्रभाव हो सकता है।
- DSIBs को **पांच श्रेणियों (बकेट)** में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार बैंकों को **जोखिम भारित आस्तियों (RWAs) के प्रतिशत के रूप में** अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर -1 पूँजी अलग से बनाए रखनी होती है।
- मनी लांड्रिंग जैसे अवैध कार्यों से दूर रखने तथा बेहतर कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए DSIBs पर केंद्रीय बैंक द्वारा बारीकी से नज़र रखी जाती है।
- इनकी पहचान घरेलू रूप से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा और वैश्विक रूप से **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति** द्वारा की जाती है।

1.5 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को उधार से सम्बंधित मानक

(Priority Sector Lending Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने MSMEs के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को उधार (PSL) से सम्बंधित मानकों में संशोधन किया है।

बैंक	**PSL मानक**
घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण राशि,दोनों में से जो भी अधिक हो
20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण राशि, दोनों में से जो भी अधिक हो; 2020 तक चरणबद्ध तरीके से हासिल करना

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों से सम्बंधित तथ्य

- यह अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो इस विशेष ऋण वितरण के अभाव में समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त न कर सकते हों ।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणीयाँ: 1. कृषि, 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; 3. निर्यात ऋण; 4. शिक्षा; 5. आवास; 6. सामाजिक अवसंरचना; 7. अक्षय ऊर्जा; और 8. अन्य
- अब से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को दिए जाने वाले सभी ऋण PSL के रूप में मान्य होंगे, जबकि पहले इस क्षेत्र को दिए जाने वाले केवल 10 करोड़ तक के ऋणों को ही इस श्रेणी में रखा जाता था।
- इसके अतिरिक्त, RBI ने **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों** (PSLCs) में कारोबार करने की अनुमति प्रदान की है। इससे बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने सम्बन्धी बाध्यताओं को प्रबंधित करने के लिए ऐसे ऋणों का क्रय-विक्रय कर सकते हैं।

PSLCs क्या हैं?

- PSLCs, **व्यापार योग्य प्रमाण पत्र** होते हैं। ये बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार के बदले जारी किये जाते हैं। ये प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने वाले बैंकों को इन ऋणों के क्रय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक (प्रारम्भ होने पर) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक PSLC ट्रेडिंग के लिए पात्र हैं।

VISION IAS

1.6 पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

(Public Credit Registry)

सुर्ख़ियो में क्यों?

RBI **द्वारा** पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के विकास के लिए रोडमैप हेतु टास्कफ़ोर्स का गठन करेगा।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री **क्रेडिट सूचना का डेटाबेस** है जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है। यह सामान्यत: उधारकर्ता से सम्बंधित एक बड़े डेटाबेस में सभी प्रासंगिक जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।
- RBI जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा और उधारदाताओं को **अनिवार्य रूप से ऋण विवरणों की सूचना देनी होगी**।
- PCR, RBI की निम्नलिखित में सहायता करेगा-
  - बैंक द्वारा क्रेडिट आकलन और मूल्य निर्धारण में
  - बैंकों की प्रोविज़निंग जोखिम-आधारित, प्रतिचक्रीय और गतिशील ढंग से करने में
  - नियामक द्वारा पर्यवेक्षण और प्रारंभिक हस्तक्षेप में
  - मौद्रिक नीति के कामकाज के संचरण और उसकी बाधाओं को समझने में
  - दबावग्रस्त बैंक ऋण का पुनर्गठन करने में
- यह देश में क्रेडिट संस्कृति को अधिक पारदर्शी बनाकर इसमें सुधार लाएगा तथा व्यापार की सुगमता को बेहतर बनाएगा, वित्तीय समावेशन में वृद्धि करेगा और सम्बंधित दोषों में कमी लाएगा।

1.7 ATM

(ATM)

सुर्खियों में क्यों?

- RBI के नवीनतम आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ATM की संख्या में विगत एक वर्ष में 1000 से भी अधिक की कमी आयी है। यह अवधि सितंबर 2016 अंत से लेकर सितंबर 2017 तक की थी।

ATM के प्रकार

- **वाइट लेबल ATM** : इनके स्वामित्व तथा परिचालन का उद्देश्य ATMs के प्रसार को बढ़ाना तथा वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना है।
- **बैंक ATM:** ये संबंधित बैंक के स्वामित्व में तथा बैंक द्वारा ही परिचालित होते हैं।
- **ब्राउन लेबल ATM:** बैंक किसी तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) से ATM परिचालन सेवाएँ लेते हैं (आउटसोर्सिंग)। इन ATMs पर बैंक का लोगो होता है।

1.8. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

Non-Banking Financial Companies

1.8.1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना

(The Ombudsman Scheme For NBFCS)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए लोकपाल योजना (ओम्बड्समैन स्कीम) का शुभारम्भ किया गया।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 से संबंधित तथ्य

- बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी है।
- इसका उद्देश्य ग्राहकों को निर्धारित बैंकिंग सेवाओं में कोताही के लिए एक लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं।
- इस योजना में बैंकिंग सेवा संबंधी शिकायत लोकपाल के समक्ष लाये जाने से पूर्व, संबंधित बैंकों में दर्ज

VISION IAS

करने का प्रावधान किया गया है।

योजना में किये गये नवीनतम परिवर्तन

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में विस्तार करते हुए मोबाइल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संबंधी मुद्दों को भी इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिया है।
- बीमा, म्यूच्यूअल फंड तथा बैंक द्वारा विक्रय किए जाने वाले अन्य थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स (पूर्व में बैंक इनके लिए उत्तरदायी नहीं होते थे) के विक्रय के कारण उत्पन्न होने वाले घाटे/वाद के लिए भी बैंक उत्तरदायी होंगे।
- बैंकिंग लोकपाल (ओम्बुड्समैन) के आर्थिक क्षेत्राधिकार में विस्तार किया गया है। वर्तमान में यह 20 लाख रुपये तक के विषयों के संबंध में निर्णय ले सकता है।
- लोकपाल शिकायतकर्ता को समय की हानि, वहन किये गये व्यय, उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रूपए तक का मुआवजा दिला सकता है।

योजना का विवरण

- यह इस योजना के अधीन आने वाली NBFC के विरुद्ध सेवाओं में कमी की शिकायतों के लिए एक **निःशुल्क एवं त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करेगा।
- आरंभ में, इस योजना के दायरे में **जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs** को लाया जायेगा। इसके उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर RBI, ग्राहक इंटरफेस के साथ 1 बिलियन रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली NBFCs को योजना में सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार करेगा।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक या उससे उपर की रैंक के अधिकारी तीन वर्ष के कार्यकाल** के लिए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।
- **इस योजना के तहत लोकपाल को संबंधित** NBFC **से जानकारी मांगने की एवं 1 लाख रुपये तक का मुआवजा लगाने की शक्ति प्राप्त है।**
- शिकायतकर्ता/NBFC के पास लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष **अपील करने का विकल्प** होता है।

NBFC क्या है?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) उस कंपनी को कहते हैं जो (i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो,(ii) इसका मुख्य व्यवसाय उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/ स्टॉक/बांड्स/डिबेंचर/ प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद (हायर-पर्चेज), बीमा व्यवसाय, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना हो; तथा (iii) इसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना हो।

किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक, वस्तुओं (प्रतिभूतियों को छोड़कर) को खरीदने-बेचने संबंधी गतिविधियां, कोई सेवा प्रदान करना अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना हो।

ये कंपनियां RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत RBI के साथ पंजीकृत होती हैं।

बैंकों एवं NBFCs में अंतर

- NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं;
- NBFC भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं एवं स्व-आहरित चेक (cheques drawn on itself) जारी नहीं कर सकती हैं;
- बैंकों में जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध होती है जबकि इसके विपरीत NBFC के जमाकर्ताओं के लिए यह उपलब्ध नहीं है।

1.8.2 पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग

(Peer to peer lending)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयर टू पीयर लेंडिंग (उधारी) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के रूप में श्रेणीबद्ध कर, उनके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों एवं पद्धतियों को निर्धारित किया है।

P2P के संबंध में:

- P2P लेंडिंग से आशय ***क्राउड-फंडिंग प्लेटफार्म*** **(अधिकांशतः ऑनलाइन)** से है, जहाँ निवेश करने वाले और उधार लेने वाले व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं।
- अभी तक P2P कम्पनियां, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती थीं।
- ऋणदाता और उधारकर्ता द्वारा स्वयं को P2P प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराने पर, प्लेटफॉर्म द्वारा उचित मूल्यांकन कर योग्य व्यक्तियों को लेन-देन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है।
- ये कंपनियाँ उल्टी नीलामी (reverse auction)प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं। इसके तहत ऋणदाता, उधारकर्ता के प्रस्ताव (bid) के लिए बोली लगाता है तथा उधारकर्ता उस बोली पर उधार लेने या न लेने का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होता है।

P2P के संबंध में **RBI का विनियमन:**

- NBFCs के रूप में वर्गीकृत होने के परिणामस्वरूप, P2P लेंडिंग की क्रेडिट ब्यूरो तक पहुँच संभव होगी तथा इसे क्रेडिट ब्यूरो के साथ ऋण संबंधी आंकड़ों को साझा करना होगा।
- परिणामतः P2P प्लेटफार्म को उधारकर्ताओं की साख संबंधी जानकारी भी ऋणदाताओं के साथ अनिवार्य रूप से साझा करनी होगी। इससे उन्हें सूचित होने और निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।
- इसके अतिरिक्त, क्रेडिट ब्यूरो के साथ उधारकर्ता की साख संबंधी जानकारी साझा करने से डिफ़ॉल्टर के लिए अन्य बैंकों और NBFCs से ऋण लेना कठिन होगा।
- P2P प्लेटफार्मों को उचित शिकायत तंत्र अपनाने एवं नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।

1.9 मुद्रास्फीति का मापन

(Inflation Measurement)

सुर्खियों में क्यों?

- **CSO** एवं **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)** ने IIP एवं WPI के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2004-05 कर दिया है।
- आधार वर्ष में यह संशोधन **सौमित्र चौधरी समिति** की अनुशंसाओं के अनुरूप है।

संबंधित समाचार

- WPI की गणना अब पहले की तरह **अंकगणितीय औसत के स्थान पर गुणात्मक (जियोमेट्रिक) औसत** के आधार पर की जाएगी। CPI की गणना गुणात्मक औसत के आधार पर की जाती है।
- WPI में **अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया** गया है ताकि राजकोषीय नीति के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।
- IIP में 149 वस्तुओं को जोड़ा गया है तथा 124 वस्तुओं को हटाया गया है।

	WPI	CPI
किसके द्वारा जारी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
आधार वर्ष	2011-12	2011-12
घटक (भारांश के घटते क्रम में)	विनिर्माण (धातु, खाद्य पदार्थ, रसायन)> प्राथमिक वस्तुएं> ईंधन तथा बिजली	खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, तम्बाकू> स्वास्थ्य, शिक्षा> ईंधन, प्रकाश
कोर मुद्रास्फीति को मापने के लिए CPI का प्रयोग किया जाता है (इसमें ईंधन तथा खाद्य घटकों को समाविष्ट नहीं किया जाता)।		

VISION IAS

अन्य सूचकांक

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI): यह वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों के मूल्यों में औसत अंतर का मापन करता है। यह मापन या तो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन स्थल से निकलते समय (आउटपुट PPI) अथवा उनके उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करते समय (इनपुट PPI) किया जाता है।

- **यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** से भिन्न है क्योंकि CPI खरीददार अथवा उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मूल्य में परिवर्तन को मापता है।

CSO द्वारा जारी **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** एक समग्र सूचकांक है जो दी गयी अवधि में, आधार वर्ष 2011-12 के सन्दर्भ में, औद्योगिक उत्पादों के एक समूह के **उत्पादन की मात्रा में हुए अल्पकालिक परिवर्तनों** को मापता है।

- घटते भार के क्रम में IIP का क्षेत्रानुसार संघटन: विनिर्माण> खनन > विद्युत्
- आठ कोर उद्योगों का सूचकांक: आठ कोर उद्योग मिलकर IIP में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% भाग हैं।
- इसमें निम्न आठ उद्योग शामिल हैं:
  - **रिफाइनरी उत्पाद** (भारांश: 28.04%),
  - **बिजली** (भारांश: 28.04%),
  - **इस्पात** (भारांश: 17.92%),
  - **कोयला** (भारांश: 10.33%)
  - **कच्चा तेल** (भारांश: 8.98 %),
  - **प्राकृतिक गैस** (भारांश: 6.88 %)
  - **सीमेंट** (भारांश: 5.37%)
  - **उर्वरक** (भारांश: 2.63 %)

1.10 मर्चेंट डिस्काउंट रेट

(Merchant Discount Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में मंत्रिमंडल ने डेबिट कार्ड/ BHIM UPI/ AePS द्वारा 2000 रुपये तक के लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस सब्सिडी का **वहन 1 जनवरी 2018 से लेकर दो साल की अवधि तक सरकार द्वारा** किया जाएगा।

MDR क्या है?

- MDR वह शुल्क है जो अपने प्रतिष्ठान में उपभोक्ताओं से डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी (मर्चेंट्स) बैंक को अदा करते हैं।
- इसके माध्यम से विक्रय बिंदु (पॉइंट ऑफ़ सेल: PoS) लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक तथा मास्टरकार्ड और वीज़ा जैसे पेमेंट गेटवेज़ को आवश्यक प्रतिफल प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक लेन-देन पर अधिरोपित किया जा सकने वाला अधिकतम MDR शुल्क RBI निर्धारित करता है।

VISION IAS

नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया तथा इसके उपक्रम:

- यह भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिए अम्ब्रेला संगठन है।
- इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के मार्गदर्शन तथा सहायता से स्थापित किया गया था।
- इसे कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के तहत एक "गैर-लाभकारी कंपनी" के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसके द्वारा विभिन्न उपक्रम आरम्भ किए गए हैं:
    - **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI)** एक ऐसी भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफ़ोन की मदद से दो बैंक एकाउंट्स के बीच धन अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। UPI विभिन्न मर्चेंट्स को सीधे बैंक अकाउंट से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। यह ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन- दोनों तरीकों से हो सकता है। इसमें क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड अथवा नेट बैंकिंग/वॉलेट के पासवर्ड को टाइप करने जैसी समस्याएँ नहीं होतीं।
    - **भारत इंटरफ़ेस फॉर मनी (BHIM) :** यह बैंक से बैंक में भुगतान तथा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (UPI ID) का प्रयोग करते हुए धन प्राप्त करने हेतु एक ऐप है।
    - AePS एक बैंक-संचालित मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग करते हुए किसी भी बैंक के बिज़नेस कोरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से PoS (माइक्रो ATM) पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इन्क्लूज़न ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है।
    - **भारत QR कोड**
    - **रुपे कार्ड**

1.11 चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2018

(Chit Funds (Amendment) Bill, 2018)

यह विधेयक चिट फंड्स अधिनियम, 1982 में संशोधन करता है जिससे चिट फंड्स क्षेत्रक का क्रमिक विकास हो सके तथा उन अवरोधों को हटाया जा सके जिनका चिट फण्ड क्षेत्र सामना कर रहा है तथा परिणामस्वरूप लोगों को अन्य वित्तीय उत्पादों तक अधिक वित्तीय पहुँच प्रदान की जा सके।

चिट फंड

- चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें एक निश्चित संख्या में सदस्य निर्धारित अवधि के दौरान किश्तों में भुगतान के माध्यम से अपना अंशदान करते हैं।
- चिट फंड की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक ग्राहक लॉट, नीलामी या निविदा द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का हकदार होता है। सामान्यत: पुरस्कार की राशि = ग्राहक द्वारा किया गया सम्पूर्ण भुगतान - वह छूट जो ग्राहक को लाभांश के रूप में पुनर्वितरित की जाती है।
- नियमन: भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा होने के कारण; केंद्र तथा राज्य-दोनों द्वारा चिट फंड सम्बन्धी कानून बनाये जा सकते हैं।

VISION IAS

- चिट फंड व्यापार का नियमन RBI द्वारा नहीं किया जाता है। हालाँकि, RBI कई नियामक पहलुओं जैसे नियम बनाना या कुछ चिट फंड्स को छूट देने आदि पर राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- SEBI द्वारा सामूहिक निवेश योजना का नियमन किया जाता है। हालांकि, SEBI अधिनियम में विशेष रूप से चिट फंड सम्बन्धी प्रावधान शामिल नहीं किये गए हैं।

पोंजी स्कीम

- पोंजी स्कीम एक प्रकार की निवेश सम्बन्धी धोखाधड़ी है, जो निवेशकों को थोड़े जोखिम के बदले उच्च दरों पर प्रतिफल का विश्वास दिलाती है। पोंजी स्कीम नए निवेशक बना कर पुराने निवेशकों को रिटर्न (प्रतिफल) देती है। परंतु, अंततः सभी निवेशकों को रिटर्न देने के लिए पर्याप्त धन के अभाव में ऐसी स्कीमें असफल हो जाती हैं।

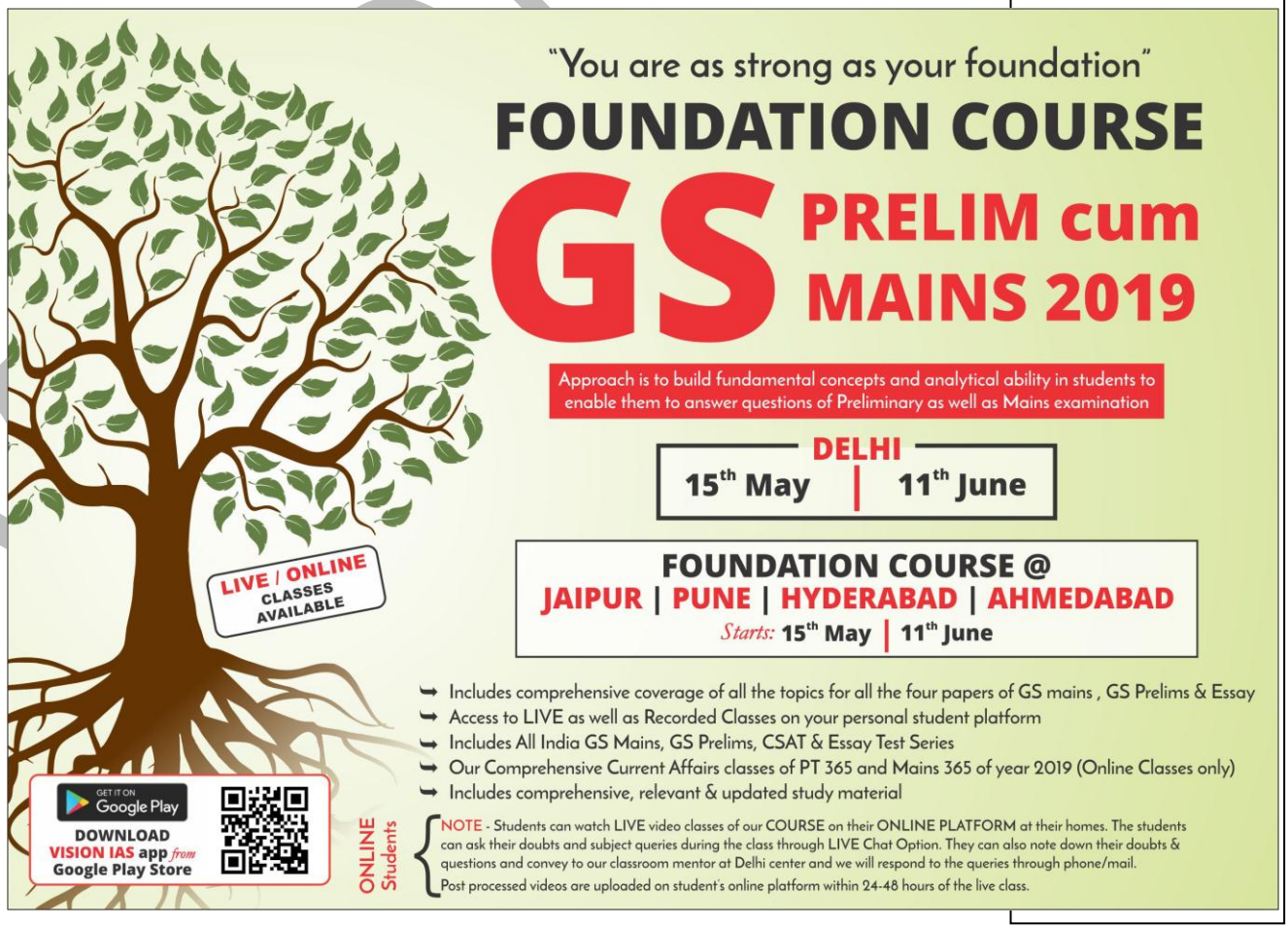

2. वित्तीय बाज़ार

(FINANCIAL MARKET)

2.1. वित्तीय बाज़ार उपकरण

(Financial Market Instruments)

2.1.1 क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट

(Qualified Institutional Placement (QIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, SBI ने (*क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट*) QIP के माध्यम से 15000 करोड़ रुपये एकत्रित किये हैं।

QIP क्या है?

- QIP, **पूंजी एकत्र करने का एक साधन** (कैपिटल रेज़िंग टूल) है जिसमें कोई सूचीबद्ध कंपनी ऐसे इक्विटी शेयर, पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र अथवा कोई अन्य प्रतिभूति (जमानतों के अतिरिक्त) जारी कर सकती है जो इक्विटी शेयर्स में परिवर्तनीय हो।
- QIP को प्राइवेट प्लेसमेंट के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के अन्य प्रकार पब्लिक इशू, राइट्स इशू, बोनस प्लेसमेंट इत्यादि हैं।
- **QIP के घटक:** म्यूच्यूअल फंड्स, बैंक तथा बीमा कंपनियों जैसे घरेलू वित्तीय संस्थान, वेंचर कैपिटल फंड्स, विदेशी संस्थागत निवेशक।
- **SEBI ने सुझाव दिया है कि** इशू (निर्गमों) का आकार 250 करोड़ रुपयों से कम होने पर कम से कम दो QIB (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर) तथा 250 करोड़ रुपयों से ज्यादा होने पर कम से कम पाँच निवेशक होने चाहिए। किसी एक निवेशक को इशू के 50% से अधिक का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

पूँजी एकत्रण के अन्य तरीके

- **पब्लिक इशू:** यह नए निवेशकों को शेयर/ प्रतिभूति का प्रस्ताव है। इसे निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है;
  - **इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO):** जब एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी जनता के लिए नए शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी करती है अथवा अपने मौजूदा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को पहली बार जनता द्वारा क्रय किये जाने हेतु उपलब्ध कराती है,अथवा दोनों करती है।
  - **फर्दर पब्लिक ऑफर (FPO):** जब एक पहले से सूचीबद्ध कंपनी प्रतिभूतियों को नवीन रूप से जारी करती है।
- **राईट इशू :** जब शेयर केवल वर्तमान शेयरधारकों के लिए, उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में जारी किये जाते हैं।
- **कम्पोजिट इशू:** जब पब्लिक इशू तथा राइट्स इशू- दोनों में एक साथ आवंटन का प्रस्ताव दिया जाता है।
- **बोनस इशू:** यह शेयरधारकों के पास पहले से मौजूद शेयरों का विचार किये बिना जारी किये जाते हैं।
- **निजी प्लेसमेंट**: जब प्रतिभूतियां व्यक्तियों के एक चयनित समूह को जारी की जाती हैं, जिनकी संख्या 49 से अधिक नहीं हो सकती, यह तीन प्रकार के होते हैं:
  - **प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट:** जब पेशेवर आधार पर प्रतिभूतियों/शेयरों का आवंटन निवेशकों के एक चयनित समूह को किया जाता है।
  - **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम (IPP):** इसमें प्रतिभूतियों का ऑफर ,एलोकेशन एवं अलॉटमेंट केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को ही किया जाता है।
  - **क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट**

VISION IAS

2.1.2 मसाला बांड

(Masala Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में NHAI मसाला बॉन्ड की शुरुआत की (NHAI- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)। इसके अतिरिक्त, RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को विदेशों में विदेशी निवेशकों को मसाला बॉन्ड बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है।

बॉन्ड क्या है?

यह एक ऋण उपकरण होता है जिसमें एक निवेशक किसी इकाई (सामान्यतः कॉर्पोरेट या सरकार) को ऋण प्रदान करता है। इकाई किसी अस्थिर या स्थिर ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए धनराशी उधार लेती है।

महाराजा बांड: यह भारत के घरेलू पूंजी बाजार में निर्गमन हेतु IFC द्वारा जारी किया गया रुपया-आधारित बॉन्ड है।

मसाला बॉन्ड क्या हैं?

- मसाला बॉन्ड फण्ड एकत्र करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किये जाने वाले रुपया-आधारित (rupee-denominated) बॉन्ड हैं।
- अब तक इनका केवल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ही कारोबार किया जा रहा है।
- मसाला बॉन्ड नाम **विश्व बैंक की निवेश शाखा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC)** द्वारा दिया गया है। इसने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु इन बॉन्डों को जारी किया है।
- ये निवेशकों को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाते हैं, जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग (ECB) के विपरीत है। ECB की उगाही और भुगतान डॉलर में किया जाता है।

2.1.3. ग्रीन बॉन्ड

(Green Bond)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **India INX** ने अपने वैश्विक प्रतिभूति बाजार (GSM) में भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) के पहले ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है।

- यह गुजरात के **GIFT** (Gujarat International Financial Tech) **सिटी** के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली ऋण प्रतिभूति है।

IRFC

- यह घरेलू और विदेशी पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्तपोषण शाखा है।
- यह **अनुसूची 'A' का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम** है। यह RBI द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट) गैर-जमा प्राप्तकर्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी व अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (India's International Stock Exchange: India INX)

- यह **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है** जो गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है।
- India INX का वैश्विक प्रतिभूति बाजार (GSM) भारत का पहला ऋण सूचीकरण मंच (debt listing platform) है जो किसी भी मुद्रा में कोष जुटाने की अनुमति देता है।

VISION IAS

ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?

- यह 'हरित' परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, निम्न-कार्बन परिवहन, संधारणीय जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा दक्षता, स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण आदि के वित्तपोषण हेतु निवेशकों से धन जुटाने के लिए किसी इकाई द्वारा जारी एक ऋण प्रतिभूति है।
- ग्रीन बांड सर्वप्रथम 2007 में बहुपक्षीय संस्थानों (यूरोपीय निवेश बैंक एवं विश्व बैंक) द्वारा जारी किया गया था।
- भारत में प्रथम ग्रीन बांड 2015 में YES BANK द्वारा जारी किया गया था।
- भारतीय संस्थाओं द्वारा मसाला ग्रीन बांड भी जारी किए जाते हैं।
- SEBI ने ग्रीन बांड जारीकर्ताओं से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें जारीकर्ताओं के लिए ऐसी प्रतिभूतियों एवं चिन्हित परियोजनाओं के जारी करने के पर्यावरण उद्देश्यों को प्रकट करना अनिवार्य किया गया है।
- **2030 तक INDC के लक्ष्य** को एवं 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने में सहायता के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपना पहला ग्रीन बांड जारी कर दिया है।
यह **क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव** द्वारा प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड है।
(**क्लाइमेट बांड्स इनिशिएटिव** एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसका लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और पहलों के वित्त पोषण को बढ़ावा देना है।)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

- यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 1969 में स्थापित एक नवरत्न कंपनी है।
- नवरत्न कंपनी वह है जिसे सरकार की पूर्वानुमति के बिना 1,000 करोड़ रुपये निवेश की स्वायत्तता दी गयी है।
- यह DDUGJY (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के कार्यान्वयन के लिए *नोडल* एजेंसी है तथा UDAY (*उज्ज्वल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना)* के लिए सहायक एजेंसी है।

ग्रीन बॉन्ड को बढ़ावा देने हेतु पहल

- देश में ग्रीन ऋण बाजारों के निर्माण के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) एवं क्लाइमेट बांड्स इनिशिएटिव के द्वारा एक संयुक्त परियोजना के रूप में वर्ष 2017 के अंत में **इंडियन ग्रीन बॉन्ड काउंसिल** की स्थापना की गयी।
- COP-21 में **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कोअलीशन (GIIC)** का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य हरित अवसंरचना हेतु वित्त जुटाने के लिए निवेशकों, विकास बैंकों और परामर्शकारों हेतु मंच उपलब्ध कराना है।

2.1.4. भारत-22

(Bharat-22)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार अपने दूसरे ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) **भारत 22** की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 22 स्टॉक सम्मिलित होंगे जिनमें केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रमों (SUUTI) के अंतर्गत भारत सरकार की होल्डिंग्स भी शामिल होंगी।

भारत 22 के संबंध में

ETF में छः क्षेत्रों (मूलभूत वस्तुएँ, ऊर्जा, वित्त, FMCG, औद्योगिक और सेवा) की कंपनियों का एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो शामिल होगा।

VISION IAS

- नया ETF सरकारी कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी बेचने में सरकार की सहायता करेगा और साथ ही चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के माध्यम से 72,500 करोड़ रुपये एकत्र करने के सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायता करेगा।

ETF क्या है?

- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सूचकांक फंड हैं जो स्टॉक की तरलता और फंड को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- लगभग सूचकांक फंडों की भांति ही ये भी सूचकांक, कमोडिटी, बांड्स या परिसंपत्तियों की बास्केट को प्रतिबिंबित करते हैं।
- इनकी कीमतें दैनिक रूप से बदलती हैं, क्योंकि इनका कारोबार पूरे दिन होता है।

2.1.5 कमोडिटी ऑप्शन्स

(Commodity Options)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कोमोडिटी एक्सचेंजों को उन वस्तुओं के लिए ऑप्शन्स ट्रेडिंग प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है जिनका भारी मात्रा में व्यापार किया जाता है।
- भारत में पहली बार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्ड ऑप्शन्स को आरंभ किया गया है और इसके साथ ही स्वर्ण ऐसी पहली वस्तु बन चुका है जिसकी ऑप्शन्स ट्रेडिंग के लिए SEBI ने 14 वर्षों में पहली बार अनुमति दी है।
- **नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड** ने ग्वार बीजों के लिए भारत के पहले एग्री-कमोडिटी आप्शन का शुभारम्भ किया है। **इसे किसानों को कीमत जोखिमों से बचाने के लिए एक हेज के रूप में डिजाईन किया गया है।**

- **ऑप्शन्स**: ये ऐसे डेरीवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (जो किसी अन्य परिसंपत्ति जैसे स्टॉक ऑप्शन अथवा कमोडिटी ऑप्शन्स से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं) होते हैं जो क्रेता को भविष्य में किसी निर्धारित समय में किसी परिसंपत्ति विशेष को खरीदने अथवा बेचने का अधिकार देते हैं, किन्तु उस पर ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होती है।
- **कॉल ऑप्शन:** कॉल एक ऐसा ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट है जो खरीददार को समाप्ति तारीख तक अंतर्भूत परिसंपत्तियों को स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का अधिकार देता है।
- **पुट ऑप्शन:** पुट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट है जो धारक को किसी अंतर्भूत प्रतिभूति की किसी निर्दिष्ट मात्रा को निर्दिष्ट मूल्य पर निर्दिष्ट समय के अंदर बेचने का अधिकार देता है, किन्तु उस पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है।

ऑप्शन्स तथा फ्यूचर्स (वायदा) के बीच अंतर

- फ्यूचर्स तथा ऑप्शन्स दोनों के अंतर्गत निवेशक किसी निश्चित समय सीमा में एक पूर्वनिर्धारित मूल्य पर किसी परिसंपत्ति को खरीदने (अथवा बेचने) के लिए अनुबंध करता है।
- हालाँकि, फ्यूचर के तहत निवेशक एक समय सीमा में खरीदने अथवा बेचने (जैसा भी मामला हो) के लिए बाध्य होता है जबकि ऑप्शन्स में उसके पास ऐसा न करने का विकल्प होता है।

- ग्वार एक वर्षा-सिंचित फली वाली फसल है जिससे प्राप्त गोंद को खाद्य तथा फ्रैकिंग (तेल/गैस आदि के निष्कर्षण की एक विधि) उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है।
- विश्व के कुल ग्वार उत्पादन का 80-85% भारत में होता है।

2.1.6. सॉवरेन गोल्ड बांड योजना

(Sovereign Gold Bond Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड की नई श्रृंखला 2017 में जारी की है।

VISION IAS

सॉवरेन गोल्ड बांड क्या हैं?

- सॉवरेन गोल्ड बांड, भौतिक स्वर्ण में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। इसे **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।**
- ये भौतिक रूप में स्वर्ण रखने के विकल्प हैं। निवेशकों द्वारा इसके मूल्य का भुगतान नकद में करना होगा और बांड की परिपक्वता अवधि पर इसका भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।
- गोल्ड बांड, शेयर बाजार पर लेन-देन किए जाने योग्य होते हैं तथा उन्हें भौतिक तथा डीमैट दोनों रूपों में धारण किया जा सकता है।
- यह स्वर्ण आयात की मांग में कमी करके अप्रत्यक्ष रूप से चालू खाता घाटे में कमी करेगा।
- यह बांड **निवेशित पूंजी एवं ब्याज दोनों पर संप्रभु गारंटी देता है।**
- यह **2.50% प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर भी प्रदान करता है।**
- केवल निवासी भारतीय ही सावरेन गोल्ड बांड में न्यूनतम 1 ग्राम तथा अधिकतम 500 ग्राम प्रति वर्ष हेतु निवेश कर सकते हैं।
- बैंकों द्वारा इस प्रकार के बांड में निवेश, **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)** की गणना में मान्य होगा।

गोल्ड मार्केट के लिए अन्य समान पहल

- भारत सरकार वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल (WGC) की सहायता से लोकल फिजिकल स्पॉट-गोल्ड एक्सचेंज के निर्माण हेतु काम कर रही है।

गोल्ड काउंसिल

- यह स्वर्ण उद्योग के लिए एक मार्केट डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन है जोकि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- इसका लक्ष्य सोने की मांग को प्रोत्साहित करना और बनाए रखना, औद्योगिक नेतृत्व प्रदान करना और स्वर्ण बाजार पर वैश्विक अधिकार स्थापित करना है।
- यह देशों को स्वर्ण मानकों और हॉलमार्क विकसित करने में भी सहायता करता है।

2.1.7 पी-नोट्स मानदंड

(P-Notes Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, SEBI ने पी-नोट्स पर परामर्श पत्र जारी किया है जिससे कि पी नोट्स तथा अन्य *ऑफशोर डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स* (ODIs) को जारी करने के लिए नियमों को और सख्त किया जा सके।

पी-नोट्स / ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स

- पी-नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पी-नोट्स, अन्तर्निहित परिसम्पत्तियों के रूप में भारतीय शेयर होते हैं। वे विदेशी निवेशकों को बिना पंजीकृत हुए भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध स्टॉक खरीदने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- भारतीय शेयरों और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में कुल विदेशी निवेश का लगभग 6% निवेश पी-नोट्स के माध्यम से होता है।
- सेबी द्वारा पी-नोट्स संबंधी नियमों को कठोर बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं जैसे पी-नोट जारी करने वाले FIIs के लिए KYC मानदंडों को अपनाना, दो विदेशी निवेशकों के मध्य पी-नोटों के स्थानांतरण के लिए नए नियम आदि।

2.2 बाजार अवसंरचना संस्थान

(Market Infrastructure Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) के मानदंडों की समीक्षा के लिए सेबी (SEBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गाँधी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हैं और प्रतिभूति बाजार के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं।
- इनमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन शामिल हैं।
- यह समीक्षा वस्तुतः **बिमल जालान समिति, 2012** की सिफारिशों के अनुरूप है। इस समिति ने नियामक (सेबी) को प्रत्येक पाँच वर्ष में अवसंरचना संस्थानों की समीक्षा करने के लिए कहा था।

VISION IAS

2.3 अनुचित व्यापार आचरण पर मानदंडों की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन

(Panel to Review Norms on Unfair Trade Practices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने *इनसाइडर ट्रेडिंग* की रोकथाम (PIT) 2015, और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार आचरण की रोकथाम (PFUTP), 2003 के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग

- यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय है जो प्रतिभूतियों के बारे में गोपनीय जानकारी तक पहुंच रखता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इस आधार पर अवैध या वैध हो सकती है कि उस व्यक्ति ने प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कब किया। प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी के सार्वजनिक न होने की स्थिति में की गयी ट्रेडिंग अवैध होती है।

2.4 शेल कंपनियाँ

(Shell Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा 2.1 लाख **निष्क्रिय कंपनियों** का पंजीकरण रद्द कर किया गया है तथा उनमें से लगभग 1.07 लाख शेल कंपनियों के निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एक्सचेंजों ने बाजार की सत्यनिष्ठा (integrity) बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए **ग्रेडेड सर्विलांस मेजर्स (GSM)** जारी किए हैं।

ग्रेडेड सर्विलांस मेजर्स

- इन उपायों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के व्यापार के दौरान निवेशकों को अधिक सतर्क रहने के लिए सचेत करना एवं सलाह देना।
  - बाजार प्रतिभागियों को इन प्रतिभूतियों के व्यापार के दौरान उचित जांच-पड़ताल करने की सलाह देना।
- निगरानी के लिए चिन्हित होने के बाद किसी फर्म को निगरानी के छः चरणों से गुजरना होता है और उन प्रतिभूतियों के व्यापार पर उत्तरोत्तर अधिक प्रतिबंध आरोपित होते जाते हैं।
- सेबी, ऐसी कंपनियों के शेयरों को सस्पेक्टेड प्राइस रिगिंग उपायों या 'शेल कंपनियों' के दायरे में रख सकती है।

शेल कंपनियाँ क्या हैं?

- ये ऐसी कम्पनियाँ हैं जो **सक्रिय व्यावसायिक संचालनों के बिना भी महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियाँ रखती हैं**। इन्हें वैध और अवैध दोनों प्रयोजनों के लिए स्थापित किया जा सकता है।
  - **वैध प्रयोजन** में धन जुटाकर किसी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
  - **अवैध उद्देश्य** में कानून प्रवर्तन से स्वामित्व छुपाना, अवैध धन का शोधन करना एवं कर अपवंचन शामिल है।
- भारत में शेल कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य विधान के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। **निष्क्रिय कंपनी और शेल कंपनी दोनों भिन्न** होती हैं।
- एक निष्क्रिय कंपनी वह कंपनी होती है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के अनुपालन की आवश्यकताओं के तहत *रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज* से **'निष्क्रिय'** स्टैटस का दर्ज़ा प्राप्त किया हो,अथवा, कम्पनी ने लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए *एनुअल रिटर्न* नहीं भरा हो।

VISION IAS

2.5 वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) और वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA)

[Financial System Stability Assessment (FSSA) and Financial Sector Assessment (FSA)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्रक आंकलन कार्यक्रम के अंग के रूप में, भारतीय वित्त व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रणाली स्थिरता आंकलन (FSSA) तथा वित्तीय क्षेत्रक आंकलन (FSA) ज़ारी किया गया है।

वित्तीय क्षेत्रक आंकलन कार्यक्रम

यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा संचालित एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसी देश के वित्तीय क्षेत्र की व्यापक तथा गहन समीक्षा की जाती है।

- इसे सितंबर 2010 से, प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों के साथ, भारत सहित 25 (वर्तमान में 29) राष्ट्रों (jurisdictions) में संचालित किया जा रहा है।
- यह भारत के लिए आयोजित द्वितीय व्यापक FSAP था। भारत के लिए अंतिम FSAP का आयोजन 2011-12 में किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से संबंधित अन्य तथ्य

इन दोनों संस्थाओं की स्थापना 1944 में आयोजित ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी।

विश्व बैंक

- इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर दो लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है:
  - प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3% से तक कम करके अति निर्धनता को समाप्त करना।
  - प्रत्येक देश की निचले स्तर की 40% जनसंख्या की आय वृद्धि को तीव्रता प्रदान करना।
- विश्व बैंक समूह के अंतर्गत पांच संगठन शामिल हैं:
  - इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट
  - इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन
  - इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन
  - मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी
  - इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट।
- विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए, किसी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है।
- सदस्य देशों को सदस्यता ग्रहण करते समय

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

- यह एक सहकारी संस्था है, इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली-विनिमय दरों और अंतरराष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली में स्थिरता को सुनिश्चित करना है।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर एक कोटा निर्धारित किया गया है।
- सदस्य देश को अंशदान की मात्रा, वोटिंग के अधिकार और कोष के वित्त तक पहुंच का आवंटन, सदस्य विशेष के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर किया जाता है।
- IMF को ऋण प्रदान करने के लिए अधिकांश संसाधन मुख्यतः सदस्य देशों द्वारा किये गये कोटे के भुगतान से प्राप्त होते हैं।
- IMF विशेष आहरण अधिकारों (SDR) के आवंटन के माध्यम से अपने सदस्य देशों में मुद्रा भंडार की आपूर्ति करता है।
- SDR: यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्याज आरक्षित परिसंपत्ति है। इसे सरलता से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं में परिवर्तित किया जा सकता है। SDR का मूल्य पांच प्रमुख मुद्राओं-अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी (RMB), जापानी येन और

VISION IAS

वोटों का आवंटन किया जाता है और तत्पश्चात पूंजी की अंशधारिता के आधार पर भी अतिरिक्त वोट आवंटित किये जाते है। प्रत्येक संगठन (विश्व बैंक समूह के पांच संगठन) में वोटों का आवंटन अलग-अलग किया जाता है।	ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के आधार पर निर्धारित होता है। • SDR सोने, विदेशी मुद्रा और रिज़र्व ट्रैन्च के साथ-साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण घटक है। • रिज़र्व ट्रैन्च (आरक्षित वित्त), सदस्य देशों के निर्धारित कोटे का एक भाग होती है जिसे प्रत्येक सदस्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को प्रदान करना अनिवार्य है। इसका प्रयोग IMF द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजन हेतु बिना किसी सेवा शुल्क के किया जाता है।

3. राजकोषीय

(FISCAL)

3.1. सरकार द्वारा राजस्व घाटा लक्ष्यीकरण का त्याग

(Government Abandons Revenue Deficit Targeting)

सुर्खियों में क्यों?

बजट 2018 में, FRBM अधिनियम में पर्याप्त संशोधन के माध्यम से, अगले वर्ष से राजस्व घाटा कम करने के लिए किये जाने वाले लक्ष्यीकरण (टार्गेटिंग) को त्यागने का प्रस्ताव किया गया है।

N.K. सिंह (FRBM समीक्षा) समिति की अनुशंसाएँ

- GDP और सार्वजनिक ऋण के अनुपात को भारत में राजकोषीय नीति के लिए मध्यम अवधि का एंकर (medium-term anchor) माना जाना चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्यों का संयुक्त GDP से ऋण अनुपात 2023 तक कम करके 60% के स्तर पर लाया जाना चाहिए (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% सहित) जो वर्तमान में क्रमश: 49.4% और 21% है।
- राजकोषीय समेकन के लिए, केंद्र को अपना राजकोषीय घाटा वर्तमान 3.5% (2017) से कम करके 2023 तक 2.5% करना चाहिए। समिति ने चक्रीय उतार-चढ़ाव के साथ समायोजन करने के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य के लिए 0.5% **एस्केप क्लॉज़** निर्धारित किया है।
- केंद्र सरकार को, 2017 में 2.3% के अनुमानित मान से 2023 तक 0.8% के मान तक पहुंचने के लिए हर वर्ष स्थिर रूप से अपने राजस्व घाटे में 0.25 प्रतिशत (GDP का) तक की कमी लानी चाहिए।
- इसने एक 'राजकोषीय परिषद' की स्थापना का सुझाव दिया है, जो स्वतंत्र निकाय होगा। इसे किसी भी दिए गए वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय घोषणाओं की निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा।

इस निर्णय के पीछे तर्क

- भारत जैसे देश में, जहाँ अनेक विकास घाटे (डेवलपमेंट डेफिसिट) विद्यमान हैं, वहाँ राजस्व घाटे पर आवश्यकता से अधिक बल देना समतापूर्ण विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।
- मानव पूंजी विकास पहलें, जो राजस्व व्यय की प्रकृति की हैं, उत्पादकता में सुधार के लिए भवनों और सड़कों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें विद्यालय, अस्पताल और परिसंपत्तियों का रख-रखाव शामिल है। इस प्रकार, सरकार के पूंजी और राजस्व व्यय में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है तथा जो अंतर है भी, वो कृत्रिम अधिक है, वास्तविक कम।
- N.K. सिंह समिति ने भी राजस्व घाटा कम करने की अनुशंसा की थी।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- **राजस्व घाटा** राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता या राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त ऋण की सीमा को संदर्भित करता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि क्या सरकार का दिन प्रति दिन का व्यय सरकार की दिन प्रति दिन आय से पूरा किया जा सकता है? **FRBM अधिनियम 2003** में इस घाटे को **2008-09 तक पूर्णतः शून्य** करने का लक्ष्य रखा गया था।
- **प्रभावी राजस्व घाटा** = राजस्व घाटा - पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान।
- **राजकोषीय घाटा** कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। इसके माध्यम से वह राशि ज्ञात होती है जिसे सरकार को अपना वार्षिक लक्ष्य पूरा करने के लिए ऋण के रूप में लेना होता है।
- **प्राथमिक घाटे** का मापन, राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाकर किया जाता है। इससे पता चलता है कि यदि किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो इस विशेष वर्ष के लिए राजकोषीय

VISION IAS

घाटा कैसा होता। इसमें पिछले वित्तीय वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की अवहेलना की जाती है।

- **पूंजीगत व्यय:** वह व्यय जिसके परिणामस्वरुप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण या वित्तीय देनदारियों में कमी होती है।
- **राजस्व व्यय:** केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों से संबंधित होता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 (संशोधित 2015)

- यह अधिनियम केंद्र सरकार पर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और प्रभावी राजस्व प्रबंधन के साथ एक संतुलित बजट प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नियम निर्धारित करता है।
- **लक्ष्य**: 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और 2008-09 के अंत तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक सीमित करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रभावी राजस्व घाटे को जीडीपी के 0.5% के समान राशि या उससे अधिक तक कम किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015-2016 से प्रारम्भ होगा।
- राजस्व घाटे में GDP के 0.4% के समान राशि या उससे अधिक की वार्षिक कमी करके, इसे 31 मार्च 2018 तक GDP के 2% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान किया गया ।

3.2 मध्यम-अवधि के व्यय की रूपरेखा का वक्तव्य (MTEF)

(Medium-Term Expenditure Framework Statement (MTEF)

सुर्खियों में क्यों?

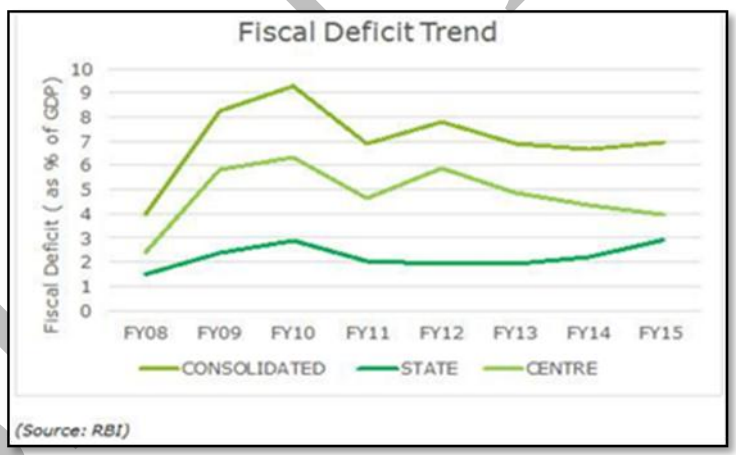

हाल ही में, संसद में MTEF विवरण को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंतर्निहित मान्यताओं और सम्मिलित जोखिमों के साथ व्यय हेतु तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

11 वर्षों में पहली बार, 2015-16 में भारत के 29 राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के अनुपात में, 3% की सीमा से अधिक हो गया। इस सीमा की अनुशंसा वित्त आयोगों द्वारा निरंतर की जाती रही है।

निम्नस्तरीय समेकन के कारण

- राज्यों के ऋण में अचानक वृद्धि का कारण UDAY हेतु DISCOMs का पुनर्गठन है।
- साथ ही, क्राउडिंग आउट के कारण निजी निवेश कम हो रहे हैं और राज्य सरकारें परिवहन, सिंचाई, बिजली आदि पूंजीगत व्ययों की प्रमुख अंशदाता बन गई हैं।

पृष्ठभूमि

- **FRBM अधिनियम, 2003 की धारा 3** के अनुसार संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं:
  - मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति वक्तव्य
  - राजकोषीय नीति का रणनीतिक वक्तव्य
  - व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य
- वार्षिक बजट के साथ इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, बाद में बजट सत्र के तुरंत बाद संसद में MTEF विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 3 में संशोधन किया गया।
- MTEF का उद्देश्य है-
  - वार्षिक बजट और **FRBM** विवरण के बीच **निकटतम एकीकरण** प्रदान करना।

- वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्यम अवधि का परिप्रेक्ष्य प्रदान करना और **राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ाना**।
- विभिन्न योजनाओं पर सरकार के व्यय पैटर्न पर ध्यान देने के लिए योजना अनुसार अनुमान MTEF विवरण के साथ संलग्न किया गया है।

3.3. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश में तेजी लाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- इससे पूर्व सरकार ने NHPC, कोल इंडिया और ONGC में विनिवेश की स्वीकृति दी थी।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा प्रशासनिक विभाग मंत्री से मिलकर बनने वाले एक **वैकल्पिक तंत्र (AM)** का प्रस्ताव किया था। इसे **रुचियों की अभिव्यक्तियाँ** (Expression of Interests : EOIs) आमंत्रित करने के चरण से लेकर वित्तीय बोली आमंत्रित करने तक बिक्री का निर्णय लेना था।

विनिवेश क्या है?

- विनिवेश या डाइवेस्टिचर (divestiture) से आशय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (PSE) में अपनी परिसम्पत्तियों या अंशों को बेचने अथवा परिनिर्धारित करने से है।
- इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग (FPO) ऑफर फॉर सेल (OFS) और **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम (IPP), CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड** के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और **सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)** विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है।
- विनिवेश आय सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करने में सहायता करती है।

राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF)

- इसका निर्माण 2005 में किया गया था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त संपूर्ण आय को इस कोष में दिशानिर्देशित किया गया।
- यह सरकारी लेखे के अधीन एक `लोक लेखा` है और यह राशि तब तक यहीं रहती है जब तक इसे अनुमोदित उद्देश्यों के लिए निकाला/निवेशित न किया जाए।
- NIF का संग्रह स्थायी प्रकृति का रहना था और इसकी प्रबंध व्यवस्था पेशेवर तरीके से की जानी थी ताकि संग्रह को कम किए बिना सरकार को स्थायी आय प्राप्त हो सके।
- सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा म्यूचुअल फंड को NIF संग्रह के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था।
- इस योजना के अनुसार NIF से होने वाली 75% आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की चुनिंदा स्कीमों, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा दें, का वित्त पोषण करने के लिए किया जाना था। NIF की शेष 25% आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य PSUs में पूंजीनिवेश के लिए किया जाना था।

NIIF का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है:

- CPSE द्वारा राइट्स बेसिस पर जारी किए जा रहे शेयरों का पूर्वक्रय करना
- प्रवर्तकों को CPSE के शेयरों का अधिमानी आवंटन
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनर्पूंजीकरण
- RRBs/IIFCL/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में सरकार द्वारा निवेश
- विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी लगाना
- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश
- भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए निवेश

VISION IAS

3.4. आर्थिक सलाहकार परिषद

(Economic Advisory Council)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार द्वारा बिबेक देबराय (नीति आयोग के सदस्य) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के लिए पांच सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) के गठन की घोषणा की गयी है।

EAC-PM का इतिहास:

पहली बार इसका गठन 29 दिसंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सी. रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था।

विवरण

- EAC-PM आर्थिक एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, को सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
- डॉ. बिबेक देबराय (अध्यक्ष), डॉ. सुरजीत भल्ला, डॉ. रथिन रॉय, डॉ. अशिमा गोयल, रतन वाटल इस नवगठित पांच सदस्यीय परिषद के सदस्य हैं।
- EAC-PM की संदर्भ-शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किए गए किसी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना एवं उन्हें उसके संबंध में परामर्श प्रदान करना; व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना एवं उनके संबंध में प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करना।
  - यह स्वतः संज्ञान (suo moto) से अथवा प्रधानमंत्री या अन्य किसी प्राधिकारी के द्वारा कोई मुद्दा संदर्भित किये जाने पर कार्य करेगी। इसके अलावा, यह समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य कार्य संपन्न करेगी।

3.5. वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र

(Financial Data Management Centre)

सुर्खियों में क्यों?

- **विधि मंत्रालय** ने वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (**FDMC**) के निर्माण पर संशोधित कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह केंद्र आगे चलकर विभिन्न वित्तीय नियामकों से सीधे अशोधित आंकड़े एकत्र करेगा।

यह क्या है?

- FSDC के तत्वावधान में FDMC के गठन का विचार पहली बार अजय त्यागी की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्तुत किया था। 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा भी इसकी चर्चा की गई थी।
- इस प्रकार का डेटा संग्रह, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) को सर्वांगी जोखिमों और प्रणालीगत रुझानों पर शोध करने में सहायता प्रदान करेगा।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- FSDC का गठन दिसंबर, 2010 में किया गया था।
- परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है।
- FSDC वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के बृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों से संबंध रखता है।

VISION IAS

4. कराधान

(TAXATION)

4.1. वस्तु एवं सेवा कर

(Goods and Services Tax)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने GST के तहत "रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म" का उल्लेख किया था।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (Reverse Charge Mechanism)

- इस मैकेनिज्म के तहत अपंजीकृत व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने की स्थिति में कर-भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के प्राप्तकर्ता की होती है।
- सामान्यतः, आपूर्तिकर्ता कर भुगतान करने हेतु और इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि लागू हो, का लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन इस स्थिति में मैकेनिज्म विपरीत रूप से कार्य करता है।

GST काउंसिल ने "रिवर्स चार्ज" हेतु सेवाओं की 12 श्रेणियों को निर्दिष्ट किया है और इसमें रेडियो टैक्सी और अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के समूह/कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं आदि भी शामिल की गयी हैं।

GST की एक फोर-स्लैब संरचना : 5% (बुनियादी जरूरतों पर), 12%, 18% और 28% (विलासिता सामग्री पर) अपनाने का फैसला किया गया।

GST कार्यान्वयन तंत्र

GST परिषद

- अनुच्छेद 279 A के अंतर्गत यह एक संवैधानिक संस्था है जो GST से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु बनायी गयी है|
- इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
  - केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष
  - केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त के प्रभारी
  - प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त मंत्री या कराधान मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री

GSTN (GST नेटवर्क)

- यह गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो GST के कार्यान्वयन हेतु मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना और सेवाएँ मुहैया कराने हेतु स्थापित की गई है।
- **GST सुविधा प्रोवाइडर्स (GSP)**: ये व्यवस्था के साथ सम्पर्क स्थापित करने के इच्छुक करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए अभिनव और सुविधाजनक माध्यम प्रदान करने वाले थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता हैं।

GST का महत्व:

- GST में केन्द्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, जैसे- सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अधिभार (surcharge) और उपकर (cess) तथा राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करारोपण जैसे वैट, प्रवेश कर आदि। साथ ही यह 'एक देश-एक कर-एक बाज़ार' सिद्धांत लेकर आएगा।
- **GDP में 1.5 से 2% तक की वृद्धि** का अनुमान है।
- **सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित** करना।
- **कास्केडिंग इफ़ेक्ट नहीं :** GST करों की कास्केडिंग को रोकता है क्योंकि यह एक गंतव्य आधारित उपभोग कर एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध होगा।
- **ईज आफ़ डूइंग बिज़नेस:** कर से सम्बंधित कानूनों, प्रक्रियाओं व दरों के समायोजन से करों की भुगतान संस्कृति को मजबूती मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरे जायेंगे तथा साथ ही इनपुट क्रेडिट का सत्यापन ऑनलाइन होने से यह विभिन्न टैक्स अधिकारियों की आवश्यकता को कम करेगा और यह 'इनवॉइस शॉपिंग' को भी हतोत्साहित करेगा।

VISION IAS

- **कर अपवंचन को कम करना**: SGST और IGST (वस्तु और/या सेवाओं की सभी अंतरराज्यीय आपूर्तियों पर आरोपित टैक्स) की एकसमान दर, दरों में हेर-फेर को समाप्त करके, वस्तुओं के मूल्यवर्द्धन पर आरोपित सेल्फ-पुलिसिंग सुविधा द्वारा तथा अनुपालन लागत में कमी करके अपवंचन को हतोत्साहित करेगी।
- **उपभोक्ता पर प्रभाव -** अनाज सहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट में कर की दर शून्य होगी जिससे बिना उपभोक्ताओं पर बोझ डाले, उन्हें GST श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

चुनौतियां

- **संसदीय एवं विधायी स्वायत्तता से सम्बंधित मुद्दा**: GST काउंसिल (एक कार्यकारी निकाय) बहुमत के आधार पर अंतिम निर्णय प्रदान करेगी जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के भारित वोटों के तीन-चौथाई बहुमत से कम न हो (कुल मतदान में केंद्र का भारांश 33% और राज्यों का 66% होता है)।
- **शहरी स्थानीय निकायों** को GST के अंतर्गत स्थानीय निकाय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर रद्द किए जाने के बाद एक विशाल राजकोषीय अन्तराल से निपटना पड़ेगा।
- **अपवाद और विभिन्न कर दरों की सूची** - पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन, शराब जैसी कई वस्तुओं को बाहर रखे जाने से और 4 अलग-अलग दरों के होने से 'एक देश-एक कर' का सिद्धांत कमजोर होता है।

4.1.1. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

(National Anti-Profiteering Authority)

सुर्खियों मे क्यों ?

- वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद ने **राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) के गठन को मंजूरी प्रदान की है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर कटौती के लाभ को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।**

मुनाफाखोरी से अभिप्राय व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेर-फेर, कर की दरों में समायोजन इत्यादि द्वारा अनुचित लाभ कमाने से है।
GST के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि जब GST दरों में कटौती की जाती है तो भी व्यापारी कीमतों में कटौती नहीं करते हैं।
इनपुट टैक्स क्रेडिट निर्माताओं को इनपुट पर दिए गए कर को घटाकर शेष राशि (आउटपुट पर दिये जाने वाले कर) का भुगतान करने के लिए सक्षम बनाता है।

NAA के बारे में अतिरिक्त जानकारी

- NNA के **साथ, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियां और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) में सेफगार्ड महानिदेशालय** को भी मुनाफाखोरी विरोधी उपायों के तहत स्थापित किया गया है।
- अगर अनुचित लाभ को प्राप्तकर्ता (उपभोक्ता) को वापस न किए जा सके तो इस स्थिति में इसे **उपभोक्ता कल्याण निधि** में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- चरम मामलों में, NAA दोषी व्यवसायिक इकाई पर जुर्माना लगा सकता है और यहां तक कि GST के तहत उसके पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दे सकता है।
- मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने के मामले में, NAA संबंधित आपूर्तिकर्ता/व्यवसाय को अपनी कीमतों को कम करने या उसके द्वारा लिए गए अनुचित लाभ को सेवाओं के प्राप्तकर्ता को ब्याज के साथ वापस करने के लिए आदेश दे सकता है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

- इस कोष की स्थापना **राजस्व विभाग** द्वारा की गयी है इसे **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा** द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- उपभोक्ता कल्याण कोष का उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उनके संरक्षण तथा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

VISION IAS

4.1.2 GST ई-वे बिल

(GST E-Way Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ई-वे बिल का उद्देश्य GST के अंतर्गत वस्तुओं की आवाजाही पर नज़र रखना है। इसे 1 अप्रैल, 2018 से अंतरराज्यीय व्यापार हेतु अनिवार्य बनाया जाना है।

ई-वे बिल क्या है?

- ई-वे बिल एक दस्तावेज़ है। सरकार द्वारा अधिदेशित GST अधिनियम की धारा 68 के अनुसार नए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं को 10 किमी. से बाहर बिक्री के लिए ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ई-वे बिल को ले जाना अनिवार्य होता है।
- यह प्रत्येक राज्य में वस्तुओं के आवागमन के लिए एक अलग पारगमन पास की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- इसे वस्तुओं को भेजने से पहले पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा GST कॉमन पोर्टल से जारी किया जाता है।

4.1.3 वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

(Directorate Genral of Goods & Services Tax Intelligence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने रत्न और आभूषणों के क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के सम्बन्ध में वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGSTI) को नियामक बनाने हेतु *मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन (मैंटेनैंस ऑफ़ रेकॉर्ड्स) एक्ट* 2005 (PMLA) में संशोधन किया।

DGGSTI के सम्बन्ध में:

- यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (DGCEI) को दिया गया नया नाम है। यह राजस्व विभाग के CBEC के अंतर्गत कार्य कर रही शीर्ष आसूचना संस्था है।
  - यह उन बहुमूल्य धातुओं, पत्थरों या अन्य उच्च मूल्य की वस्तुओं के सन्दर्भ में कार्य करेगी जिनका पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक का रहा हो।
  - इसे सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। यह देश भर में अपने गुप्त सूचना तन्त्र के माध्यम से कर चोरी के नए क्षेत्रों से संबंधित आसूचना प्राप्त करता है। यह शुल्क या कर चोरी की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में भी सतर्क करता है।

PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट)

- **मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002** भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कानून है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग **के माध्यम से अर्जित की गयी सम्पत्ति को जब्त** करने के लिए पारित किया गया था।
- अधिनियम और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों द्वारा **बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों** और मध्यस्थों को **ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित** करने, रिकार्ड रखने और सूचना को निर्धारित प्रारूप में **फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND)** को प्रेषित करने का दायित्व सौंपा गया है।

FIU-Ind

- भारत सरकार द्वारा 2004 में मनी लॉन्डरिंग के दुरुपयोग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य आर्थिक अपराधों से वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण वित्तीय आसूचनाएँ (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस) प्रदान करने हेतु वित्तीय आसूचना इकाई- भारत (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया) की स्थापना की गई है।
- यह एक स्वतंत्र संस्था है जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद् (इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कौंसिल-EIC) को सीधे रिपोर्ट करती है।
- यह एक बहु-विषयक संस्था है, जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (CBEC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

VISION IAS

(SEBI), कानूनी मामलों के मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्यों शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय

- यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेषीकृत वित्तीय जांच एजेंसी है।
- यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) और प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को लागू करने हेतु उत्तरदायी है।
- इसे PMLA अपराध के अपराधियों के विरुद्ध सर्वे, खोज, जब्ती, गिरफ्तारी, और अभियोजन संबंधी कार्यवाही आदि करने की शक्ति प्राप्त है।

4.2 पूंजीगत लाभ कर नियम

(Capital Gains Tax Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वैसे प्रतिभूति लेन-देन जहां प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax: STT) का भुगतान नहीं किया गया है, वहां पर पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

पूंजीगत लाभ कर

पूंजीगत लाभ कर वह कर होता है जो किसी निवेशक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत लाभ या मुनाफे पर तब लगाया जाता है जब वह खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचता है। पूंजीगत लाभ कर केवल तभी आरोपित होता है जब किसी परिसंपत्ति से आय प्राप्त की जाती है। जब निवेशक उसे धारित किए होता है तब इसे आरोपित नहीं किया जाता है।

- भारत में दो प्रकार के पूंजीगत लाभ कर हैं; अल्पावधिक (36 माह के भीतर प्राप्त किया गया पूंजीगत लाभ) और दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ कर (36 महीने से अधिक समय में प्राप्त)
- वित्त मंत्री द्वारा अपने 2018 के बजटीय भाषण में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण से उत्पन्न लाभ पर **दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर पुनःआरोपित** करने का प्रस्ताव दिया है।
- **SST**, देश में एक अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों के कर योग्य लेन-देन के मूल्य पर देय प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है।
- SST निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर लागू होता है- शेयर, बांड, डिबेंचर, डेरिवेटिव, किसी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी इकाइयां, इक्विटी बेस्ड गवर्नमेंट राइट्स या प्रतिभूतियों पर देय ब्याज और इक्विटी म्यूचुअल फंड।
- ऑफ-मार्केट शेयर ट्रांन्जैक्शन, SST के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

4.3. न्यूनतम वैकल्पिक कर

(Minimum Alternate Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने विदेशी कंपनियों की कुछ श्रेणियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) समाप्त करने की योजना का निर्माण किया है। यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2001-02 के साथ-साथ उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

4.4. प्रोजेक्ट इनसाइट

(Project Insight)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयकर विभाग द्वारा प्रोजेक्ट इनसाइट का शुभारंभ किया गया।

सरकार ने मौजूदा आयकर अधिनियम,1961 को प्रतिस्थापित कर, **नए प्रत्यक्ष कर कानून** का मसौदा तैयार करने के लिए **अरबिन्द मोदी** के नेतृत्व में छः सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

प्रत्यक्ष कर संहिता के अभीष्ट लाभ

- **अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार**
- **कर आधार को विस्तृत करना**
- **अप्रत्यक्ष कर को कम करना**

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नए ऐप **आयकर सेतु** का शुभारंभ किया है, जो उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष करों के विभिन्न पहलुओं को समझने, आयकर फाइल करने, पैनकार्ड के लिए आवेदन करने, TDS स्टेटमेंट की जांच करने और उपयुक्त अधिकारियों के साथ शिकायतों को साझा करने में सहायता करता है।

विवरण

- यह टैक्स आधार को विस्तृत और गहन करने तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त जानकारी की **डेटा माइनिंग, संग्रहण, परितुलन और प्रसंस्करण** में सहायता करेगा।
- यह विभाग को उच्च मूल्य लेन-देन (ट्रांजैक्शन) की निगरानी और काले धन के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता करेगा।
- यह सोशल मीडिया साइटों से प्राप्त जानकारियों का मिलान करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स (big data analytics) का उपयोग करेगा, ताकि व्यय पैटर्न और आय घोषणा के मध्य असंगति का पता लगाया जा सके।
- विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (CRS) के कार्यान्वयन के लिए भी नई तकनीकी अवसरंचना का लाभ उठाया जाएगा।

FATCA IGA

- कर मामलों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) को कार्यान्वित करने हेतु अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- FATCA का लक्ष्य, अमेरिका के करदाताओं द्वारा अन्य देशों में धारित खातों की जानकारी प्राप्त करना है।
- IGA के अनुसार, भारत में विदेशी वित्तीय संस्थान (FFIs) अमेरिकी खाताधारकों की कर सूचना सीधे भारत सरकार को प्रदान करेंगे, जो बदले में, यह जानकारी अमेरिका को प्रसारित करेगी।

4.5. द्विपक्षीय ट्रान्सफर प्राइसिंग पॉलिसी में रियायत

(Relaxation on Bilateral Transfer Pricing Policy)

सुर्खियों में क्यों ?

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** द्वारा **म्युचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर (MAP)** और **एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स (APAs)** के मानदंडों में रियायत प्रदान की गयी है।

यह क्या है ?

- APAs और MAP हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों में वैकल्पिक कर विवाद तंत्र हैं।
- APA करदाता और कम से कम एक कर प्राधिकरण (द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले दो देशों में से कोई एक) के मध्य एक अनुबंध है, जो करदाता द्वारा अपनी संबंधित-कंपनी के लेन-देन पर लागू की जाने वाली मूल्य-निर्धारण प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। इस पर लेन-देन होने से पहले हस्ताक्षर किया जाता है।
- MAP एक उपाय है, जिसके माध्यम से करदाता अपने देश में उस दशा में राहत प्राप्त कर सकता है, यदि उसे लगता है कि उस पर दोनों देशों के मध्य हुई द्विपक्षीय संधि की शर्तों के अनुसार कर नहीं लगाया जा रहा है।
- हाल ही में प्रदत्त रियायतों से पूर्व, आयकर विभाग केवल उन देशों से द्विपक्षीय APAs और MAP स्वीकृत कर सकते थे, जिनके साथ DTAA में ऐसे समायोजन हेतु उपबंध किया गया हो।

VISION IAS

ट्रान्सफर प्राइसिंग मामलों में 'अनुरूप समायोजन' उपबंध के अनुसार, यदि DTAA-हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा कंपनी पर कर की मांग में वृद्धि की गयी है, तो भारतीय राजस्व अधिकारी भारत में स्थित मूल कंपनी की कर देयता को कम कर देंगे।

ट्रान्सफर प्राइसिंग :

- ट्रांसफर प्राइस (हस्तांतरण मूल्य) वह मूल्य है, जिस पर किसी एक कंपनी के विभिन्न खंड/इकाइयां एक-दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं, जैसे कि विभागों के मध्य आपूर्ति या श्रम का व्यापार। ट्रांसफर प्राइस का उपयोग तब होता है, जब कंपनियां अपने खण्डों/इकाइयों को वस्तुओं का विक्रय करती हैं, परन्तु यह खंड अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं।

दोहरा कराधान निवारण समझौता (DTAA):

- यह समान करदाता को दोहरे कराधान से बचाने हेतु दो देशों के मध्य कर संधि है।

5. बाह्य क्षेत्रक

(EXTERNAL SECTOR)

5.1. विश्व व्यापार संगठन का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(WTO Ministerial Conference 11)

सुर्खियों में क्यों?

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) दिसंबर, 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में संपन्न हुआ। हालाँकि MC11 के अंत में सदस्य मंत्रिस्तरीय घोषणा पर सहमत होने में विफल रहे।

विश्व व्यापार संगठन

- यह देशों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार, अबाध रूप से, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से हो।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- विश्व व्यापार संगठन सामान्यतः विभिन्न समझौतों के माध्यम से विश्व व्यापार के तीन खंडों को कवर करता है- वस्तु, सेवा और बौद्धिक संपदा अधिकार।

'महिलाओं तथा व्यापार' पर ब्यूनस आयर्स घोषणा -

यह घोषणा आइसलैंड और सिएरा लियोन की सरकारों के नेतृत्व में की गई थी। यह घोषणा व्यापार हेतु बाधाओं को शीघ्रता से समाप्त कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की माँग करती है। भारत ने इस घोषणा का समर्थन नहीं किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग से संबंधी मुद्दा: खाद्य सुरक्षा या अन्य कृषिगत मुद्दों के संबंध में पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ था। कुछ सरकारों द्वारा पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों का उपयोग आवश्यकता के समय लोगों के लिए आहार क्रय, संचय और वितरण करने के लिए किया जाता है। हालांकि खाद्य सुरक्षा एक वैध नीतिगत उद्देश्य है। कुछ स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को उस दशा में व्यापार को विकृत करने का कारण माना जाता है, जब इनके अंतर्गत सरकार द्वारा तय कीमतों पर किसानों से क्रय किया जाता है, जिसे "समर्थित" या "प्रशासित" कीमतों के रूप में जाना जाता है।

- कृषि समझौते (*अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर*) के अनुसार, किसी विकासशील देश का खाद्य सब्सिडी बिल उत्पादन मूल्य के 10% की सीमा (1986-88 को आधार वर्ष मानते हुए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - भारत और अन्य विकासशील देश खाद्य सब्सिडी पर लगाई गई उच्चतम सीमा के आकलन के सूत्र एवं आधार वर्ष में सुधार करने हेतु माँग करते रहे हैं। इसका कारण इस सीमा का घरेलू खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए कम होना है।
  - अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर 2013 में बाली में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में WTO के सदस्यों ने ***पीस क्लॉज*** **नामक** एक कार्य प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही इस बैठक में ब्यूनस आयर्स में होने वाली 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में स्थायी समाधान के लिए समझौता वार्ता करने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।
  - ***पीस क्लॉज*** के अंतर्गत, WTO के सदस्यों ने विकासशील देशों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के किसी उल्लंघन को WTO के विवाद निपटान फोरम में चुनौती न देने पर सहमति व्यक्त की थी। यह *क्लॉज़* खाद्य भंडार मुद्दे पर स्थायी समाधान होने तक जारी रहेगा।
  - WTO नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2015 (नैरोबी पैकेज) में विकसित देशों द्वारा कुछ कृषिगत उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों से निर्यात सब्सिडी को तुरंत समाप्त करने की मांग की गयी है, जबकि विकासशील देशों हेतु इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

VISION IAS

- **AOA के तहत सब्सिडी के विभिन्न बॉक्स निम्नलिखित हैं:**
  - **ग्रीन बॉक्स सब्सिडी:** ऐसी सब्सिडी जिसका उत्पादन पर व्यापार को विकृत करने संबंधी प्रभाव नहीं होता या न्यूनतम होता है। इन सब्सिडियों को WTO व्यवस्था के तहत अनुमति प्रदान की गयी है; उदाहरण के लिए सरकारी सेवाओं जैसे अनुसंधान, रोग नियंत्रण, बुनियादी ढाँचा, खाद्य सुरक्षा आदि।
  - **एम्बर बॉक्स सब्सिडी या AMS:** उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के रूप में पहचाने जाने वाले सभी घरेलू समर्थित उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में शामिल किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, MSP, प्रोक्योरमेंट प्राइस पर सब्सिडी तथा उर्वरक, पानी, ऋण, बिजली जैसे क्षेत्रों में निवेश पर सब्सिडी की कुल राशि।
  - **ब्लू बॉक्स सब्सिडी:** इसमें प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की गयी सब्सिडियाँ शामिल होती हैं, इन्हें तब तक अनिश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक यह भुगतान उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ा हो। यह "शर्तों सहित एम्बर बॉक्स" है जिसमें शर्तें विकृति को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। सामान्य रूप से एम्बर बॉक्स में आने वाले समर्थन को तब ब्लू बॉक्स में रखा जाता है जब इस समर्थन से किसानों का उत्पादन सीमित किया जा रहा हो।
  - **स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स (S&DT): S&DT** उपायों में सामान्यतः किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट, उर्वरक जैसी कृषि इनपुट सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदत्त सब्सिडी शामिल होती है। ये सब्सिडी विकासशील देशों में केवल निम्न आय और संसाधनों की कमी वाले उत्पादकों (अर्थात् गरीब किसानों) को प्रदान की जानी चाहिए।
- **स्पेशल सेफ़गार्ड मैकेनिज्म (SSM) के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं हुआ:** SSM पर दोहा राउंड में सहमति व्यक्त की गयी थी। यह विकासशील देशों को आयात वृद्धि या कीमतों में कमी से निपटने के लिए अस्थायी रूप से टैरिफ जुटाने की अनुमति प्रदान करता है।

5.2. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग

(Base Erosion and Profit Shifting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत और 68 अन्य देशों ने मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट (Multilateral Instrument : MLI) नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि भारत के GAAR नियमों को प्रभावित कर सकता है।

विवरण

- MLI एक ऐसा अद्वितीय दस्तावेज है जो **OECD के बहुपक्षीय कन्वेंशन द्वारा बेस इरोसन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) को प्रतिबंधित करने हेतु कर-संधि संबंधी मानकों को लागू करने के लिए** बनाया गया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉरीशस और सिंगापुर जैसे देशों ने MLI पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- जिन देशों ने MLI पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें अपनी घरेलू प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका अनुसमर्थन करना होगा।
- MLI एक मिलान प्रक्रिया (matching process) के माध्यम से कार्य करता है. इसमें दो देश समझौते के कुछ प्रावधानों, जिन पर वे सहमत नहीं हों, को परस्पर सहमति से हटा सकते हैं।
- भारत के मामले में GAAR में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विवादों की स्थिति में घरेलू कानूनों को किसी भी ऐसे अन्य कानून पर वरीयता प्राप्त होगी जिनसे MLI नियमों को लेकर टकराव उत्पन्न हो सकता हो।

बेस इरोसन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- BEPS परियोजना, 2012 में जी -20 द्वारा अनुमोदित OECD की एक पहल है।
- BEPS ऐसी कर परिहार रणनीतियों को संदर्भित करता है जो नियमों में अंतराल और असंगति का उपयोग कर, कृत्रिम रूप से लाभ का स्थानान्तरण कम या बिना कर वाले स्थानों पर करती हैं।

- हस्तांतरण मूल्य (Transfer pricing) भी BEPS के अंतर्गत एक प्रमुख विवादास्पद क्षेत्र रहा है।
- OECD ने **MNCs द्वारा कर परिहार** को कम करने के लिए एक पंद्रह बिंदु कार्य योजना आरंभ की है।

जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स (GAAR)

- GAAR का लक्ष्य कर अपवंचन और कर परिहार की जांच करना है और ये आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पहली बार 2012-13 में घोषित किया गया था।
- सरकार ने इन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए **पार्थसारथी शोम** के अधीन एक पैनल स्थापित किया जिसने GAAR के विलम्बन का सुझाव दिया तथा ये अप्रैल 2017 से प्रभाव में आए।
- नियमों के अनुसार 3 करोड़ से अधिक के कर लाभ जो कि 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद किए गए हैं, केवल वे ही GAAR प्रावधानों के अंतर्गत शामिल होंगे।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना है जिससे विश्व भर के लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

5.3. निवेशक-राज्य विवाद निपटान

(Invesment-State Dispute Settlement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)** तंत्र सहित अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौतों (IIA) की समीक्षा करने का विचार किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौते

IIA (इसमें निवेश प्रावधान वाली संधियां और द्विपक्षीय निवेश संधियां शामिल हैं) हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह को बढ़ावा देता है और अन्य देशों के निवेशकों द्वारा किसी देश में किए गए निवेश के सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान

- यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की एक तटस्थ प्रक्रिया है।
- इस तंत्र में, कोई निवेशक किसी अन्य हस्ताक्षरकर्ता देश में, निवेशक समर्थन के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में बाध्यकारी मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मुआवजे की मांग कर सकता है।
- ISDS तंत्र विवादास्पद है क्योंकि यह कंपनियों को स्थानीय उपायों को अपनाए बिना सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जाने हेतु सक्षम बनाता है और नीतिगत परिवर्तनों सहित अन्य कारणों से ,घाटे का हवाला देते हुए, मुआवजे के रूप में अत्यधिक राशि का प्रावधान करता है।
- यूरोपीय संघ (EU) और कनाडा द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) में वैश्विक निवेश समझौते की दिशा में कार्य करने हेतु एक अनौपचारिक प्रयास [जिसमें निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र भी शामिल है] को ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों के साथ भारत ने अस्वीकृत कर दिया है।

5.4 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(Foreign Direct Investment In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

FDI आकर्षित करने और व्यापार सुगमता में वृद्धि करने के लिए, सरकार द्वारा FIPB को समाप्त कर दिया गया।

VISION IAS

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB)

- यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का एक अंतर-मंत्रालयी निकाय था।
- सरकारी मार्ग (Government route) से आने वाले सभी FDI आवेदनों को वित्त मंत्री (3,000 करोड़ रुपये से कम निवेश) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, CCEA (3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश) की स्वीकृति हेतु FIPB द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित किया जाता था।

नवीन सुधार क्या है?

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) FDI आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान जारी करेगा और सरकार के व्यक्तिगत विभागों को DIPP से परामर्श करके FDI प्रस्तावों को अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है।
- FDI के अनुमोदन हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी।
- व्यक्तिगत विभागों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए DIPP की अनिवार्य सहमति की आवश्यकता होती है।
- गृह मंत्रालय से सुरक्षात्मक स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रस्तावों के अंतर्गत दूरसंचार, उपग्रहों एवं प्रसारण और सुरक्षा एजेंसियों में निवेश शामिल है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में निवेश के अतिरिक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले FDI आवेदनों के लिए भी गृह मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- CCEA 5000 करोड़ से अधिक निवेश वाले FDI प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना जारी रखेगी।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नोडल एजेंसी है।

यह सामान्यत: औद्योगिक विकास व उत्पादन एवं चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रकों की निगरानी करता है।

विभाग पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्को एवं वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन के लिए भी जिम्मेदार है और उनके संवर्धन और संरक्षण संबंधी पहल की देखरेख करता है।

FDI के मार्ग (routes)

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को स्वचालित मार्ग (route), सरकारी मार्ग और दोनों मार्गों (विशेषत: 49% से 74% या 100% तक के निवेश वाली FDI) के संयोजन के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- **स्वचालित मार्ग:** इसके तहत सरकार या RBI के पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशकों को RBI के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आतंरिक विप्रेषण और शेयर जारी करने के संबंध में प्रत्येक गतिविधि को प्रारम्भ करने के 30 दिनों के भीतर सूचित करना होगा।
- **सरकारी मार्ग:** वर्तमान में FDI प्रवाह का **91-95% हिस्सा** स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्राप्त होता है। **केवल 11 क्षेत्रों** (रक्षा और खुदरा सहित) में सरकारी स्वीकृति आवश्यक है।

सरकार द्वारा FDI नीति में भी कई संशोधनों की घोषणा की गयी है।

- इसके तहत 'उद्यम पूंजी निधि' (venture capital fund) की परिभाषा को सरल बनाया गया है। इसे अब SEBI (वेंचर कैपिटल फंड्स) रेगुलेशन, 1996 के तहत पंजीकृत एक निधि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ये मजबूत विकास क्षमता के साथ स्टार्टअप और लघु-से-मध्यम आकार के उद्यमों में निजी इक्विटी स्टॉक्स के लिए प्रयासरत निवेशकों हेतु धन का प्रबंधन करने वाली निवेश निधियां हैं।
- सिंगल ब्रांड रीटेल ट्रेडिंग (SBRT) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।

VISION IAS

- SBRT इकाई को अपने प्रारम्भिक 5 वर्षों के दौरान भारत से वैश्विक व्यापार हेतु वस्तुओं की वृद्धिशील सोर्सिंग की पूर्ति हेतु अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रावधान संसाधन मांग का 30% भारत से खरीदने के अनिवार्य प्रावधान के आधार पर प्रथम स्टोर को प्रारम्भ करने वाले वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होगा।
- टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट-अप इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज में निर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति प्रदान की गयी है।
- विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में स्वीकृत मार्ग के तहत 49% तक निवेश करने की अनुमति दी गयी है। FIIs/ FPIs को पूर्व में आरोपित प्रतिबंधों के विपरीत प्राथमिक बाजार के माध्यम से पावर एक्सचेंजों में निवेश की अनुमति प्रदान की गयी है। इससे पूर्व पावर एक्सचेंजों में केवल द्वितीयक बाजार के माध्यम से ही निवेश की अनुमति दी गई थी।

5.5. भारत का वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति का भाग बनना तय

(India Set To Be A Part Of Gfxc)

सुर्खियों में क्यों?

- भारत शीघ्र ही, नवगठित **वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति (GFXC)** का सदस्य बनेगा।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक **(BIS)**

- यह केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक है एवं इसका लक्ष्य वैश्विक वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिरता का समर्थन करना है।
- इस पर विश्व भर के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय बैंकों के 60 सदस्यीय निकाय का स्वामित्व है।
- इसकी स्थापना 1930 में की गई थी और यह विश्व का सबसे पुराना वित्तीय संगठन है।

वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति

- यह मजबूत और पारदर्शी **विदेशी मुद्रा बाजार** के संवर्धन हेतु कार्य करने वाले **केंद्रीय बैंकरों एवं विशेषज्ञों का फोरम** है।
- इसे अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इस समिति में 16 अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा व्यापार केंद्रों की विदेशी मुद्रा समितियों से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- समिति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक **"वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के लिए आचार संहिता" की देखभाल एवं उसे अद्यतन करना** है।

5.6. विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा

(Mid-Term Review of Foreign Trade Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा जारी की गई है।

विदेश व्यापार नीति 2015-20

- **लक्ष्य:** निर्यात (वस्तु और सेवाएँ दोनों) को दोगुना कर 900 मिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँचाना और कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को वर्ष 2019-20 तक 3.5% करना।

VISION IAS

- इसके अंतर्गत दो योजनाओं को प्रारंभ किया गया है- विशिष्ट बाजारों में विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए *'भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)'* और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात संवर्धन हेतु *'भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS)'*।

- FTP में *एप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम* के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक विनिर्मित वस्तुओं के निर्यातकों की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाएँगे।
- द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण, जैसे आयात-निर्यात फॉर्म को सरल बनाना, स्टेटस होल्डर विनिर्माता द्वारा स्व-प्रमाणन।
- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 2015 में व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन किया गया।
- इसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक सतत वार्ता प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है ताकि राज्यों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु सक्षम परिवेश का विकास और भारतीय निर्यात की वृद्धि में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया जा सके।
- राज्यों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, संबंधित केंद्रीय विभागों/मंत्रालयों के सचिव और अन्य निर्यात संबंधी संगठनों/व्यापार निकायों के प्रमुख इस परिषद के सदस्य हैं।

6. रोजगार और कौशल विकास

(EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT)

6.1. संकल्प और स्ट्राइव योजनाएँ

(Sankalp & Strive Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित दो नई योजनाओं- *स्किल एक्वीजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन* (**SANKALP**) और *स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट* (**STRIVE**)- को मंजूरी प्रदान की है।

योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

- ये आउटकम (परिणाम) पर केन्द्रित योजनाएँ हैं जो व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में हुए बदलाव को दर्शाती हैं। पहले ये योजनाएँ इनपुट पर केन्द्रित थीं।
- **संकल्प**, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है (केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित और राज्यों या उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित) तथा ये आवश्यकता को पूरा करने हेतु **मान्यता और प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय निकायों** की स्थापना करेगी। ये संस्थाएँ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों ही प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण की मान्यता और प्रमाणन का कार्य करेंगी।
- **स्ट्राइव,** एक केन्द्र प्रयोजित योजना है (केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित)। इस योजना का उद्देश्य परिणाम एवं सुधार आधारित वित्तपोषण के माध्यम से 500 से अधिक ITIs का आधुनिकीकरण करना है।
- इन योजनाओं का उद्देश्य **राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), क्षेत्रीय कौशल परिषदों (SSCs), ITIs और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)** जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाना है तथा कौशल नियोजन में बेहतर विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है।
- ये योजनाएँ केंद्र एवं राज्य सरकारों की कौशल विकास योजनाओं को कवर करते हुए राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualification Framework: NQAF) एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस फ्रेमवर्क (National Quality Assurance Framework: NSQF) के सार्वभौमीकरण में सहायता प्रदान करेंगी।

क्षेत्र कौशल परिषद

- क्षेत्र कौशल परिषद (सेक्टर स्किल काउंसिल;SSC) ऐसे निकाय हैं, जिनका निर्देशन एवं प्रशासन उद्योगों द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित हितधारकों द्वारा कौशल विकास हेतु किये जा रहे प्रयास उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
- इनके द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों/योग्यता मानकों और क्वालिफिकेशन पैक्स (QPs) का विकास किया जाता है।
- इनके दो मूलभूत उद्देश्य- कौशल और रोजगार प्रदान करना हैं।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न SSCs के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
- शारदा प्रसाद समिति ने सभी मौजूदा कौशल परिषदों को समाप्त करने और NSDC के एक निरीक्षण तंत्र की स्थापना की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) वित्त मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी निगम है।
- इसका इक्विटी बेस 10 करोड़ रुपये है जिसमें भारत सरकार और निजी क्षेत्र की अंशधारिता क्रमशः 49% और 51% है।
- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

VISION IAS

- NSDC एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी निगम** है। इसका प्राथमिक कार्य भारत में कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करना है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, पेटेंटों का वित्तपोषण करती है और कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास कोष

- इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में देश में **कौशल विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से धन जुटाने** के लिए स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा स्थापित एक **पब्लिक ट्रस्ट** इस कोष का संरक्षक है। इस कोष का संचालन एवं प्रबंधन बोर्ड के ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का सचिव इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है।

6.2. BPO संवर्धन योजना

(BPO Promotion Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यह रिपोर्ट दर्ज की गयी है कि BPO संवर्धन योजना के अंतर्गत 11,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिसमें से 40% महिलाएं हैं।

भारत BPO संवर्धन योजना (India BPO Promotion Scheme: IBPS)

- इस योजना को देश में BPO/IT-ITES ऑपरेशंस के क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमति दी गई है।
- इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI)** है।
- इस योजना का उद्देश्य **BPO कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना** और **टियर-2 एवं टियर-3** शहरों में उनका विस्तार करना है। साथ ही यह लगभग **1.45** लाख रोजगारों का सृजन करेगी जो विभिन्न राज्यों के बीच राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में वितरित होंगे। इसके अंतर्गत **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण** (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के माध्यम से **वित्तीय सहायता** प्रदान की जानी है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI)

- यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी है जिसका उद्देश्य भारत को 'IT सुपर पावर' बनाना है।
- इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं IT सक्षम सेवाओं समेत सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास एवं निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करके तथा अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन करके निर्यातकों को वैधानिक एवं अन्य विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भी कार्य करती है।

पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना

- यह योजना केंद्र की फ्लैगशिप योजना 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 50 करोड़ के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर में **IT-ITES** की **5000** सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। इसे भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क **(STPI)** द्वारा **कार्यान्वित किया जा रहा है।**
- यह योजना कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देती है एवं महिलाओं और दिव्यांगजनों को नियोजित करके, विविधता के समावेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

VISION IAS

6.3. मजदूरी संहिता विधेयक 2017

(Wage Code Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अगस्त 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग** की अनुशंसाओं के अनुरूप मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया।

संबंधित जानकारी

न्यूनतम मजदूरी (Minimum wages) को "नियोक्ता द्वारा नियुक्त श्रमिक को नियत अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए प्रदत्त पारिश्रमिक की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे सामूहिक अनुबंध या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता है।"

निर्वाह मज़दूरी (Living Wage):"निर्वाह मजदूरी" मजदूरों और उनके परिवारों के गरिमापूर्ण जीवन मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मजदूरी को संदर्भित करती है। स्थान-विशिष्ट निर्वाह मजदूरी मानक सामान्यतः खाद्य, बुनियादी गैर-खाद्य वस्तुओं और अन्य विवेकाधीन व्यय को कवर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि को निर्धारित करते हैं।

उचित मजदूरी (Fair wages): यह निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी के बीच का मध्यमान है, जिसे लगभग आवश्यकता के आधार पर देय मजदूरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है।

विधेयक के मुख्य बिन्दु

- यह मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को प्रतिस्थापित कर मजदूरी से संबंधित कानूनों को समेकित करने का प्रयास करता है।
- यह संहिता सरकारी प्रतिष्ठानों समेत किसी भी उद्योग, व्यापार, कारोबार, विनिर्माण या व्यवसाय पर लागू होगी।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा शुरू की गई है। यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य सरकार उस विशेष क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' से कम 'न्यूनतम मजदूरी' नियत न करे।
- वर्तमान में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित रोजग़ारों/प्रतिष्ठानों तक ही सीमित हैं।

6.4. स्वैच्छिक बेरोजगारी

(Voluntary Unemployment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने पूरे देश में **स्वैच्छिक बेरोजगारी में एक नाटकीय वृद्धि** का संकेत दिया है।

स्वैच्छिक रोजगार

- **NSSO निम्नलिखित तीन व्यापक एक्टिविटी स्टेटस को परिभाषित करता है -**
- कार्यरत / नियोजित (एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न)
- कार्य की तलाश या कार्य के लिए उपलब्ध अर्थात 'बेरोजगार'
- न तो कार्य की तलाश करना न कार्य के लिए उपलब्ध होना।

एक व्यक्ति को स्वैच्छिक बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह कार्यरत नहीं है और न ही कार्यबल में शामिल होने के लिए तैयार है। अधिकांशतः इसका कारण यह होता है कि **शिक्षा के क्षेत्र में 'निवेश' के बाद लोग एक निश्चित आय स्तर से नीचे काम करना पसंद नहीं करते हैं।**

बेरोजगारी के अन्य प्रकार

- **संरचनात्मक बेरोजगारी-** यह बाजार अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है, जैसे कि कुछ रोजगारों के लिए आवश्यक कौशल की मांग में वृद्धि होती है जबकि अन्य रोजगार कौशल पुराने हो जाते हैं और मांग में नहीं रहते। उदाहरण के लिए, नई तकनीकों के प्रयोग के कारण मैनुअल वर्कर्स के लिए रोजगार के अवसरों का कम होना या समाप्त होना।
- **घर्षणात्मक बेरोजगारी -** यह स्थिति कामगार द्वारा नए रोजगार की खोज की अवधि या पुराने रोजगार को छोड़ने एवं नए रोजगार पाने के बीच के संक्रमण काल में उत्पन्न होती है।
- **चक्रीय बेरोजगारी -** यह बाजार अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति है। जब कोई अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर होती है तो चक्रीय बेरोजगारी सबसे कम होगी, और अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर पर यह सर्वाधिक होती है।

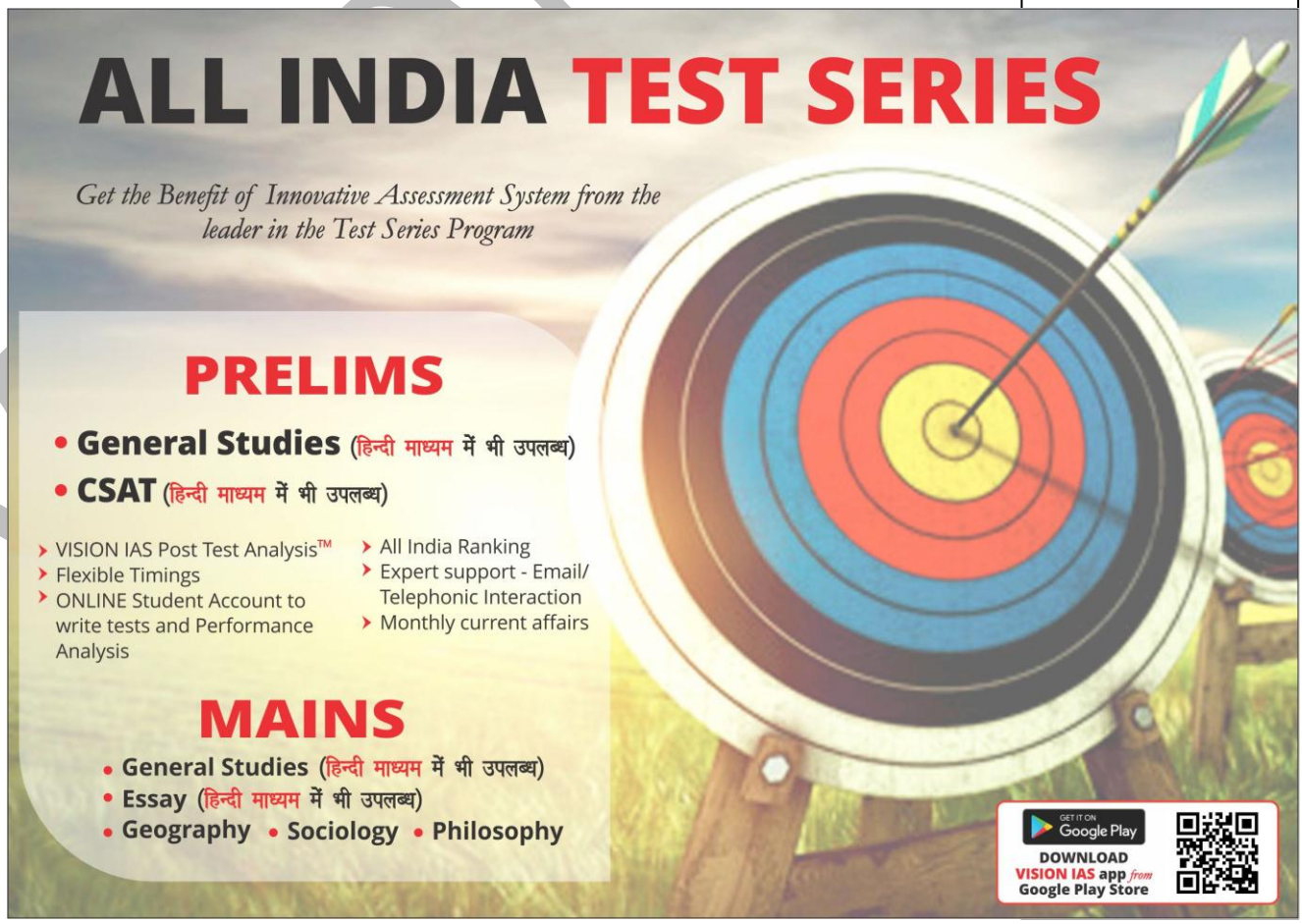

7. समावेशी संवृद्धि और विकास

(INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT)

7.1. SATH कार्यक्रम

(SATH Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NITI आयोग ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर SATH, "सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल" (मानव पूंजी में रूपान्तरण के लिए स्थायी कार्यवाही), नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

कार्यक्रम के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण** की प्रक्रिया का शुभारंभ करना है।
- इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन NITI आयोग द्वारा मैकिंजे एंड कंपनी और IPE ग्लोबल कंसोर्टियम के साथ मिलकर किया जाएगा। इन सहयोगियों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है।
- SATH का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भविष्य के **तीन 'रोल मॉडल' राज्यों** को चिन्हित करना और उनका विकास करना है।

7.2. पूर्वोत्तर में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ

(Hill Area Development Programme for Northeast)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry for Development of North Eastern Region: MoDNER) ने पूर्वोत्तर के लिए 'पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (Hill Area Development Programme: HADP) का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है।
- इसे मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 80 जिलों में से मणिपुर के 3 पहाड़ी जिले 'कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स' में सबसे निचले स्थान पर हैं।

कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स

- इसका निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में अन्तःक्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण करना है।
- यह 7 मुख्य संकेतकों पर आधारित है:
- परिवहन सुविधाएं
- ऊर्जा
- जलापूर्ति
- शिक्षा
- स्वास्थ्य सुविधा
- संचार अवसंरचना
- बैंकिंग सुविधाएं

7.3 . द्वीप विकास एजेंसी

(Island Development Agency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्री ने द्वीप विकास एजेंसी (IDA) के तत्वावधान में नौ द्वीपों के लिए विकास योजनाओं की समीक्षा की।

विषय सम्बन्धी अतिरिक्त जानकारी

- IDA का गठन जून 2017 में द्वीपों के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया था। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।

VISION IAS

- IDA द्वारा विकास हेतु 10 द्वीपों की पहचान की गयी है। इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पाँच द्वीप (स्मिथ, रॉस, लॉन्ग, एविस तथा लिटिल अंडमान) तथा लक्षद्वीप समूह के पाँच द्वीप (मिनिकॉय, बंगारम, थिन्नकारा, चेरयम तथा सुहेली) सम्मिलित हैं।
- इसके द्वारा परियोजना हेतु चयनित द्वीपों की विशिष्ट सामुद्रिक एवं क्षेत्रीय जैवविविधता का समुचित ध्यान रखते हुए इनके समग्र विकास पर कार्य किया जाएगा।
- इसके साथ ही परियोजना हेतु चयनित द्वीपों में आजीविका के विकल्पों को बढ़ाने एवं इन द्वीपों की समुद्री अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने हेतु संधारणीय दृष्टिकोण के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। टूना मत्स्यन उद्योग तथा समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर इस दिशा में प्रयास किया जाएगा।

7.4. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

(Aajeevika grameen express yojana)

सुर्खियों में क्यों?

भारत सरकार ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के ही एक अंग के रूप में "आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)" नाम से एक नई उप-योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY) - NRLM

- इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य स्थायी आजीविका वृद्धि द्वारा ग्रामीण निर्धनों को परिवारिक आय में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाना है तथा वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच में वृद्धि करना है।
- यह स्व-प्रबंधित स्वयं-सहायता समूहों (SHSs) और संबंधित संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों को संगठित करता है और 8-10 वर्षों की अवधि तक आजीविका अर्जन हेतु सहायता प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता मुख्य रूप से रिवॉल्विंग फण्ड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में होती है जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उनके संबंधित संघों को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में लागू किया जा रहा है।
- इसके तहत प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रीति से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत शामिल किये जाने के लक्ष्य के साथ महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है।

AGEY के बारे में

- DAY-NRLM के अंतर्गत SHG, पिछड़े क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवा का संचालन करेंगे। वे दूरस्थ गांवो के पिछड़े क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास हेतु, उन्हें प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं (जैसे बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सहित) से जोड़ने हेतु सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करेंगे।
- इस योजना के माध्यम से यह आशा की जाती है कि सुरक्षित, वहनीय और सामुदायिक निगरानी में चलने वाली परिवहन सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ गाँवों का प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं वाले क्षेत्रों दे संपर्क स्थापित किया जाएगा।
- लाभार्थी (SHG सदस्य) को वाहन खरीदने के लिए DAY-NRLM की सामुदायिक निवेश निधि से सामुदाय आधारित संगठनों (CBOs) द्वारा 6.50 लाख रूपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त CBO वाहन का स्वामी हो सकता है और वाहन चलाने हेतु SHG सदस्य को लीज पर दे सकता है, जो CBO को लीज का किराया अदा करे।
- इस योजना के अंतर्गत वाहनों के पास एक निश्चित रंग की कोडिंग और AGEY की ब्रांडिंग होगी ताकि एक पहचान एवं निर्धारित मार्गों पर आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

7.5 SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट

(SUNREF Housing Project)

- हाल ही में भारत में SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (FDA) और यूरोपियन यूनियन के साथ हाथ मिलाया है।
- SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) हाउसिंग इंडिया, NHB को 112 मिलियन यूरो का वित्तपोषण प्रदान करेगी।

NHB Residex

- इसे NHB द्वारा **तिमाही आधार पर** जारी किया जाता है। यह भारतीय शहरों में **आवास मूल्य सूचकांकों** का पर्यवेक्षण करता है।
- इसके पुनर्निर्मित नए संस्करण को **व्यापक कवरेज** (पहले 26 शहरों की तुलना में अब 50 शहरों में), नए आधार वर्ष (**2012-13**) और नए डेटा स्रोत (बैंक और होम फाइनेंस कंपनियाँ तथा बाजार सर्वेक्षण) के साथ 2017 में प्रारंभ किया गया।

नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में

- NHB की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी।
- NHB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को नियंत्रित करता है और हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों को प्रोत्साहन देता है।
- यह विभिन्न बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है एवं पब्लिक हाउसिंग एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से भी उधार देता है।

7.6. किफायती आवास

(Affordable Housing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 2022 तक 'सबके लिए आवास' लक्ष्य के अनुरूप किफायती आवास निर्माण में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) नीति की घोषणा की है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- यह नीति किफायती आवास क्षेत्र में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को **आठ PPP (सार्वजनिक निजी भागीदारी) विकल्प** प्रदान करती है।
- निजी भूमि पर किफायती आवास में निजी निवेश से जुड़े दो PPP मॉडलों में प्रथम विकल्प के तहत केन्द्रीय सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ऋण संबंधी सब्सिडी घटक (CLSS) के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसमें एकमुश्त भुगतान के रूप में बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रति मकान लगभग 2.50 लाख रुपये की सहायता की जाएगी।
- दूसरे विकल्प के तहत, यदि लाभार्थी बैंक से ऋण नहीं लेना चाहता है तो निजी भूमि पर बनने वाले प्रत्येक मकान पर डेढ़ लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अन्य छः विकल्पों में **सरकारी जमीन का उपयोग करके निजी निवेश के साथ किफायती आवास** को बढ़ावा देना शामिल है। कुछ मॉडलों में निर्माण की कम लागत के आधार पर निजी कंपनियों को सरकारी जमीन आवंटित करना भी शामिल है।
- लाभार्थियों की पहचान PMAY (शहरी) के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के बारे में

- इसका प्रारंभ **जून 2015 में किया गया तथा इसके अंतर्गत 2022 तक 1.2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा।**
- इसका लक्ष्य **जल की सुविधा, स्वच्छता और चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति** सुविधा युक्त वहनीय पक्के घर उपलब्ध कराना है।

VISION IAS

- यह योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS : वार्षिक आय <3 लाख रुपये), कम आय समूह (LIG : वार्षिक आय <6 लाख रुपये) और मध्य आय समूह (MIG) को कवर करती है।
- विभिन्न घटकों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता:
    - **मूल स्थान पर ही झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास (ISSR- In-Situ Slum Redevelopment)** - निजी डेवलपर्स के सहयोग से झुग्गी क्षेत्रों के रूपान्तरण के लिए घरों का निर्माण करना। (EWS के लिए 1 लाख रूपये की सहायता)
    - **ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (CLSS- Credit Linked Subsidy Scheme)** - नए निर्माण/विस्तार के लिए ब्याज सब्सिडी 3% (MIG के लिए 12 लाख तक का ऋण) से 6.5% (EWS और LIG के लिए 6 लाख रूपये तक का ऋण)।
    - **भागीदारी में किफायती आवास (AHP)** - राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ भागीदारी में EWS के लिए किफायती आवास (1.5 लाख रूपये की सहायता)।
    - **लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC)** - EWS लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है, ताकि वे स्वयं ही नए मकानों का निर्माण कर सकें या अपने मौजूदा मकानों का विस्तार कर सकें।
- इसमें ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (CLSS) एक केंद्रीय योजना है, जबकि **अन्य तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)** हैं।
- आवास, परिवार की महिला मुखिया अथवा संयुक्त रूप से परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के नाम पर आवंटित किए जाते हैं।
- केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के वित्तपोषण के लिए 60,000 करोड़ रुपये के **राष्ट्रीय शहरी आवास कोष** की स्थापना को मंजूरी दी है।
    - इस फंड को **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद** (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था) के अधीन रखा जाएगा।
    - NUHF अगले चार वर्षों में गैर-बजटीय स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने में सहायता करेगा।
    - इस वर्ष के बजट के अनुसार 2018-19 में शहरी क्षेत्रों में 3.7 मिलियन आवास निर्मित किये जाएंगे।

7.7. सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना

(Sampoorna Bima Gram Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, संचार मंत्रालय ने **सम्पूर्ण बीमा ग्राम (SBG) योजना** नामक एक योजना की शुरूआत की है और डाक जीवन बीमा के कवरेज का भी विस्तार किया है।

SBG योजना

- **लक्ष्य**: डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएँ प्रदान करना।
- **विशेषताएँ:**
    - देश के सभी राजस्व जिलों में कम से कम **एक गाँव** (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार निवास करते हों) को चिह्नित किया जाएगा तथा प्रत्येक चिह्नित गाँव में हर घर में कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा) के साथ सभी घरों को कवर करने की कोशिश की जाएगी।
    - **कवरेज**: इस योजना के अंतर्गत **सांसद आदर्श ग्राम योजना** के तहत आने वाले सभी गाँवों को शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा (Rural Postal Life Insurance: RPLI)

- इसका संचालन संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों और महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है।

VISION IAS

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAANJHI)

- इसे मॉडल गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया था।
- इसके तहत, संसद का प्रत्येक सदस्य (सांसद) 2019 तक तीन गाँवों की सामाजिक-आर्थिक और भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए उत्तरदायी होगा तथा 2024 तक कुल आठ गाँवों का विकास करेगा।
- इसमें MPLAD, MGNREGA आदि मौजूदा योजनाओं की निधि का उपयोग किया जाएगा।

डाक जीवन बीमा (PLI)

- इसे 1884 में डाकघर के कर्मचारियों के लाभार्थ लागू किया गया था।
- सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त PLI के लाभों को अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील व बैंकर जैसे पेशेवरों तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है।

"The Secret To Getting Ahead Is Getting Started"

ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM for

GS PRELIMS & MAINS 2020 & 2021

15th May | 11th June

- Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

- Access to recorded classroom videos at personal student platform
- Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2019, 2020, 2021
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2019, 2020, 2021 (Online Classes only)

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

8. कृषि और संबद्ध उद्योग

(AGRICULTURE AND ALLIED INDUSTRIES)

8.1. अनुबंध कृषि

(Contract Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) अधिनियम जारी किया गया।

अनुबंध कृषि के बारे में

- इसके अंतर्गत, क्रेताओं (जैसे- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों) और उत्पादकों (किसान या कृषक संगठनों) के बीच एक **फसल-पूर्व समझौते** के आधार पर कृषि उत्पादन (पशुधन और पोल्ट्री सहित) किया जाता है।
- इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की **समवर्ती सूची** के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। हालांकि कृषि राज्य सूची का विषय है।
- मॉडल APMC एक्ट, 2003 अनुबंध कृषि के लिए प्रावधान करता है। इसके बाद, 20 राज्यों द्वारा अनुबंध कृषि के लिए अपने APMC अधिनियमों को संशोधित किया गया है, जबकि पंजाब में अनुबंध कृषि हेतु एक अलग कानून है।

मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- यह अनुबंधों को पंजीकृत करने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए **अनुबंध कृषि (विकास और संवर्धन) प्राधिकरण** और स्थानीय स्तर की रिकॉर्डिंग समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह अनुबंध के अनुसार, **अनुबंध कृषि के उत्पाद की समग्र मात्रा** की खरीद को सुनिश्चितता प्रदान करता है।
- वर्तमान कृषि बीमा योजनाओं के तहत उत्पादन का बीमा किया जाने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- यह ग्राम स्तर पर त्वरित एवं आवश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु एक **कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप (अनुबंध कृषि सुविधा समूह)** और विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है।
- इसके तहत अनुबंध कृषि को APMC Act के दायरे के बाहर रखने के लिए प्रावधान किया गया है।
- यह किसान-उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना का प्रावधान करता है।

8.2. किसानों की आय दोगुना करने

(Doubling Farmers' Income)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कृषि मंत्रालय ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विज़न को प्राप्त करने के लिए 7-सूत्री रणनीति बनाने के लिए एक रूपरेखा जारी की है।
- **अशोक दलवई समिति** ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय दोगुनी करने पर अनेक प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित किया है। इसका शीर्षक 'स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क' है।साथ ही, समिति ने यह भी वर्णित किया है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से 6.3 9 लाख करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता है।

VISION IAS

रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं

- **संस्थागत व्यवस्था में सुधार/केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का पुनरुद्धार:** यह कार्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है:
  - जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों के माध्यम से त्रिस्तरीय योजना एवं समीक्षा तंत्र की स्थापना करना।
  - किसानों, पट्टेदार किसानों और बंटाईदारों को सम्मिलित करने के लिए **'किसान' की परिभाषा** को उदार/व्यापक बनाया जाना चाहिए।
  - **मॉडल कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम, 2016 के तहत, मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम के प्रारूप के निर्माण द्वारा लैंडपूलिंग को प्रोत्साहन जैसे भूमि सुधार अपनाना।** साथ ही किसान उत्पादक संगठनों और भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड) के व्यापक डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना।
  - **विपणन और निरीक्षण निदेशालय** का पुनर्गठन कर **उत्पादन जोखिम और बाजार की अनिश्चितता कम करना।**
  - **कृषि नीतियों को उदार और सरल बनाने के लिए:**
    - बीज श्रृंखला को उदार/व्यापक बनाना,
    - उर्वरक क्षेत्रक की नीतियों का पुनर्निरीक्षण करना,
    - कीटनाशकों से संबंधित विनियमों को तर्कसंगत बनाना,
    - कृषि बाजार की संरचना का आधुनिकीकरण, और
    - मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 का अधिनियमन।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निवेश और उद्यमों के लिए समर्पित विभाग स्थापित करके **अवसंरचना संबंधी बाधाएं दूर करना।**
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना।**
- ग्राम पंचायत को कृषि विकास के लिए उत्तरदायी बनाकर और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार करके **जमीनी स्तर की भागीदारी में सुधार लाना।**

किसानों की आय दोगुना करने के लिए 7-सूत्री रणनीति (कृषि मंत्रालय)

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई परीयोजना, लंबित मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने और जलसंभर विकास (watershed development) तथा जल संचयन एवं प्रबंधन परियोजनाओं में तीव्रता आदि के माध्यम से **उत्पादन में वृद्धि।**
- स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम लेपित युरिया, उर्वरक उपयोग को तर्कसंगत बनाने, उच्च गुणवत्ता युक्त बीज प्रदान करने, किसानों में जागरूकता फैलाने और बेहतर नियोजन के माध्यम से **इनपुट लागत का प्रभावी उपयोग।**
- गोदामों के उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत शीत गृह उपलब्ध करा कर **पोस्ट हार्वेस्ट (फसलोपरान्त) हानि में कमी।**
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषि प्रसंस्करण समूहों को प्रोत्साहन आदि योजनाओं के माध्यम से मूल्य वृद्धि।
- e-NAM के द्वारा और APMCs एवं अनुबंध कृषि में सुधार करके **कृषि बाजार का विकास।**
- संभावित जोखिमों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के माध्यम से **जोखिम सुरक्षा और सहायता।**
- एकीकृत कृषि पद्धति (विशेषतः बागवानी, पशुधन और मधुमक्खी पर केन्द्रित), नीली क्रांति, कृषि वानिकी के उप-मिशन, मुर्गी पालन आदि के माध्यम से **सम्बद्ध गतिविधियों (Allied Activities) को प्रोत्साहन।**

8.3. सम्पदा योजना

(Sampada Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने 2016-20 की अवधि के लिए **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** की योजनाओं को एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना- सम्पदा (SAMPADA: **स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स)** के अंतर्गत पुनर्संरचित करने की मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

वैश्विक स्तर पर कुल खाद्य उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। उत्पादन की तुलना में प्रसंस्करण का स्तर 10% से भी कम है।

- भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में सरकार ने ई-कॉमर्स सहित व्यापार में 100% FDI (ऑटोमैटिक रूट) की अनुमति दी है।

मेगा फूड पार्क स्कीम

- इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण (हब एंड स्पोक्स मॉडल पर आधारित) को अपनाकर खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत फ़ार्म के निकट प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटरों (PPCs) और कलेक्शन सेंटरों (CCs) के रूप में प्राइमरी प्रोसेसिंग तथा भंडारण अवसंरचना का निर्माण तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) पर सामूहिक सुविधाओं और सड़क, बिजली, पानी आदि सहायक अवसंरचना का निर्माण सम्मिलित है।

इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर

- यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
- इसमें वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है जिसकी राशि प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपये है।

- सरकार ने विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट (designated) फ़ूड पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को रियायती दर पर सस्ते ऋण देने के लिए नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना की है।
- खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के दायरे के अंतर्गत लाया गया है।

संपदा योजना के बारे में

- यह खाद्य संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है।
- इसमें मेगा फ़ूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पूर्व की योजनाएं शामिल होंगी।
- साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ़ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज, क्रिएशन ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड प्रिज़र्वेशन कैपसिटीज़ जैसी नई योजनाएं भी शामिल होंगी।
- इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है।

8.4. RKVY-रफ़्तार (RKVY-Raftaar)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-रफ्तार) के रूप में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की समयावधि हेतु जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है।

RKVY-रफ़्तार के बारे में

उद्देश्य: कृषि को **लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने हेतु** किसानों के प्रयास का सुदृढ़ीकरण, **जोखिम न्यूनीकरण** एवं कृषि में व्यवसायिक उद्यमिता को प्रोत्साहन।

अनुदान: केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुदान (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) के रूप में धन आवंटित करना।

- यह **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के धन आवंटन में वृद्धि हेतु** राज्यों को प्रोत्साहित करेगा। इससे 'पोस्ट हार्वेस्ट' अवसंरचना के निर्माण और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

VISION IAS

RKVY-रफ़्तार उप-योजनाएं

- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)
- मृदा से सम्बंधित समस्या का समाधान (RPS)
- खुरपका और मुंह पका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)
- केसर मिशन
- त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के बारे में

- यह **2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद** की अनुशंसा पर प्रारंभ की गयी थी।
- **लक्ष्य:** कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करना।
- यह राज्यों के प्रोत्साहन हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना है, ताकि राज्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अपने निवेश को बढ़ाएं।
- इसने कृषि-जलवायविक परिस्थितियों तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, जिला कृषि योजना (DAP) और राज्य कृषि योजना (SAP) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन को प्रोत्साहित किया है। इससे स्थानीय आवश्यकताओं, फसल प्रतिरूप तथा अन्य प्राथमिकताओं को समायोजित किया जा सकेगा।

RKVY का प्रभाव: अपने कार्यान्वयन के दौरान कृषि राज्य घरेलू उत्पाद (AGSDP) को बढ़ाने में सफल रहा। RKVY के बाद की अवधि में लगभग सभी राज्यों के द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के आउटपुट में वृद्धि दर्ज की गयी।

8.5. ऑपरेशन ग्रीन्स

(Operation Greens)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स पर कार्य करना आरंभ किया है। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी।

ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है?

- ऑपरेशन ग्रीन्स, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतों में व्याप्त अस्थिरता को कम करने के लिए **ऑपरेशन फ्लड** की तर्ज पर आरंभ की गई **500 करोड़ रूपये की परियोजना** है।
  - **ऑपरेशन फ्लड** का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना और उपभोक्ताओं के लिए वहनीय मूल्य सुनिश्चित करना था। इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आरम्भ किया गया था।
  - इसके परिणामस्वरूप, भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
- सरकार ने परियोजना के आरम्भ में तीन मुख्य सब्जियों, अर्थात् **टमाटर, प्याज और आलू** (TOP) पर ध्यान केंद्रित किया है। उक्त सब्ज़ियों के उत्पादन का अनुपात देश में कुल सब्ज़ी उत्पादन का आधा है।
- मूल्य स्थिरता से उपभोक्ताओं के लिए **वहनीय कीमतों पर मुख्य सब्जियों की उपलब्धता** भी सुनिश्चित होगी।

भारत में बागवानी क्षेत्र

- भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश और केले, आम एवं नींबू जैसी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- भारत के कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी क्षेत्र का योगदान 30% है जबकि इसके अंतर्गत कुल फ़सल क्षेत्रफल का 8.5% क्षेत्र शामिल है।
- 2017 में लगातार पांचवें वर्ष भी बागवानी फसलों (फल, सब्जियों और मसालों) का उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से अधिक रहा है।

VISION IAS

- खाद्यान्न फसलों की तुलना में, अधिकांश बागवानी फसलों के लिए निश्चित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है जिसके कारण ये मानसून के अभाव से अधिक प्रभावित नहीं होती हैं।
- संसाधन-विहीन किसानों को बागवानी क्षेत्र के विकास से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि फलों और सब्जियों का उत्पादन अधिकांशतः सीमांत और छोटे किसानों (2 हेक्टेयर भूमि से भी कम पर) द्वारा किया जाता है।
- हालांकि, वैश्विक बाजार में भारत का योगदान, सब्जियों एवं फलों के वैश्विक व्यापार का क्रमशः 1.7% और 0.5% है।

भू-सूचना विज्ञान का उपयोग कर बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (CHAMAN)

- यह 2014 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था।
- यह नई दिल्ली में स्थित महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (MNCFC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसमें बागवानी विकास के लिए कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- इसका उद्देश्य बागवानी फसलों की स्थिति के अध्ययन, रोगों के आकलन और प्रिसिशन (precision) फार्मिंग पर शोध गतिविधियों को कार्यान्वित करना है।
- कृषि उपज की खरीद, बफर स्टॉक अनुरक्षण और बाजार में विनियमित निर्गमन (रेगुलेटेड रिलीज़) के माध्यम से कृषि और बागवानी उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए **500** करोड़ रुपये की राशि के **मूल्य स्थिरीकरण कोष** (**PSF**) का गठन।

8.6. जैविक खाद्य पदार्थ

(Organic Food)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में FSSAI ने देश में जैविक खाद्य पदार्थ पर विनियमन जारी किए।

इस दिशा-निर्देश के प्रावधान

- **परिभाषा:** FSSAI ने निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं:
  - **जैविक कृषि:** यह रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों और संश्लेषित हार्मोनों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों जैसी संश्लेषित बाह्य आगतों (synthetic external inputs) के उपयोग के बिना, कृषि उत्पादन के पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु एक फार्म डिज़ाइन और प्रबंधन की प्रणाली है।
  - **जैविक कृषि उपज:** जैविक कृषि से प्राप्त उपज।
  - **जैविक खाद्य पदार्थ:** जैविक उत्पादन के निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप उत्पादित खाद्य उत्पाद।
- जुलाई, 2018 से **जैविक खाद्य पदार्थों की अनिवार्य लेबलिंग**। इस लेबलिंग द्वारा उत्पाद की जैविक स्थिति से सम्बंधित पूर्ण और सटीक जानकारी संप्रेषित की जानी चाहिए।
- विनियमन के गैर-अनुपालन पर **अर्थदण्ड** आरोपित किए जाएँगे।
- **अनुमोदन प्राधिकरण:** जैविक खाद्य उत्पादों को निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त प्रमाणन चिह्न या गुणवत्ता आश्वासन चिह्न वहन करना चाहिए:
  - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)
  - सहभागिता गारंटी प्रणाली-भारत (PGS-India),
  - FSSAI द्वारा प्रदत्त स्वैच्छिक लोगो (Voluntary logo) जो उत्पाद को 'जैविक(आर्गेनिक)' के रूप में चिह्नित करता है

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 निम्नलिखित हेतु अधिनियमित किया गया था:

- खाद्य सुरक्षा से संबंधित देश के विभिन्न कानूनों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- एकल बिंदु संदर्भ प्रणाली (single point reference system) की स्थापना करना।
- **खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** की स्थापना, जो खाद्य संबंधी मानकों का निर्धारण और खाद्य-पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण एवं वितरण को विनियमित करता है।
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW),** FSSAI के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है।
- राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ FSSAI अधिनियम और उसके प्रवर्तन के तहत प्रासंगिक आवश्यकताओं की निगरानी और सत्यापन के लिए उत्तरदायी है।

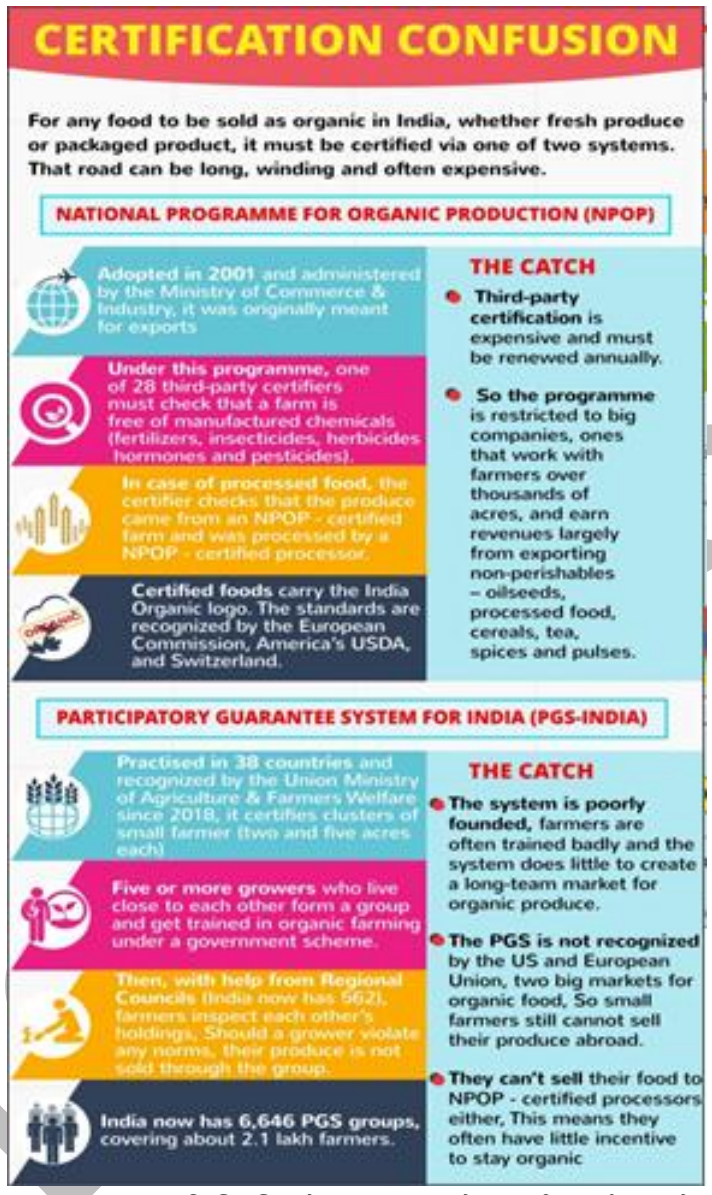

- यह कानून राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति और खाद्य सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
- फ़ूड फर्म के लिए उसके उत्पादों की गुणवत्ता को वैज्ञानिक प्रमाणन के साथ सिद्ध करने की आवश्यकता को प्रावधानित किया गया है।
- यह अधिनियम किसानों, मछुआरों, कृषि कार्य के संचालन, फसलों, मवेशियों, जलीय कृषि, कृषि में प्रयुक्त/उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति तथा प्रारंभिक उत्पादन स्तर पर किसानों/मछुआरों द्वारा उत्पादित फसलों के उत्पाद पर लागू नहीं होता है।

8.7. जूट-ICARE

(Jute-Icare)

सुर्खियों में क्यों?

- **जूट-ICARE** परियोजना के अंतर्गत, केन्द्रीय जूट और संबद्ध फाइबर अनुसन्धान संस्थान (CRIJAF) ने **सोना (SONA)** नामक सूक्ष्मजीव (माइक्रोबियल) विकसित किया है।

जूट-ICARE परियोजना:

- बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड (वस्त्र मंत्रालय के अधीन) द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से वर्ष 2015 में इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया था:-

- 50% सब्सिडी पर गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण;
- सीड ड्रिल की सहायता से पंक्तियों में जूट की बुवाई करने से उपज में 10-15% की वृद्धि;
- हाथों से निराई करने के स्थान पर व्हील होइंग/नेल विडर द्वारा निराई की लागत को कम करना।

भारत में जूट की खेती:

जूट प्राकृतिक रेशे (फाइबर) की फसल है जिसे *गोल्डन फाइबर* भी कहा जाता है। विश्व के 95% जूट का उत्पादन भारत और बांग्लादेश में होता है।

- यह पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है।
- यह 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- वाणिज्यक फसलें' (NFSM-CC) के अंतर्गत सम्मिलित है।

दशाएं: मार्च-मई का गर्म और आर्द्र मौसम, **तामपान** 24°C to 35°C, **वर्षा:** 120 से 150 से.मी.,
मिट्टी: चिकनी बलुई मिट्टी और रेतीली दुमट मिट्टी।

अन्य पहलें

- 2005 में **राष्ट्रीय जूट नीति** लागू की गयी।
- **जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग कमोडिटीज़ में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987** (JPM अधिनियम) का कुल उत्पादन के एक न्यूनतम प्रतिशत तक विस्तार किया गया है।
- **जूट के कच्चे माल का बैंक (JRMB) योजना:** जूट के कच्चे माल को छोटे कारीगरों, उद्यमियों को उनकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिल की कीमत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध कराने के लिए।
- जूट डिजाइन सेल: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (NID), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर हेतु अभिनव केंद्र (ICNF) के अंतर्गत।
- साझा सुविधा केंद्र (CFCs): जूट के विविध उपयोगों के विकास में कारीगरों के प्रशिक्षण, अवसंरचना, मशीनरी और विपणन में महिला स्वयं-सहायता समूहों (WSHGs) को सहायता प्रदान करने के लिए।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) द्वारा प्रौद्योगिकियों के अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए संयन्त्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (IISAPM), शैक्षिणिक सहायता छात्रवृति योजना।

8.8. कॉयर उद्योग

(Coir Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नारियल के खेतों में जल की व्यापक कमी के कारण इन भागों में कॉयर उद्योग के उत्पादन में कमी आई है।

पृष्ठभूमि

- कॉयर और कॉयर उत्पादों में वैश्विक उत्पादन का लगभग 66% हिस्सा भारत का है।
- भारत में केरल कॉयर उद्योग के सन्दर्भ में सबसे बड़ा राज्य है। कॉयर उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति कच्चे माल की उपलब्धता (नारियल) पर निर्भर करती है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में उपलब्ध है।

सरकार की पहल

- **कॉयर उद्यमी योजना** - पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का नाम बदल कर कॉयर उद्यमी योजना कर दिया गया है।
- यह एक **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** है जो 10 लाख तक की परियोजना लागत की कॉयर यूनिट की स्थापना के लिए 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक लोन और 5% लाभार्थी अंशदान प्रदान करती है। इसमें किसी भी कोलेटरल सिक्यूरिटी/थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही इसमें आय की कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है।

कॉयर विकास योजना -

- इसमें कौशल उन्नयन और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार शामिल है।
- इसमें **महिला कॉयर योजना** भी शामिल है, जिसके अंतर्गत महिला कॉयर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मशीनें व उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

VISION IAS

- इसके अन्य घटक उत्पादन अवसंरचना का विकास, घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना इत्यादि हैं।

कॉयर बोर्ड

- यह MSME मंत्रालय के अधीन विकसित एक **सांविधिक निकाय** है। यह पंजीकरण और लाइसेंस के माध्यम से कॉयर के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है।

8.9. राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

(National Year of Millets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों एवं खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018 को 'राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' (National Year of Millets) के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

मोटे अनाजों के विषय में

- इसमें ज्वार, रागी, कोर्रा, अरके (arke), समा, बाजरा, चेना/बर्र (Chena/Barr) और सवां सम्मिलित होते हैं।
- **कृषि-जलवायु-दशा**: ये अच्छी जल निकासी दुमट मृदाओं एवं शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में भली प्रकार से विकसित होते हैं।
- भारत, मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद अफ्रीकी देशों, नाइजीरिया और नाइजर का स्थान आता है।

मोटे अनाजों के लाभ

- एक कुशल जड़ तंत्र के कारण अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम जल की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज अपनी **लघु विकास अवधि** के कारण खाद्य मांग की पूर्ति करने में सहायक होते हैं।
- ये रोगों एवं कीटों से कम प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता न्यूनतम होती है। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए ये प्रमुख फसल-विकल्प हो सकते हैं।
- मिश्रित कृषि प्रणालियों में इनका खाद्य एवं चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ये विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण फसलों के साथ उगाये जा सकते हैं।
- मोटे अनाजों में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम व जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका GI (ग्लाइसीमिक इंडेक्स) निम्न होता है। इस प्रकार ये भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या को कम कर सकते हैं।
- ये उच्च मधुमेहग्रस्त एवं ग्लूटेन इनटॉलेरेंट व्यक्तियों के लिए लाभदायक हैं।
- इसमें कार्बन प्रच्छादन एवं जलवायु अनुकूलन में सहयोग करने की क्षमता होती है।

मोटे अनाजों के लिए सरकार की पहल

- **मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम** (ICDP-CC)।
- **इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन (INSIMP)**- इसका उद्देश्य 0.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत लाना, हाइब्रिड बीज की आपूर्ति करना एवं संयुक्त मोटा अनाज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विस्तार-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समूह (PDS basket) में सम्मिलित किया गया है।

8.10. डेरी क्षेत्रक

(Dairy Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने 10,881 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 2017-18 से 2028-29 की अवधि के लिए "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) अनुमोदित की है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय डेयरी विकास सहयोग (NCDC) द्वारा किया जाएगा।
- इस परियोजना के अंतर्गत शीतलन अवसंरचना (chilling infrastructure) और दूध में मिलावट के परीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना के माध्यम से एक प्रभावी दुग्ध खरीद प्रणाली निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अंतिम उधारकर्ताओं (end borrowers) को प्रति वर्ष 6.5% की दर से ऋण प्राप्त होगा। पुनर्भुगतान की अवधि प्रारंभिक दो वर्षों के ऋण स्थगन (moratorium) के साथ 10 वर्ष होगी।
- संबंधित राज्य सरकार ऋण पुनर्भुगतान के गारंटर रूप में कार्य करेगी।

भारत में डेयरी क्षेत्र

- भारतीय डेयरी क्षेत्र 15 करोड़ किसानों को आजीविका प्रदान करता है। वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन मदों (items) के उत्पादन के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक है। लेकिन, भारत से इन मदों का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है।
- भारत सरकार द्वारा विभिन्न केंद प्रायोजित परियोजनाओं जैसे "राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम", राष्ट्रीय डेयरी योजना और "डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)" के माध्यम से डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

8.11. सिल्क उत्पादन को प्रोत्साहन

(Boosting Silk Production)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने भारत में रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (NERTPS)** के तहत 24 जिलों में 690 करोड़ रुपये निवेश किये हैं।

उत्तर पूर्व क्षेत्रीय वस्त्र संवर्धन योजना (NERTPS)

- इसका उद्देश्य कच्चे माल, मशीनरी, कौशल विकास आदि से संबंधित आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्रक को विकसित करना और उसका आधुनिकीकरण करना है।
- यह दो व्यापक श्रेणियों अर्थात, एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (ISDP) और इंटेंसिव बिवोल्टिन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट [IBSDP] के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

संबंधित निकाय

केंद्रीय सिल्क बोर्ड - यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इस पर रेशम उद्योग के विकास का संपूर्ण उत्तरदायित्व है

भारत में रेशम उद्योग (Sericulture)

- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह उद्योग देश में 8.25 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- भारत में उत्पादित **चार प्रमुख प्रकार के रेशम** हैं: शहतूत (Mulberry), टसर (Tasar), मूगा (Muga), इरी (Muga)। इसमें शहतूत की भागीदारी कुल कच्चे रेशम उत्पादन में 70% है।
- भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में होता है। जबकि अन्य प्रकार के रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में होता हैं।
- कर्नाटक रेशम का अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।
- भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को रेशम की सभी वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह क्षेत्र देश के कुल रेशम उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है।
- भारत में लगभग 85 प्रतिशत रेशम की खपत हथकरघा उद्योग में होती है। जबकि पावरलूम उद्योग शेष भाग का उपयोग करता है।

सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिए एकीकृत योजना

- **केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा कार्यान्वित** यह एक केंद्र प्रयोजित योजना है।
- इसमें निम्नलिखित चार घटक होते हैं:
  - अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आई.टी. पहल,
  - सीड आर्गेनाइजेशन
  - समन्वय और बाजार विकास,
  - गुणवत्ता सर्टिफिकेशन तंत्र (QCS) / एक्सपोर्ट ब्रांड प्रोमोशन एंड टेक्नोलॉजी अप-ग्रेडेशन
- यह घरेलू रेशम की उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि 2022 तक देश की निर्भरता आयातित रेशम पर कम हो सके।
- यह महिलाओं, SC, ST और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने का प्रयास भी करता है।

8.12. भारत में मत्स्यन क्षेत्रक

(Fishery Sector in India)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत विश्व में **दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य** उत्पादक देश बन गया है।

क्षेत्र का अवलोकन

- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.3% है। मत्स्यन क्षेत्र GDP में 1.1 % और कृषि GDP में 5.15% का योगदान देता है।
- मत्स्यन क्षेत्रक की दो शाखाएं अर्थात् **अंतर्देशीय मत्स्यन और समुद्री मत्स्यन** हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र से कुल मत्स्यन का लगभग 65% उत्पादित होता है जबकि शेष का उत्पादन समुद्री क्षेत्र से होता है।
- देश के कुल निर्यात में मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों का योगदान 10% है तथा कृषि निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- सभी वर्तमान योजनाओं को शामिल कर एक अम्ब्रेला स्कीम **'ब्लू रिवोल्यूशन: इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज'** निर्मित की गई है।
- यह अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री मत्स्यन को समाहित करेगा जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा संचालित गतिविधियां शामिल हैं।

अंतर्देशीय मत्स्यन हेतु

- विभिन्न राज्यों में मैक्रो-प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत **"अंतर्देशीय मत्स्यन और एक्वाकल्चर विकास"** पर केंद्र प्रायोजित योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें मत्स्य पालन हेतु अन्तर्देशीय लवणीय/क्षारीय मृदा का उत्पादक उपयोग तथा अंतर्देशीय प्रग्रहण संसाधनों का एकीकृत विकास आदि शामिल है।
- अंतर्देशीय मत्स्यन पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे के निर्माण हेतु सरकार ने **डॉ दिलीप कुमार** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
- सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 अधिसूचित की थी।
- **नीति का उद्देश्य** सस्टेनेबल हार्वेस्ट के माध्यम से भारत के EEZ के समुद्री जीवित संसाधनों के स्वास्थ्य एवं उनकी पारिस्थितिकीय अखंडता को सुनिश्चित करना है।
- यह समग्र रणनीति **सात आधारभूत स्तंभों,** अर्थात् संधारणीय विकास, मछुआरों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, सबसिडैरिटी के सिद्धांत, साझेदारी, अंतर-पीढ़ीय समानता, लैंगिक न्याय और निवारक दृष्टिकोण पर आधारित होगी।

VISION IAS

8.13. खाद्य तेल आयात

(Edible Oil Import)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

- भारत प्रमुख तिलहन उत्पादकों और खाद्य तेल आयातकों में से एक है। भारत की वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था का अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद विश्व में चौथा स्थान है।
- तिलहन, सकल फसली क्षेत्र के 13%, GDP के 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य के 10% का भागीदार है।
- भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पॉम ऑयल की हिस्सेदारी आधे से अधिक है।

आयात की आवश्यकता के कारण:

- **कृषि परिस्थितियाँ**
  - भारत में तिलहन उत्पादन मुख्य रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होता है। देश में तिलहन उत्पादन क्षेत्र का केवल एक चौथाई भाग सिंचित है।
  - विगत दो वर्षों में लगातार सूखे के कारण तिलहन उत्पादन और घरेलू खाद्य तेल का उत्पादन कम हुआ है।
- भारत में विभिन्न तिलहन फसलों की **निम्न औसत उपज**
- **प्रसंस्करण उद्योग**
  - प्रसंस्करण उद्योग स्थानीय उपभोग के लिए तेल की आपूर्ति करने हेतु रिपैकिंग और वितरण का कार्य करते हैं। इस हेतु वे तेल सम्मिश्रण के लिए परिष्कृत तेल के आयात पर अधिक फोकस करते हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू मांग**
  - खाद्य तेल पर वर्तमान आयात शुल्क अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की लंबे समय से गिरती कीमतों पर आधारित है, जो कच्चे तेल या अपरिष्कृत तेल की तुलना में रिफाइंड आयल के आयात को अधिक आकर्षक बनाता है।

सरकार द्वारा देश को तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न पहलें प्रारंभ की गई हैं:

- **ISOPOM (तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का की एकीकृत योजना)**
  - इसके तहत तिलहन, दलहन, पॉम ऑयल और मक्का से संबंधित चार योजनाओं को एक केंद्र प्रायोजित योजना ISOPOM में एकीकृत कर दिया गया है।
  - यह कृषि सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- **तिलहन और पॉम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP)**
  - इसे तीन उप मिशनों के तहत लागू किया जाता है; MM I - ऑयल सीड्स ,MM II - पॉम ऑयल , MM III - TBOs (ट्री बेस ऑइल)।
  - मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019 तक तिलहन का उत्पादन 42 mn टन तक बढ़ाना है, जो कि वित्तीय वर्ष 2017 में 34 mn टन अनुमानित है।
  - NMOOP के लिए रणनीति और दिशानिर्देशों में शामिल हैं:
    - इनके विकल्पों पर बल देते हुए बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) में वृद्धि;
    - तिलहन के सिंचित क्षेत्र को 26% से बढ़ाकर 36% करना,
    - कम उपज वाली अनाज फसलों से तिलहन के क्षेत्र में विविधीकरण,
    - अनाज/दालों/गन्ने के साथ तिलहन की कृषि,
    - धान/आलू की कृषि के पश्चात परती भूमि का उपयोग
    - वाटरशेड और बंजर भूमि में पॉम ऑयल और ट्री बेस्ड तिलहनों की कृषि का विस्तार,
    - गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि;
    - तिलहनों की खरीद और संग्रह को बढ़ाना
    - ट्री बेस्ड तिलहनों का प्रसंस्करण।

VISION IAS

8.14. हनी मिशन

(Honey Mission)

- इसे **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसका उद्देश्य **स्वीट रेवोल्यूशन** के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है जिसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य **शहद उत्पादन में तेजी लाना** और **2020 तक किसानों की आय को दोगुना** करना है।
- हनी मिशन का उद्देश्य स्व-रोज़गार के साधन के रूप में **'मधुमक्खी पालन' को बढ़ावा देना और लोकप्रिय** बनाना है। मधुमक्खी पालन और परागण सेवाएं किसानों की आय में वृद्धि करने और क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेंगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है।
- इसे रोजगार प्रदान करने, विक्रय योग्य सामग्रियों का उत्पादन करने और गरीबों के मध्य आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने तथा एक सशक्त ग्रामीण समुदाय की भावना का निर्माण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- **उत्पादन तकनीक में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने** और बढ़ावा देने तथा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए **वित्तीय सहायता प्रदान करने** की जिम्मेदारी भी इसे दी गयी है।
- यह निम्नलिखित योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है:
  - **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और नए माइक्रो-उद्यमों की स्थापना के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
  - **स्कीम ऑफ़ फण्ड फॉर रिजेनरेशन ऑफ़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI):** इस योजना को पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर्स में संगठित कर परंपरागत उद्योग को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था।
  - **ए स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ASPIRE):** ग्रामीण लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर (LBI), टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (TBI) और **स्टार्ट-अप के आरम्भ हेतु फंड ऑफ फंड्स** के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया।

8.15. नाबार्ड

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 में संशोधन किया गया है।

संशोधन का विवरण

- इसके द्वारा केंद्र सरकार को नाबार्ड की **अधिकृत पूंजी** को 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- नाबार्ड में RBI की 20,000 करोड़ रुपये की **बैलेंस इक्विटी** का स्थानांतरण केंद्र सरकार को किया गया है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ सामंजस्य:** नाबार्ड अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित 'कंपनी अधिनियम, 1956' को 'कंपनी अधिनियम, 2013' द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें, (i) सरकारी कंपनी की परिभाषा और (ii) लेखा परीक्षकों की योग्यता, से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।

नाबार्ड

यह देश का एक शीर्ष विकास बैंक है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कार्यरत है।

कार्य:

- बैंकों को पुनर्वित्तीयन की सुविधा प्रदान करना,
- **ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना,**

VISION IAS

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक और प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए **राज्य सरकारों को धन उपलब्ध** कराना,
- कृषि और ग्रामीण उद्योगों की **R&D संबंधी गतिविधियों का वित्तपोषण,**
- गैर-कृषि क्षेत्रों में **गैर-कृषि गतिविधियों** और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु **वित्त** प्रदान करना,
- सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का **निरीक्षण कार्य**।

नाबार्ड की ई-शक्ति पहल

- इसका लक्ष्य 100 जिलों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का डिजिटलीकरण करना है।
- इसे SHGs के लेखाजोखा (book keeping) की गुणवत्ता में सुधार जैसे कुछ चिंताओं का समाधान करने और बैंकों को समूह के संबंध में इन्फॉर्मड क्रेडिट डिसीजन लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रारम्भ किया गया था।
- इसका उद्देश्य SHGs के सदस्यों को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडे के अंतर्गत एकीकृत करना है।

8.16. किसान उत्पादक कंपनियाँ

(Farmer Producer Companies)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के लिए किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के लाभ को कर मुक्त कर दिया है।

FPC क्या हैं?

- यह सहकारी समितियों और निजी लिमिटेड कंपनियों का मिश्रित रूप है, जिसमें सदस्यों के बीच लाभ की साझेदारी होती है।
- इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित है:
  - इसका गठन उत्पादकों के समूह द्वारा कृषि या गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है।
  - यह एक पंजीकृत और विधिक निकाय है (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)।
  - लाभ का एक हिस्सा उत्पादकों के बीच साझा किया जाता है और अधिशेष को व्यापार विस्तार के लिए स्थापित फंड्स में जोड़ दिया जाता है।
- NABARD ने उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF) का शुभारंभ किया है और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) ने 2011 से अब तक लगभग 250 FPOs की स्थापना की है।
- SFAC ने अपना पूंजी आधार सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना **"इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज़"** आरंभ की है।

8.17 कृषि लागत

(Agriculture Inputs)

8.17.1. दीर्घावधिक सिंचाई कोष

(Long term irrigation fund)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए नाबार्ड द्वारा बांड जारी कर दीर्घावधिक सिंचाई कोष (LTIF) हेतु 9,020 करोड़ रु. तक के बजटेत्तर संसाधन जुटाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- **2015** में लांच की गई यह योजना **स्रोत निर्माण**, **वितरण**, **प्रबंधन**, **फील्ड एप्लीकेशन एवं विस्तार गतिविधियों के सम्पूर्ण समाधान के साथ**, **सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने एवं जल उपयोग दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने** की दृष्टि से तैयार की गई थी।
- इसे विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR, RD&GR) के **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)**, भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)** एवं **कृषि और सहकारिता विभाग** (DAC) के खेत पर जल प्रबंधन **(OFWM)** को मिश्रित करके तैयार किया गया है।

VISION IAS

दीर्घावधिक सिंचाई कोष (LTIF) क्या है?

- LTIF **अपूर्ण रह गईं वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं त्वरित कार्यान्वयन के उद्देश्य** से निर्मित एक कोष है। इसका निर्माण 2016 में 20,000 करोड़ रु. के आरंभिक कोष के साथ किया गया था।
- इसका उद्देश्य संसाधन अंतराल को पाटना एवं 2016-2020 के दौरान इन परियोजनाओं को पूर्ण करना है।
- दीर्घावधि सिंचाई कोष (LTIF) का गठन नाबार्ड में **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY) के अंतर्गत किया गया है। इसमें ब्याज दर 6% होगी तथा ब्याज लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

8.17.2. बीज उद्योग

(Seed Industry)

सुर्खियों में क्यों?

- हालिया रिपोर्टों में दर्शाया गया है कि 2009-2016 के दौरान भारतीय बीज बाजार 17% की वृद्धि दर से बढ़कर 2016 में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है।

भारत में बीज उद्योग

- भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बीज बाजार है।
- मक्का, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और बाजरा जैसे बीजों का बीज बाजार में प्रमुख योगदान है।
- बीज उत्पादन, प्रजनन प्रणाली के माध्यम से गुजरता है; **प्रजनक बीज (ब्रीडर सीड) ------ आधार बीज (फाउंडेशन सीड) ------ प्रमाणित बीज (सर्टिफाइड सीड)**
- प्रजनक बीज का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है और आधार तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम (मिनीरत्न कंपनी) द्वारा किया जाता है।

बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR)

- यह एक मापक है जो यह दर्शाता है कि कुल फसल क्षेत्र में से कितना भाग खेतों में बचाए हुए बीज की तुलना में प्रमाणित बीज द्वारा बोया गया है।
- यह गुणवत्तापूर्ण बीज तक किसानों की पहुँच को प्रदर्शित करता है और कृषि उत्पादकता के समानुपाती होता है।

विधायी पहलें

वर्तमान में बीज क्षेत्र निम्नलिखित कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है;

- **बीज अधिनियम, 1966**: प्रमाणित बीज की गुणवत्ता को विनियमित करता है।
- **बीज नियंत्रण आदेश,** 1983: बीजों की बिक्री को नियंत्रित करता है और लाइसेंस प्रदान करता है।
- **नई बीज विकास नीति, 1988:** बीजों के आयात, निर्यात आय और कृषि आय बढ़ाने पर जोर।
- **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2011 (PPVFR Act)**: यह पौधों के प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है।
- **राष्ट्रीय बीज नीति 2002-** निम्न पर आधारित है:
  - बीज किस्मों का विकास, बीज उत्पादन, निजी क्षेत्र को प्रमुख कर्ता के रूप में प्रोत्साहित करके बीज वितरण व विपणन, अवसंरचना सुविधा तथा नेशनल जीन फण्ड।
- **राष्ट्रीय बीज योजना, 2005:** कृषि शैक्षिणिक संस्थानों, बीज कंपनियों और राज्य सरकार के मध्य एक सहक्रियाशील दृष्टिकोण पर बल।

8.17.3. ड्रिप सिंचाई परियोजना

(Drip Irrigation Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कर्नाटक के बागलकोट जिले में रामथल मारोला परियोजना को शुरू कर दिया गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी ड्रिप सिंचाई परियोजना है।

VISION IAS

ड्रिप सिंचाई

यह नियंत्रित सिंचाई की एक विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की जड़ प्रणाली तक धीरे-धीरे जल पहुंचाया जाता है। जल या तो जड़ों के ऊपर स्थित मृदा की सतह पर या सीधे जड़ क्षेत्र में पहुँचाया जाता है।

प्रकार

- **सतही ड्रिप सिंचाई** - पौधों की जड़ प्रणाली के ऊपर स्थित मृदा की सतह पर जल पहुँचाया जाता है। इस पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए किया जाता है।
- **उपसतही ड्रिप सिंचाई** - जल को सीधे पौधों की जड़ प्रणाली तक पहुंचाया जाता है। इस पद्धति का उपयोग विशेष रूप से बढ़ रही पंक्तिबद्ध फसलों (row crops) हेतु किया जाता है।

ड्रिप सिंचाई के लाभ

- उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग
- अधिकतम फसल उपज
- **उच्च दक्षता के साथ उर्वरकों का उपयोग**
- **खरपतवारों की वृद्धि में कमी और पोषक प्राप्त करने वाले संभाव्य मेजबानों (hosts) की संख्या पर नियंत्रण**
- **निम्न श्रम** और अपेक्षाकृत निम्न परिचालन लागत।
- मृदा अपरदन से सुरक्षा।
- भूजल में उर्वरकों के रिसाव से मुक्ति।
- **सतही सिंचाई की तुलना में जल का निम्न वाष्पीकरण।**
- बीज अंकुरण में सुधार।
- जुताई की निम्न आवश्यकता।

8.17.4. उर्वरक क्षेत्र

(Fertilizer Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2022 तक यूरिया उर्वरक की खपत को आधा करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- सरकार ने वर्ष 2016-17 में उर्वरक सब्सिडी के बकाया दावों के भुगतान हेतु 10,000 करोड़ रुपये के स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट (SBA) को स्वीकृति प्रदान की है।

भारत में उर्वरक उद्योग

- भारत, चीन के बाद यूरिया उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार होने के कारण पोटाश की आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- यह **आठ आधारभूत उद्योगों में से एक है।**

नीतिगत और विधायी पहल

- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना, 2010:** यह **22** उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) के लिए लागू की गई है। इन उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का निर्धारण फास्फेट और पोटाश **(P&K)** उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दरों और देश में स्टॉक के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- **नई यूरिया नीति, 2015:** यह नीति, घरेलू यूरिया को ऊर्जा कुशल बनाने और सब्सिडी के बोझ को कम करने पर फोकस करती है।
- **नीम लेपित यूरिया (NCU): 100%** उत्पादन **NCU** के रूप में करने को अनिवार्य बनाया गया है, इसके लाभों में शामिल हैं:
  - मृदा में यूरिया का विघटन मंद गति से होता है, जिससे यूरिया की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
  - NCU, रासायनिक उद्योग, विस्फोटकों आदि जैसे गैर-कृषि कार्यों में संघटक सामग्री के रूप में यूरिया के अवैध उपयोग को रोकता है।

VISION IAS

- **गैस पूलिंग:** री-गैसीफाइड **LNG** (जिसका आयात किया जाता है) के साथ घरेलू गैस की पूलिंग की जाती है। इससे प्राकृतिक गैस ग्रिड से जुड़े सभी यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को **एकसमान वितरण मूल्य** पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
- **उर्वरक उद्योग में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)**: इस प्रणाली के अंतर्गत, किसान द्वारा उर्वरक की खरीद पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों पर दर्ज की जाएगी, इसके बाद उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी जारी की जाएगी।
- सिंगल सुपर फॉस्फेट (**SSP**) के निर्माताओं के लिए **न्यूनतम उत्पादन मानदंड को समाप्त करना** जिससे वे कृषि प्रयोजनों के लिए **SSP** की उत्पादित और बेची गई मात्रा सम्बन्धी बाध्यता से स्वतंत्र रहते हुए सब्सिडी के पात्र बन जाएँगे।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** इसके द्वारा किसान उर्वरकों के अतार्किक प्रयोग से बचने के लिए अपनी खेत विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।

8.17.5. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन

(Sub-Mission On Agricultural Mechanization)

पृष्ठभूमि

- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM), वर्ष 2014-15 में कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लांच किया गया था।**
- यह छोटे और सीमांत किसानों के बीच एवं ऐसे क्षेत्रों में **कृषि यंत्रीकरण** को बढ़ावा देने के लिए लांच किया गया था जहाँ कि मशीनीकरण का स्तर एवं विद्युत उपलब्धता बहुत कम होती है।
- मशीनीकरण पर उप-मिशन **(SMAM)** के अतिरिक्त, विभिन्न अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (**RKVY**), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (**NFSM**), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (**NHM**), तिहलनों एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन (**NMOOP**) इत्यादि के माध्यम से भी कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) **के अवयव**

- **प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का समर्थन एवं सुदृढ़ीकरण** ·
- **कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन** (PHTM) **का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण:** इसका लक्ष्य प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कम लागत पर वैज्ञानिक भंडारण/परिवहन और फसल उत्पाद प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है।
- **कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता:** सहायता के मानदंडो के अनुसार, यह विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के स्वामित्व को बढ़ावा देती है।
- **आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करना:** उपयुक्त स्थानों और फसलों के लिए आवश्यकतानुसार किराए पर लेने के लिए कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

8.17.6. प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट (मूल्य अन्तराल भुगतान) योजना

(Price Deficiency Payment (PDP) Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

- विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए **प्राइस डेफिशियेंसी पेमेंट** (मूल्य अन्तराल भुगतान) (Price Deficiency Payment: PDP) योजनाएं प्रारंभ की हैं।

विभिन्न राज्यों की PDP योजनाएं

- **मध्य प्रदेश की भावान्तर भुगतान योजना**: इसमें आठ खरीफ फसलें- सोयाबीन, तिल, मक्का, उड़द, तूर, मूंग, मूंगफली तथा रामतिल सम्मिलित हैं।
- **हरियाणा सरकार** ने **4** सब्जियों- आलू, प्याज, टमाटर एवं फूलगोभी के लिए कुछ इसी तरह की योजना की घोषणा की है।
- कर्नाटक सरकार अपने यहाँ के दुग्ध किसानों को डेयरियों द्वारा भुगतान की जा रही कीमत के अतिरिक्त **5** रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन दे रही है।

VISION IAS

PDP योजना के संबंध में

- इसके अंतर्गत, सरकार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता में बाजार में किया जाने वाला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्मिलित नहीं है। इसके बजाय बाजार को सामान्य आपूर्ति और मांग शक्तियों के आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत सरकार केवल MSP और बाजार-निर्धारित कीमत के मध्य अंतर की राशि का भुगतान करती है।
- NITI आयोग ने भी अपने तीन वर्षीय एजेंडे में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद में विद्यमान अंतराल को दूर करने के लिए इस प्रणाली का सुझाव दिया है।

8.17.7. ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, RBI ने स्पष्ट किया कि ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को दिया जाने वाला फसल ऋण जारी रहेगा।

ब्याज अनुदान योजना के बारे में

- यह किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रूपए तक के फसल ऋण पर 2% प्रतिवर्ष रियायत प्रदान करने की योजना है। 'तत्काल भुगतान करने वाले किसानों' के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का एक अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी उपलब्ध है।
- RRBs और सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और नाबार्ड के लिए ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा।
- यह योजना निम्नलिखित चार खंडों के लिए प्रदान की जा रही है;
  - अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान।
  - फसलोपरांत ऋणों के लिए ब्याज अनुदान।
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ब्याज अनुदान - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)।
  - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ब्याज अनुदान।

8.17.8. ई-कृषि संवाद

[E-Krishi Samvad]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री** ने हाल ही में **ई-कृषि संवाद** का शुभारंभ किया। यह कृषि क्षेत्र में **किसानों और अन्य हितधारकों के लिए** एक **ऑनलाइन इंटरफेस है**।

यह क्या है?

- यह एक ऑनलाइन इंटरफेस है, जिसके माध्यम से किसान एवं अन्य हितधारक अपनी समस्या के प्रभावी समाधान के लिए **ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)** के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों से तत्काल निदान और उपचार के उपायों को जानने के लिए किसान फसल रोगों, पशुओं या मछलियों की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं।
- इस संदर्भ में किसानों को विशेषज्ञों की राय SMS के द्वारा भेजी जाएगी।

8.18. कृषि बाजार

Agriculture Market

8.18.1. कृषि-उपज की बिक्री करने के लिए ई-रकम पोर्टल

(E-Rakam Portal for Selling Agri-Produce)

- हाल ही में सरकार द्वारा कृषि उपज की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी पोर्टल **ई-रकम** लांच किया गया।
- यह पोर्टल राज्य-संचालित-नीलामीकर्ता MSTC एवं सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी CRWC की संयुक्त पहल है।

VISION IAS

- यह पोर्टल **किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने एवं बिचौलियों के जाल में न फंसने देने एवं उपज को मंडी तक पहुँचाने की समस्याओं से बचाने में सहायता करने के लिए** लांच किया गया है।
- किसानों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।

8.18.2. एग्री-उड़ान

(Agri Udaan)

- हाल ही में, ICAR-NAARM एवं IIM-A के इनक्यूबेटर केंद्रों ने "एग्री उड़ान-खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर 2.0" की घोषणा की है।

विवरण

- यह खाद्य और कृषि एक्सेलरेटर है जो **कठोर निगरानी, इंडस्ट्री नेटवर्किंग और इन्वेस्टर पिचिंग** के माध्यम से खाद्य एवं कृषि स्टार्ट-अप कम्पनियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- इसका मुख्य विचार **ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना** एवं **कृषि और किसान की उपज में गुणवत्ता का समावेश** करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना है।
- एग्री-उड़ान का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप क्रांति लाना है, जो कि अब तक मुख्यतः सेवा क्षेत्रक तक ही संकेन्द्रित रही है।

8.18.3. निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट [NWRS]

(Negotiable Warehousing Receipts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** ने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट का उपयोग प्रारंभ किया है। खोने या दुरुपयोग के भय के बिना किसान सरलता से बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु इन रसीदों का उपयोग कर सकते हैं।

NWR क्या है?

- वेयरहाउस रिसीट या गोदाम रसीदें, वेयरहाउस या गोदाम में जमा किये गए माल के बदले में वेयरहाउस द्वारा जारी की जाती हैं, जिनके लिए वेयरहाउस अमानतदार (bailee) की तरह होते हैं।
- वेयरहाउस रिसीट, **नॉन-निगोशिएबल या निगोशिएबल** हो सकती हैं। NWR का व्यापार, बिक्री या विनिमय किया जा सकता है और इनका उपयोग ऋण लेने के लिए गिरवी (कोलैटरल) के रूप में भी किया जा सकता है।
- इसे वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2007 में परिभाषित किया गया है।
- NWR को पहली बार 2011 में आरंभ किया गया था और इन्हें वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी (WDRA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

8.18.4. निवेश बंधु

(Nivesh Bandhu)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो (World Food India Expo), 2017 के दौरान **'निवेश बंधु'** नामक एक निवेशक सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पोर्टल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों की निवेशक अनुकूल नीतियों, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, अवसंरचना एवं निवेश के संभावित क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य विनियामक पोर्टल का भी शुभारंभ किया है।
- खाद्य व्यवसायों द्वारा घरेलू व्यापार और खाद्य आयात दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसे एकल इंटरफ़ेस के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

VISION IAS

8.19 कृषि शिक्षा

(Agricultural Education)

8.19.1.राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

(National agriculture higher education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना,** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा **विश्व बैंक** की साझेदारी में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कृषि में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एवं उसे बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत की गई थी।
- यह परिषद पूरे देश में **बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान समेत कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है।**

पूसा कृषि ऐप को ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, जो निम्नलिखित से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है:

- किसानों के लिए उपलब्ध उत्पादों की किस्मों के संबंध में,
- अधिक फसल उपज प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जा सकने वाली प्रौद्योगिकी के संबंध में,
- उपज और इसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के संबंध में,
- पशुचारे और जैव-उर्वरक के संबंध में

परियोजना के संबंध में

- सभी वैधानिक कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय इस परियोजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- यह शिक्षक और छात्र विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना, आधुनिकतम प्रयोगशालाओं, उद्योग लिंकेज, पूर्व छात्र नेटवर्क, कैरियर विकास इत्यादि के माध्यम से **शिक्षण और अधिगम (learning) के मानकों** को उन्नत करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।.
- इस परियोजना के **तीन प्रमुख अवयव** हैं:
  - कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता
  - कृषि उच्च शिक्षा में नेतृत्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR)** में निवेश
  - परियोजना प्रबंधन और अधिगम

अन्य सरकारी पहलें

- **आर्य (ARYA):** भारत सरकार द्वारा 2015 में "आर्य- कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (Attracting and Retaining Youth in Agriculture: **ARYA**)" लांच किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में संधारणीय आय और लाभकारी रोजगार के लिए युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना**: इसे 2016 में लांच किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि शिक्षा के लिए 100 नए केन्द्र खोले गए थे।

VISION IAS

8.19.2. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट

(International Rice Research Institute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में वाराणसी के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर: NSRTC) परिसर में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (IRRI) का साउथ एशिया रीजनल सेंटर (ISARC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट

- IRRI एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय फ़िलीपींस में है।
- इसका उद्देश्य गरीबी और भूख का उन्मूलन, चावल उत्पादित करने वाले कृषकों एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य में सुधार और चावल की कृषि के लिए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

विवरण

- वाराणसी में चावल मूल्य संवर्धन का एक उत्कृष्टता केंद्र (CERVA) स्थापित किया जाएगा। इसमें अनाज तथा पुआल में भारी धातुओं की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण करने की क्षमता वाली एक **अत्याधुनिक और परिष्कृत प्रयोगशाला** भी शामिल है।
- यह **पूर्वी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय केंद्र** होगा तथा चावल उत्पादन को उन्नत एवं धारणीय बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

8.20. कोडेक्स एलमेंटैरियस कमीशन

(CAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोडेक्स एलमेंटैरियस कमीशन (CAC) ने जिनेवा में काली, सफेद एवं हरी मिर्च, जीरा और अजवायन के लिए तीन कोडेक्स मानकों को अपनाया है।

पृष्ठभूमि

- 2013 में भारतीय मसाला बोर्ड ने CAC के समक्ष मसालों और खाद्य जड़ी-बूटियों के लिए एक विशेष समिति (committee for spices and culinary herbs) का प्रस्ताव पेश किया था। विगत 25 वर्षों में स्वीकृत होने वाली यह पहली नई कोडेक्स कमोडिटी कमेटी बन गई है।
- तीन मसालों के लिए कोडेक्स मानकों को अपनाने से इनके वैश्विक व्यापार तथा उच्च गुणवत्तायुक्त, स्वच्छ और सुरक्षित मसालों की उपलब्धता के लिए एक सामान्य मानकीकरण प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी।

भारतीय मसाला बोर्ड

- मसाला बोर्ड, भारतीय मसालों के विकास और विश्व भर में इसके प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है।
- 1987 में **मसाला बोर्ड अधिनियम 1986** के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय **कोच्चि** में स्थित है।
- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** के अधीन कार्य करने वाले पांच सांविधिक बोर्डों यथा- कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड में से एक है।

कोडेक्स एलीमेंटैरियस कमीशन (CAC) क्या है?

- कोडेक्स एलीमेंटैरियस कमीशन (CAC) संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर 180 से अधिक सदस्यों वाली एक **अंतर-सरकारी संस्था** है।

VISION IAS

- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य व्यापार में उचित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे 1963 में **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा स्थापित किया गया था।
- कोडेक्स खाद्य सुरक्षा मानक **WTO के एग्रीमेंट ऑन सेनेटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स (SPS एग्रीमेंट)** में भी उल्लिखित हैं।

SPS एग्रीमेंट 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ।

- इसका संबंध खाद्य सुरक्षा तथा पशु एवं पौधे के स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुप्रयोग से है।
- इसके अंतर्गत किसी देश को स्वयं के मानकों को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। लेकिन साथ ही यह भी वर्णित किया गया है कि इन नियमों को विज्ञान आधारित होना चाहिए।
- इन्हें उसी सीमा तक लागू किया जाना चाहिए जिस सीमा तक मानव, पशु या पौधे, जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक हों।

और इनके द्वारा समरूप एवं समान परिस्थितियों वाले देशों के मध्य मनमाने ढंग से या अनुचित रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

4th Dec | 9 AM

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

21st Nov | 1 PM

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

9. औद्योगिक नीति और संबंधित मुद्दे

(INDUSTRIAL POLICY AND ASSOCIATED ISSUES)

9.1. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) जारी किया गया। यह भारत का पहला मनोभाव सूचकांक (सेंटीमेंट इंडेक्स) है।

क्रिसिडेक्स (CriSidEx) के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य

- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे CRISIL एवं SIDBI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह 8 मापदंडों वाले डिफ्यूज़न इंडेक्स (diffusion index) पर आधारित है तथा लघु एवं मध्यम उद्यम व्यावसायिक मनोभावों का 0 (अत्यंत नकारात्मक) से 200 (अत्यंत सकारात्मक) के पैमाने पर मापन करता है।
- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) का अध्ययन संभावित विपरीत परिस्थितियों और उत्पादन चक्र में परिवर्तनों को चिह्नित करेगा जो बाजार दक्षताओं में सुधार करने में सहायक होगा।
- निर्यातकों और आयातकों के मनोभावों को जानकर, यह विदेशी व्यापार पर कार्यवाही करने योग्य संकेतक भी प्रस्तुत करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में हाल ही के संशोधन

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के आधार को **'संयंत्र/ मशीनरी में निवेश'** से परिवर्तित कर **'वार्षिक टर्नओवर'** करना। तदनुसार अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया जाएगा।
  - **सूक्ष्म उद्यम**: **वार्षिक टर्नओवर** पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
  - **लघु उद्यम: वार्षिक टर्नओवर** पांच करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;
  - **मध्यम उद्यम: वार्षिक टर्नओवर** 75 करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा **व्यापार की मात्रा की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। यह मात्रा** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम **की धारा 7 में निर्दिष्ट सीमाओं के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।**

सरकार की पहलें

- **उद्यमी मित्र पोर्टल–** इसे SIDBI द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु ऋण की उपलब्धता एवं सहयोग प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- **डिजिटल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजना–** यह क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग को समाविष्ट करती है। इसके तहत MSME द्वारा इंटरनेट के उपयोग से *इन-हाउस* (घरेलू स्तर पर निर्मित) IT अवसंरचना को स्थापित करने के बजाय *टेलर-मेड* (आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य द्वारा निर्मित) या सामान्य (कॉमन) IT अवसंरचना (उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए सॉफ्टवेयर सहित) तक पहुँच स्थापित की जाती है|

VISION IAS

- **MSME विलम्बित भुगतान पोर्टल – MSME समाधान –** यह सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों / राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाएगा।
- **MSME संबंध –** यह पोर्टल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता करेगा।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–** यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- नवीनीकृत स्फूर्ति **(Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries:SFURTI)** योजना
- **नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु योजना** (A Scheme for promoting innovation, entrepreneurship, and agro-industry: **ASPIRE)**–
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (NMCP)** - भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मध्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) -** उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाना।
- केंद्र सरकार द्वारा **MSME संबंध पोर्टल** भी आरंभ किया गया है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSMEs से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसके द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के तहत अनिवार्य की गयी कुल वार्षिक खरीद की न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीद MSME द्वारा उत्पादित उत्पादों अथवा उपलब्ध कराई गयी सेवाओं के माध्यम से करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

9.2. सेवा क्षेत्र में चैम्पियन क्षेत्रक

(Champion Sectors In Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चिह्नित 12 चैम्पियन सेवा क्षेत्रकों (champion services sector) पर विशेष ध्यान देने के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- बाद में यह निर्णय लिया गया कि **औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP)** विनिर्माण के चैम्पियन क्षेत्रकों की पहल का नेतृत्व करेगा और **वाणिज्य विभाग** सेवा क्षेत्र के चैम्पियन क्षेत्रकों की प्रस्तावित पहल का समन्वय करेगा। **DIPP** 'मेक-इन-इंडिया' के लिए नोडल विभाग है।
- चैम्पियन क्षेत्रकों की क्षेत्रीय कार्य योजना की पहल को सहायता देने के लिए **5000 करोड़ रुपयों की एक समर्पित निधि** की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 2014 के 3.1% की तुलना में 2015 में 3.3% थी। इस पहल के आधार पर 2022 के लिए 4.2% का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2022 तक GVA में सेवाओं का हिस्सा 60% (निर्माण सेवाओं सहित 67%) प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है, जो वर्तमान में 52% है।

9.3 स्टार्ट अप से संबंधित पहल

(Initiatives Related to Start Ups)

9.3.1. स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

(State Start-Up Ranking 2018)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) ने स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 का शुभारंभ किया है।
- सरकार ने स्टार्ट-अप की स्थापना के लिए अपेक्षित दीर्घ परिपक्वता अवधि (gestation period) को ध्यान में रखते हुए ,इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। अब एक इकाई को इसके निगमन/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक (पूर्व में 5 वर्ष तक था) स्टार्टअप के रूप में माना जाएगा।
- हालांकि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के मामले में, यह अवधि निगमन/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी।

FRAMEWORK PILLARS	# OF ACTION POINTS	SCORE ASSIGNED
1 Startup policy and implementation	13	17
2 Incubation support	3	20
3 Seed funding support	2	15
4 Funding support: Angel and venture funding support	3	10
5 Simplified regulations	4	13
6 Easing public procurement	5	14
7 Awareness and outreach	8	11
TOTAL	38	100

स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के संबंध में

- वर्तमान में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य **प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा देने और **स्वस्थ स्टार्ट-अप परिवेश** तक पहुँच के लिए **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप** हेतु **स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग** का शुभारम्भ किया गया है।
- रैंकिंग के उपकरण हैं -
  - राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क (स्तंभों के लिए चित्र देखें)
  - भारत में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य प्रणालियों का संकलन।
  - स्टार्ट-अप इंडिया किट - यह स्टार्ट-अप इंडिया पहल द्वारा स्टार्ट-अप्स के लिए उपलब्ध सभी लाभों हेतु वन-स्टॉप गाइड है।

स्टार्ट-अप इंडिया योजना

- इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स को विकसित करने के लिए **एक मजबूत परिवेश का निर्माण** करना है, जिसके द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- इसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया योजना इसलिए भी शुरू की गई है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) और एक महिला को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा सके; जिससे वे व्यापार, सेवाओं या विनिर्माण क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड (नया) उद्यम स्थापित कर सकें।

स्टार्ट अप इंडिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- स्व-प्रमाणन, सार्वजनिक खरीद के शिथिलीकृत मानदंड और त्वरित बहिर्गमन (faster exit) आदि पर आधारित सरल अनुपालन व्यवस्था के माध्यम से स्टार्ट-अप्स के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सहायता।
- फंड संबंधी समर्थन और प्रोत्साहन: 10,000 करोड़ रुपये की राशि वाले फंड ऑफ़ फंड्स के माध्यम से।
- उद्योग- शैक्षणिक समुदाय भागीदारी और इन्क्यूबेशन (incubation)
- आगामी चार वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा स्टार्ट-अप्स के लिए 500 करोड़ रुपये के एक क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया जाएगा।

9.3.2. स्टार्ट-अप इंडिया हब

(Start-Up India Hub)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब का शुभारंभ किया है।

स्टार्ट-अप इंडिया हब क्या है?

- यह उद्यमिता तंत्र के सभी हितधारकों जैसे- स्टार्टअप, निवेशक, सलाहकार, शिक्षाविद, इनक्यूबेटर, एक्सिलरेटर, कॉर्पोरेट, सरकारी निकाय आदि के लिए एक कॉमन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से ये अनुसन्धान कर सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं तथा एक दूसरें के साथ कार्य कर सकते हैं।
- स्टार्टअप इंडिया हब वस्तुतः **इन्वेस्ट इंडिया** के अंतर्गत आता है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिदेशित भारत सरकार की आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है।
- इस हब ने लगभग 50 प्रासंगिक सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को संयुक्त किया है। अपने अगले चरण में इसके द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई योजनाओं को संयुक्त किया जाएगा।

9.3.3. स्टार्ट-अप संगम पहल

(Start-Up Sangam Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय** द्वारा स्टार्ट-अप संगम पहल आरंभ की गई थी।

स्टार्ट-अप संगम पहल

- इसे **भारी तेल (heavy oil) और गैस उद्योग में नवाचार लाने** और **नई प्रौद्योगिकियों के समावेश को बढ़ावा देने** के लिए आरम्भ किया गया था।
- इस पहल के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों जैसे- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC और इंजीनियर्स इंडिया आदि के योगदान से 320 करोड़ रुपये की राशि का एक कोष तैयार किया गया है।
- इस कोष का उपयोग आगामी तीन वर्षों में 30 से अधिक स्टार्ट-अप्स में किया जाएगा।
- चयनित स्टार्ट-अप विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों जैसे कि अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करने, सौर स्टोव, कृषि, बायोमास अपशिष्ट से बहुउद्देशीय ईंधन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) सिलेंडर के लिए लीक डिटेक्टर आदि बनाने के क्षेत्र में कार्य करेंगे।
- इसके द्वारा वैकल्पिक ईंधन में नवाचारों के माध्यम से ईंधन आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

9.4. वस्त्र क्षेत्र

(Textile Sector)

9.4.1. साथी योजना

(Saathi Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

- **वस्त्र मंत्रालय** एवं **विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से एक नई पहल '**साथी**' (Sustainable and Accelerated Adoption of Efficient Textile Technology to Help Small Industries-

VISION IAS

SAATHI) अर्थात् 'लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी वस्त्र प्रौद्योगिकियों का संधारणीय एवं त्वरित अंगीकरण' का आरंभ किया गया है।

साथी योजना के संबंध में

- इस पहल के तहत, EESL विद्युत से चलने वाले ऊर्जा दक्ष करघों (पावरलूम्स), मोटर एवं रिपेयर किटों का थोक में क्रय करेगी एवं उन्हें बिना किसी अग्रिम लागत के लघु एवं मध्यम इकाइयों को उपलब्ध कराएगी।
- इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से **EESL** एवं **वस्त्र आयुक्त कार्यालय** द्वारा किया जाएगा

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)

- यह **चार** राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों - *NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड* और *पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड* का एक संयुक्त उपक्रम है।
- इसे भारत सरकार के **विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान** में स्थापित किया गया है।
- यह *नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी इफिशिएन्सी* (**National Mission for Enhanced Energy Efficiency**) की बाजार संबंधी गतिविधियों का भी संचालन करता है।
- यह राज्य डिस्कॉम्स की क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।
- यह **स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम** (इसके अंतर्गत, सरकार द्वारा पूरे देश में 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) और **उजाला** (सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत ज्योति) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

9.4.2. वस्त्र उद्योग क्षेत्रक में क्षमता निर्माण के लिए योजना

(Scheme for Capacity Building in Textiles Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वस्त्र उद्योग क्षेत्रक में क्षमता निर्माण के लिए एक नवीन योजना (SCBTS) को स्वीकृति प्रदान की है।

SCBTS से सम्बंधित तथ्य

- इस योजना की अवधि तीन वर्ष, 2017 से 2020 तक, तथा इसकी लागत 1300 करोड़ रूपए होगी।
- इसे वस्त्र उद्योग तथा कपड़ा क्षेत्रक के मान्यता प्राप्त सार्वजनिक तथा निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्रक के लिए नियोजन-परक कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना तथा परम्परागत क्षेत्रक हेतु कौशल उन्नयन द्वारा आजीविका संबंधी अवसरों में वृद्धि करना है।
- इसमें संगठित क्षेत्रक में **कताई और बुनाई को छोड़ कर** वस्त्र उद्योग की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को समाविष्ट किया जाएगा।

नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)

- यह ज्ञान, कौशल तथा अभिक्षमता (aptitude) के स्तर के अनुसार योग्यताओं के संयोजन हेतु निर्मित एक रूपरेखा है।
- इसका उद्देश्य सभी संस्थानों में विभिन्न योग्यताओं से संबद्ध परिणामों में समरूपता प्राप्त करना है।
- NSQF का संचालन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा किया जाता है।
- इसके द्वारा रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL) के संदर्भ में भी सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वर्तमान शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली में प्राय: अभाव रहा है।

- इस योजना में **नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF)** में प्रयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।
- सफल प्रशिक्षुओं को एक मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकित कर प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। कम से कम 70 प्रतिशत प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षुओं को वेतन-युक्त रोज़गार में नियोजित किये जाने तथा अनिवार्य रूप से **पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग** किये जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत निवारण समिति के गठन के पश्चात् ही उक्त संस्था को निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

VISION IAS

9.4.3. राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

(Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने टेक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम (TWRFS) को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है।

विवरण

- **कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना,** ऐसे बीमित व्यक्तियों के लिए **बेरोजगारी भत्ता योजना** है जो कारखानों आदि में छंटनी या इनके बंद होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं या गैर-रोजगार चोटों के कारण स्थायी रूप कम से कम 40 प्रतिशत अक्षम हो जाते हैं।
  - बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के आश्रित सदस्य बेरोजगारी की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं के भी पात्र होते हैं।
  - पुन: रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में पुनर्वास कौशल विकास योजना को भी सम्मिलित किया गया है।
  - यदि बीमित व्यक्ति पुनः रोजगार प्राप्त कर लेता है या सेवा निवृत्ति या 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो इन भत्तों के भुगतान को समाप्त कर दिया जाता है।
- वस्त्र मंत्रालय की **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना** का लक्ष्य **निजी क्षेत्र** में गैर-लघु उद्योग वस्त्र मिलों के **स्थायी रूप** से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।

9.5. चमड़ा उद्योग

(Leather Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है।

चमड़ा उद्योग का अवलोकन

- भारत, विश्व में फुटवियर और चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व के चमड़ा उत्पादन में भारत का योगदान 12.93% है।
- संपूर्ण चमड़ा उत्पाद क्षेत्रक, लाइसेंस से मुक्त है। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- यह अत्यधिक श्रम गहन उद्योग है। इस उद्योग द्वारा लगभग 30 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 30% महिलाएं हैं।

इंडियन फुटवियर, लेदर एंड एक्सेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम

इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित 6 उप-योजनाएं सम्मिलित हैं:

- **मानव संसाधन विकास (HRD)-** इसके तहत प्लेसमेंट से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (IDLS) उप-योजना:** मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश अनुदान/सब्सिडी प्रदान करना।
- **मेगा लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर (MLFAC) उप-योजना:** परियोजना लागत के 50% तक श्रेणीबद्ध सहायता (ग्रेडेड असिस्टेंस) के माध्यम से अवसंरचना समर्थन प्रदान करना।
- **लेदर टेक्नोलॉजी, इन्नोवेशन एंड एनवायरनमेंट इश्यू सब-स्कीम (चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित उप-योजना):** साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (कॉमन एफ्लूअन्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स-CETPs) के उन्नयन या उनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।
- **लेदर, फुटवियर एंड एक्सेसरीज के क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन उप-योजना:** तीन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता।
- **लेदर, फुटवियर एंड एक्सेसरीज के क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन उप-योजना।**

VISION IAS

9.6. पोत भंजक उद्योग

(Ship-Breaking Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने पोत भंजन संहिता 2013 में संशोधन प्रस्तावित किया है।

पोत भंजन संहिता (शिप-ब्रेकिंग कोड) 2013: यह व्यापक योजना है, जो प्रावधान करती है;

- **पुनर्चक्रण योजना:** यह संहिता पुनर्चक्रणकर्ता के लिए दो घटकों वाली योजना, पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजना (शिप रीसाइक्लिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट प्लान: SRFMP) और पोत विशिष्ट पुनर्चक्रण योजना (SSRP) तैयार करना आवश्यक बनाती है।
- **श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य:** उचित उपकरण, पर्याप्त खुले स्थान, आदि की उपलब्धता प्रदान करना।
- **श्रम कल्याण सुनिश्चित करना:** ESIC, EPFO, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि की प्रासंगिकता।
- हांगकांग कन्वेंशन 2009 को अपनाने के साथ पोतों का प्रभावी वर्गीकरण।

पोत भंजन की पृष्ठभूमि

- इसे बीचिंग या जहाज-पुनर्चक्रण/पोत विघटन क्षेत्रक के रूप में भी जाना जाता है।
- गुजरात में अलंग भारत का सबसे बड़ा पोत भंजक स्थल है। यहां विस्तृत महाद्वीपीय जल निमग्न तट, कीचड़ मुक्त तट और विस्तृत अंतरज्वारीय क्षेत्र जैसी भौगोलिक विशेषताओं के कारण यह बड़े जहाजों के आवागमन के लिए उपयुक्त है।
- 2016 में, भारत ने 300 से अधिक पोतों को विघटित किया था। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन में विघटित किए जाने वाले पोतों की संख्या से अधिक है। लेकिन सकल टन विघटन के मामले में, बांग्लादेश भारत से आगे है।
- पोत पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) से उत्पन्न होने वाला इस्पात, घरेलू इस्पात माँग के 1-2% की पूर्ति करता है (**भारतीय खान ब्यूरो, 2015**)।
- इसे 2014 में, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण से जहाजरानी मंत्रालय के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया है।

9.7. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

(Electronics Manufacturing In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप आयात बिल में वृद्धि हो रही है तथा लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति (NPE), 2012

विजन: देश की आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सेवाओं के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण उद्योग का सृजन करना।

NPE के 2020 के लिये लक्ष्य

- 2020 तक लगभग 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करना।
- 100 बिलियन डॉलर का निवेश।
- 2020 तक 28 मिलियन रोजगार प्रदान करना।
- 55 बिलियन डॉलर के चिप डिजाइन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उद्योग का कारोबार करना और इस सेक्टर से 80 बिलियन डॉलर का निर्यात करना।
- 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरों की स्थापना करना।
- इस सेक्टर में उच्च स्तर के मानव संसाधनों का विकास कर उन्हें 2020 तक वार्षिक आधार पर 2500 PhD प्राप्त करने वालों के स्तर तक पहुंचाना।

VISION IAS

सरकार की पहलें:

- सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति (NPE) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- *मेक इन इण्डिया* अभियान में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र में सूचीबद्ध किया है।
- **संशोधित विशेष पैकेज योजना (MSIPs),** पूंजीगत व्यय पर 25% (SEZ में 20%) का अनुदान प्रदान करती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम** में ग्रीनफील्ड क्लस्टर (इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के दृष्टिकोण से अविकसित और अल्प विकसित क्षेत्रों) में अवसरंचना और सहभागी सुविधाओं के विकास हेतु लागत का 50% और ब्राऊनफील्ड क्लस्टर्स (जहाँ पहले से ही महत्त्वपूर्ण संख्या में EMC उपस्थित हैं) के लिए लागत का 75% प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लगभग 30 विनिर्माण क्लस्टर अधिसूचित हैं और भारत सरकार का 2020 तक 200 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है।
- **सरकारी खरीद में स्वदेश निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता।** खरीद की यह सीमा 30% से कम नहीं होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में IP जेनरेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष हेतु एक **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि** की स्थापना के संदर्भ में सक्रिय रूप विचार किया जा रहा है।

9.8. घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति

Domestically Manufactured Iron And Steel Products Policy

सुर्खियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में सरकारी खरीद में **घरेलू स्तर पर विनिर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता** देने की नीति को मंजूरी दी है।
- अंतरराष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील फोरम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत 2016 में, जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। वर्तमान में चीन इस सूची में प्रथम स्थान पर है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

- नीति में 2030-31 तक लगभग 300 मीट्रिक टन कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के समान है।
- पहले की नीतियों से अलग इस नीति में न केवल 160 किलो प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अपितु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप भी प्रदान किया गया है।
- भारत वर्तमान में अपनी कोकिंग कोल आवश्यकता के करीब 70 फीसदी का आयात करता है। इस नीति का उद्देश्य 2030-31 तक कोकिंग कोल से संबंधित आयात निर्भरता को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए वाश्ड (washed) कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना है।

विशेषताएँ

- यह प्रिफरेंशियल प्रोक्योरमेंट में शामिल अधिसूचित इस्पात उत्पादों के लिए न्यूनतम 15% मूल्य संवर्धन का प्रावधान करती है।
- प्रत्येक घरेलू निर्माता सरकारी खरीद एजेंसी को **लौह एवं इस्पात उत्पादों के घरेलू स्तर पर निर्मित होने का स्व-प्रमाणन** प्रस्तुत करेगा।
- यदि किसी निर्माता को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इस्पात मंत्रालय के तहत स्थापित शिकायत निवारण समिति, **समयबद्ध तरीके से चार सप्ताह में शिकायत का** निपटारा करेगी।

भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग

- इस उद्योग के लिए आवश्यक आगतों (इनपुट्स) के तहत श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल शामिल हैं।
- यह एक फीडर उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किये जाते हैं।
- भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं।

VISION IAS

इस उद्योग के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियां:

- कच्चे माल की कमी: भारत में उपलब्ध कोकिंग कोल में राख की मात्रा अधिक होती है, जो लौह और इस्पात की उत्पादित गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
- बिजली की कमी
- परिवहन संबंधी समस्या
- इनपुट लागत और प्रशासित मूल्य की समस्या
- क्षमता का कम उपयोग
- पूंजी की उच्च लागत और कम श्रम उत्पादकता
- तकनीकी विकास का अभाव

9.9. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

(National Productivity Council)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस एवं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया।

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह-2018 की **थीम** "उद्योग **4.0** भारत के लिए बड़ी छलांग लगाने का अवसर (Industry 4.0 Leapfrog Opportunity for India)" निर्धारित की गई है।

उद्योग 4.0 के विषय में

- अगली औद्योगिक क्रांति के रूप में सम्बोधित किये जाने वाले इस अवसर की विशेषता डिजिटलीकरण एवं उत्पादों के पारस्परिक संबंध, गुणवत्ता श्रृंखलाओं और व्यापार मॉडल में वृद्धि है।
- इसका अर्थ **वास्तविक एवं आभासी विश्व (वर्चुअल वर्ल्ड) का अभिसरण** होगा – यह विनिर्माण क्षेत्र में पारंपरिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को परस्पर समेकित करने का चरण है।
- यह **"स्मार्ट फैक्ट्री"** में परिणत होगा। विविधता, संसाधन कुशलता, श्रम दक्ष डिज़ाइन एवं व्यापार भागीदारों के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण आदि स्मार्ट फैक्ट्री की विशेषताएं हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के विषय में

- यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है।
- यह भारत सरकार द्वारा **1958 में पंजीकृत सोसायटी** के रूप में स्थापित तथा सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के समान प्रतिनिधित्व वाला **एक त्रि-पक्षीय गैर-लाभकारी संगठन** है। इसके अतिरिक्त इसके शासी निकाय में स्थानीय उत्पादकता परिषदों एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स से सदस्यों समेत तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों का भी प्रतिनिधित्व है।
- यह उत्पादकता के क्षेत्र में प्रशिक्षण व परामर्श और *अंडरटेकिंग रिसर्च* प्रदान करता है।
- यह टोक्यो आधारित **एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)** के कार्यक्रमों को सम्पन्न करता है। APO एक अंतर-सरकारी निकाय है तथा भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- इसे राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अंतर्गत '**लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पटीटिवनेस स्कीम**' के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU) के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पटीटिवनेस प्रोग्राम)

इसका मुख्य **उद्देश्य** निम्नलिखित अवयवों के माध्यम से हस्तक्षेप द्वारा विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करना है:

- **लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पटीटिवनेस स्कीम** (इसका उद्देश्य लीन मैन्युफैक्चरिंग अवधारणाओं की सहायता से अपशिष्ट में कमी करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की समग्र उत्पादकता में सुधार करना है।)
- डिजाइन क्लिनिक स्कीम।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन समर्थन (TEQUP)।
- विनिर्माण क्षेत्रक में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का संवर्धन।

- बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) पर जागरुकता का निर्माण।
- इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों का **उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संबंधी विकास**।
- बाजार विकास सहायता (MDA) योजना के अंतर्गत बार कोड

9.10. औद्योगिक आवंटन के लिए भूमि बैंक

(Land Bank for Industrial Allocation)

सुर्खियों में क्यों?

ओडिशा सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को भूमि आवंटित करने हेतु राज्य में 1.2 लाख एकड़ के भूमि बैंक का सृजन किया जा रहा है।

भूमि बैंक क्या है?

- भूमि बैंक एक प्रकार का *लैंड पूल* है जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को निवेशकों को भूमि देने के लिए अनुमति प्रदान करती है।
- इसकी परिकल्पना नियामक प्रक्रिया को समाप्त करने और भूमि अधिग्रहण संबंधी किसी भी विवाद से बचने के लिए की गयी है।
- यह व्यवसाय सुगमता में वृद्धि करने, निवेश आकर्षित करने और किसानों द्वारा जमीन की आपात/जबरन बिक्री (डिस्ट्रेस सेल्स) को रोकने में सहायता करता है।

10. अवसंरचना

(INFRASTRUCTURE)

10.1 सड़कें

(ROADS)

10.1.1. राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ

(National Highway Investment Promotion Cell)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ (NHIPC) का गठन किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** का गठन किया गया था। यह **सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े या प्रासंगिक प्रकरणों के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (NHDP) को **1998** में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़क मार्गों का विकास करना है।

NHIPC की आवश्यकता

- **भारतमाला परियोजना के लिए फंड:** सरकार ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5,35,000 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा आगामी पाँच वर्षों में 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

NHIPC के उद्देश्य

- यह प्रकोष्ठ सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थागत निवेशकों, निर्माण कंपनियों, डेवलपरों और कोष प्रबंधकों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

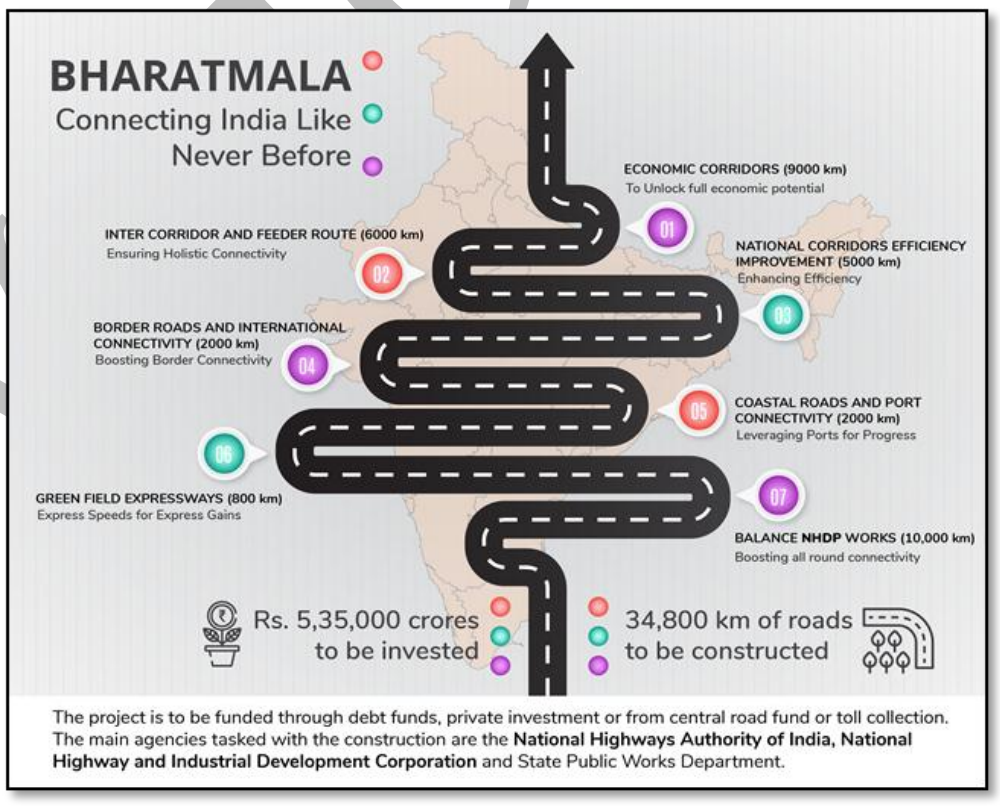

भारत में सड़क निर्माण के अंतर्गत प्रयुक्त PPP मॉडल

- **BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर)**: निजी भागीदार अवसंरचना की डिजाइन, निर्माण, संचालित (अनुबंधित अवधि के दौरान) करने तथा बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र को वापस स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना के वाणिज्यिक रूप से आरंभ होने के पश्चात्, सरकार निजी पक्ष को भुगतान करना आरंभ करती है। **DBFOT** (डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर) इसके प्रकारों में से एक है।
- **BOT-टोल:** BOT के समान होता है। केवल एकमात्र अंतर यह है कि निजी पक्ष को टोल संग्रह के माध्यम से अपना निवेश वसूल करने की अनुमति होती है। इस प्रकरण में, सरकार निजी पक्ष को कुछ भी भुगतान नहीं करती है।
- **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल**: कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रबंध तक सीमित होती है।

हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM): यह **BOT** और **EPC** मॉडल का मिश्रित रूप है। सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों के दौरान परियोजना की **40%** लागत का भुगतान करती है। शेष **60%** का भुगतान सृजित परिसंपत्ति के मूल्य के आधार पर परिवर्तनशील वार्षिकी के रूप में परियोजना के पूर्ण होने के बाद किया जाता है।

10.1.2. INAM-PRO+ का शुभारम्भ

(Launch of INAM-PRO+)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री द्वारा नई दिल्ली में INAM-Pro+ का शुभारम्भ किया गया है।

INAM-PRO क्या है?

इस वेब पोर्टल को नेशनल हाइवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा डिजाइन किया गया था।

- यह पोर्टल मूल्यों की तुलना, सामग्रियों की उपलब्धता आदि की जानकारी में सहायता करता है साथ ही संभावित क्रेताओं के लिए पारदर्शी ढंग से उचित दरों पर सीमेंट की खरीद को अत्यधिक सुविधाजनक बनाता है।

INAM-PRO+ क्या है?

- यह INAM-PRO का एक उन्नत संस्करण है। इसमें निर्माण से संबंधित सामग्रियों, उपकरणों/मशीनरी और सेवाओं (जैसे नए/प्रयुक्त उत्पादों की खरीद/उन्हें किराए पर लेना/पट्टे पर लेना) तथा निर्माण सामग्रियों के दायरे में आने वाली सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।

10.1.3 केन्द्रीय सड़क निधि

(Central Road Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लोकसभा में केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया गया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक का उद्देश्य उपकर के हिस्से को **अंतर्देशीय जलमार्गों** के विकास हेतु आवंटित करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन करना है।

केन्द्रीय सड़क निधि

- केंद्रीय सड़क निधि (CRF) केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निर्मित एक **गैर-व्यपगतनीय (नॉन-लैप्सबल) फण्ड** है।
- इसका वित्तीयन **हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर लगाये गए उपकर** द्वारा किया जाता है।
- इस उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल ओवर ब्रिज आदि के विकास हेतु आवंटित किया जाता है।
- केंद्र सरकार को इस निधि का संचालन करने की शक्ति प्राप्त है।

VISION IAS

10.1.4. राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री

(National Vehicle Registry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने "वाहन (VAHAN)" को राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री के रूप में लॉन्च किया।

VAHAN के बारे में

- यह वाहनों से संबंधित विवरणों जैसे पंजीकरण संख्या, चेसिस/इंजन संख्या, बॉडी/ईंधन का प्रकार, रंग, निर्माता और मॉडल आदि का एक ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है।
- इसे केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ-साथ राज्य मोटर वाहन नियमों द्वारा अधिदेशित सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

10.1.5. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स

(Intelligent Transportation Systems)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग एवं *इंटरनेशनल रोड फेडरेशन* (IRF, जिनेवा) ने *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आशय वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किये हैं।

***इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) क्या हैं?**

- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों द्वारा वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर सचल (mobile) वाहनों एवं अवसंरचना सम्बन्धी सूचना में सहायता करने की परिकल्पना करती है।
- यह अनिवार्य रूप से बहु-अनुशासनात्मक एवं बहु-कार्यात्मक है और इसमें निम्नलिखित प्रणालियों को शामिल किया जाता है:
  - उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियाँ (ATMS)
  - उन्नत यात्री सूचना प्रणालियाँ (ATIS)
  - उन्नत वाहन नियंत्रण प्रणालियाँ (AV CS)
  - वाणिज्यिक वाहन संचालन (CVO)
  - उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ (APTS)
  - उन्नत ग्रामीण परिवहन प्रणालियाँ (ARTS)

अंतराष्ट्रीय सड़क महासंघ (IRF)

- IRF एक वैश्विक, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बेहतर, सुरक्षित और अधिक स्थायी सड़कों तथा सड़क नेटवर्क के विकास एवं रख-रखाव को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना है।
- IRF सतत और पर्यावरण अनुकूल सड़क परिवहन अवसंरचना के सामाजिक और आर्थिक लाभों को समाज के सभी स्तरों में बाँटे जाने को प्रोत्साहित करता है।

10.1.6. भारत सड़क आकलन कार्यक्रम

(India Road Assessment Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय सड़क आकलन कार्यक्रम (International Road Assessment Programme) के द्वारा भारत सड़क आकलन कार्यक्रम (IndiaRAP) का शुभारंभ किया गया। यह राजमार्गों के सुरक्षा स्तरों का मूल्यांकन करेगा और सबसे असुरक्षित सड़कों के उन्मूलन का प्रयास करेगा।

सड़क सुरक्षा के लिए की गई पहलें

- 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को आधा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया है।
- राजमार्गों पर दुर्घटना सम्भावित स्थानों को समाप्त करने के लिए **प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना**।
- **संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक** और **सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 3.6)** के तहत, **2020 तक** सड़क

VISION IAS

दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को **50% तक** कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रों से आग्रह किया गया है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के **सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण** द्वारा मान्यता दी गई है कि सड़क सुरक्षा में लोगों की भूमिका को दंडात्मक तरीकों से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण को समाज के सभी वर्गों के लिए **शिक्षा और जागरूकता** की दिशा में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- **ब्रासीलिया घोषणा, 2015** के तहत परिवहन के अधिक धारणीय तरीकों और साधनों को वरीयता प्रदान करने हेतु परिवहन नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की गयी है।

इस कार्यक्रम के संबंध में

- **अंतरराष्ट्रीय सड़क आकलन कार्यक्रम (IRAP)** एक चैरिटी संगठन है। यह सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रति समर्पित है।
- IndiaRAP कार्यक्रम को FedEx एक्सप्रेस का समर्थन प्राप्त है और इसकी मेजबानी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट द्वारा की जाएगी।
- यह **IRAP की साक्ष्य आधारित स्टार रेटिंग प्रणाली और निवेश नियोजन उपकरणों** का प्रयोग करके सड़क सुरक्षा का मूल्यांकन भी करेगा, जो **सुरक्षा स्तरों** का एक सरल और वस्तुनिष्ठ आकलन प्रदान करेगा (सबसे असुरक्षित सड़कों हेतु 1 स्टार और सबसे सुरक्षित सड़कों हेतु 5 स्टार रेटिंग)।
- **IndiaRAP** एक और दो स्टार रेटिंग वाली सड़कों के उन्मूलन का प्रयास करेगा और देश में सुरक्षित तथा अच्छी/उन्नत सड़कों के निर्माण और डिज़ाइन को प्रोत्साहित करेगा।

10.1.7. इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट [TIR] कन्वेंशन

(International Road Transports (TIR) Convention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत जून 2017 में संयुक्त राष्ट्र के TIR कन्वेंशन की पुष्टि करते हुए इसका 71वाँ हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया।

TIR कन्वेंशन के बारे में

- TIR से तात्पर्य है **अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन** (Transports Internationaux Routiers)।
- यह यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप (UNECE) के तत्त्वावधान में एक इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम है।
- यह कन्वेंशन के सदस्य देशों के भीतर और उनके मध्य **वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही** की सुविधा प्रदान करता है।
- TIR प्रणाली **सीमा शुल्क और करों की प्राप्ति को सुनिश्चित** बनाती है और **एक सुदृढ़ गारंटी तंत्र प्रदान** करती है, जिससे **व्यापार की लागत कम** हो जाती है और अंतर-क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय व्यापार के तीव्र विकास में मदद मिलती है।

10.2 रेलवे

(Railways)

10.2.1 रेल विकास प्राधिकरण

(Rail Development Authority)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने दिल्ली में रेल विकास प्राधिकरण (RDA) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- इस पहल की सिफ़ारिश कई समितियों द्वारा की गई थी जैसे:
  - राकेश मोहन विशेषज्ञ समूह (2001)
  - राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (NTDPC) (2014)
  - बिबेक देवरॉय समिति (2015)

VISION IAS

इस प्राधिकरण के कार्य

- यह रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगा और यात्री एवं माल भाड़े के संबंध में रेल मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- यह एक स्वतंत्र निकाय होगा। पृथक बजट का प्रावधान और इसके सदस्यों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति प्रक्रिया, इसकी स्वतंत्रता को बनाये रखने में मदद करेगी।
- **नियामकीय कार्य:** लागतों के अनुरूप सेवाओं की कीमतों का निर्धारण, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, निवेश के लिए सकारात्मक परिवेश निर्मित करना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक गैर-विभेदकारी मुक्त-पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करना।
- **विकासात्मक कार्य:** दक्षता एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और नई तकनीक का समावेश, बाजार विकास, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवा मानदंडों का निर्धारण, और मानव संसाधन विकास।

प्राधिकरण की संरचना

- इसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे, जिन्हें 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जायेगा।
- इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च एंड सेलेक्शन कमिटी द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

10.2.2. नई मेट्रो रेल नीति 2016

(New Metro Rail Policy 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को स्वीकृति प्रदान की है जो सुसंगत शहरी विकास, लागत में कमी और मल्टी-मोडल एकीकरण पर केंद्रित है।

नई मेट्रो रेल नीति की मुख्य विशेषताएं

- नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु यह नीति PPP (सार्वजनिक निजी भागीदारी) घटक को अनिवार्य बनाती है।
- नई नीति मेट्रो गलियारे के साथ-साथ सुसंगत (Compact) और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD)** अनिवार्य बनाती है।
- वर्तमान **'8% के इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न' (Economic Internal Rate of Return)** के स्थान पर **'14% के फाइनेंसियल इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न' (Financial Internal Rate of Return)** की सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप नई मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी।
- यह नीति राज्य सरकारों के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नामक सांविधिक निकाय की स्थापना करना अनिवार्य बनाती है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेन प्रणाली के आस-पास सघन, पैदल चलने योग्य, पैदल यात्री-उन्मुख, मिश्रित-उपयोग वाला समुदाय केन्द्रित विकास है।
यह आवागमन के लिए कार पर पूर्ण निर्भरता के बिना कम-तनाव वाला जीवन संभव बनाता है।

10.2.3 राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय

(National Rail And Transportation University)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कैबिनेट द्वारा वडोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय (NRTU) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है।

NRTU के बारे में

- यह स्वयं के **मानव संसाधन को कुशल बनाने और क्षमता निर्माण के** लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है।
- इस विश्वविद्यालय को एक **डीम्ड यूनिवर्सिटी** के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- रेल मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी की स्थापना करेगा जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय की प्रबंधन कंपनी होगी।

VISION IAS

- यह कंपनी NRTU को वित्तीय और बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करेगी और कुलपति एवं उप कुलपति की नियुक्ति करेगी, हालांकि इसका पूर्ण वित्तीयन रेल मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

10.2.4. IROAF को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार

(IROAF get Golden Peacock Award)

सुर्खियों में क्यों?

- **भारतीय रेल संगठन- वैकल्पिक ईंधन (IROAF)** को राष्ट्रीय स्तर पर **पर्यावरण नवाचार (इको-इनोवेशन) के लिए वर्ष 2017 के '*गोल्डन पीकॉक अवार्ड*'** से सम्मानित किया गया।
- IROAF को डेमू (DEMU) सवारी रेलों में जीवाश्म ईंधन (डीज़ल) के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल CNG का इस्तेमाल करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

- ***इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स*** द्वारा 1991 में **गोल्डन पीकॉक अवार्ड** स्थापित किया गया था।
- इसे वैश्विक स्तर पर *कॉर्पोरेट एक्सीलेंस* का एक बेंचमार्क माना जाता है।

10.2.5 स्फूर्ति एप

(SFOORTI App)

- रेल मंत्रालय ने **स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एण्ड रियल टाइम इन्फॉरमेशन (SFOORTI)** एप्लीकेशन लॉन्च की है।
- यह माल ढुलाई प्रबंधकों को 'फ्रेट ऑपरेशन इन्फॉरमेशन सिस्टम मैप व्यू' के माध्यम से यातायात प्रवाह की योजना बनाने और माल ढुलाई संचालन को इष्टतम बनाने में सहायता करेगा। फ्रेट ऑपरेशन इन्फॉरमेशन सिस्टम मैप व्यू, एक जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) पर आधारित निगरानी एवं प्रबंधन उपकरण है।
- इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक ही GIS व्यू में जोन/ डिवीज़न/ सेक्शन स्तर पर सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों के परिचालन को ट्रैक किया जा सकता है।

10.3 विमानन

(Aviation)

10.3.1. उड़ान 2

(UDAN 2)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 73 अल्पसेवित और असेवित विमानपत्तनों और हेलीपैडों को जोड़ने का निर्णय लिया है।

विवरण

- यह पहली बार है कि इस योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों से निविदाएँ प्राप्त हुई थीं।
- यह योजना प्रति वर्ष लगभग 26.5 लाख सीटें उपलब्ध कराएगी जिसे प्रति उड़ान हवाई किराया अधिकतम 2,500 रूपए/घंटा प्रति सीट रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, हेलिकॉप्टर परिचालन के माध्यम से लगभग 2 लाख RCS (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) सीटें प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाने की आशा है।
- केंद्र ने उड़ान योजना का वित्तपोषण करने के लिए प्रमुख मार्गों पर उड़ान भरने वाली एयरलाइनों से प्रभारित किए जाने वाले 5,000 रुपये के क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी शुल्क (लेवी) में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। अब इसे आंशिक रूप से AAI (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए जाने वाले लाभांश से वित्त पोषित किया जाएगा।

उड़ान योजना के संबंध में

VISION IAS

उड़ान, क्षेत्रीय विमानन बाजार विकसित करने की नवोन्मेषी योजना है। इस योजना का उद्देश्य "**उड़े देश का आम नागरिक**" है।

प्रमुख विशेषताएं

- उड़ान 200 से 800 किमी. के बीच उड़ाने भरने वाली उड़ानों पर लागू होगी, जिसमें पहाड़ी, दूरदराज के इलाकों, द्वीपों और सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निचली सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त दरों पर कुछ उड़ान सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है और साथ ही कम दूरी की उड़ानों के लिए किराए की सीमा का निर्धारण करना भी इसमें सम्मिलित है।
- इसे दो साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:
  - केन्द्र और राज्य सरकारों और विमानपत्तन ऑपरेटरों से रियायत के रूप में **वित्तीय प्रोत्साहन**, जैसे कर रियायतें, पार्किंग और लैंडिंग शुल्क से छूट।
  - ऐसे विमानपत्तनों से परिचालन प्रारंभ करने के लिए **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग; VGF)** ताकि यात्री किराये को कम रखा जा सके। इस तरह की सहायता तीन वर्ष की अवधि के बाद वापस ले ली जाएगी, क्योंकि उस समय तक वायु मार्गों के स्व-संधारणीय हो जाने की संभावना है
- इस योजना के अंतर्गत VGF आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **रीजनल कनेक्टिविटी फंड** (RCF) बनाया जाएगा। राज्यों से 20% योगदान के साथ कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान RCF लेवी आरोपित की जायेगी।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास** के लिए, इस योजना के अंतर्गत आवंटन को देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व में समान रूप से वितरित किया जाएगा।
- उड़ान योजना वर्तमान हवाई-पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित विमानपत्तनों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने की कल्पना करती है।
- यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए परिचालनरत रहेगी।

10.3.2. भारत में विमानन क्षेत्रक की लेखापरीक्षा

(Audit of Aviation Sector in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने भारत में विमानन क्षेत्रक की लेखापरीक्षा संपन्न की। इस लेखापरीक्षा में विनियामक तंत्र को 'संतोषजनक' स्तर का बताया गया है।

संबंधित जानकारी

- वर्तमान लेखापरीक्षा के फीडबैक में विनियामक तंत्र को 'संतोषजनक' स्तर का बताया गया है। भारत के द्वारा इस लेखापरीक्षा हेतु विभिन्न प्रारंभिक तैयारियाँ की गईं, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर की नियुक्ति, ICAO मानकों के अनुसार नियमों का संरेखण, फ्लाइट इग्ज़ैमनर का प्रमाणीकरण आदि।
- ICAO द्वारा 2012 के लेखा परीक्षण में भारत को 13 सबसे खराब प्रदर्शनकारी देशों की श्रेणी में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को नए मार्गों को शामिल करने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन (ICAO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। जिसे 1944 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन (शिकागो कन्वेंशन) के प्रशासन और शासन का प्रबंधन करने हेतु स्थापित किया गया था।
- शिकागो कन्वेंशन, अवसर की समानता पर आधारित इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन है। यह अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास से संबंधित है।

यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (USOAP)

- USOAP को 1999 में ICAO सदस्य देशों की सुरक्षा निगरानी प्रणाली (सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम) के

VISION IAS

नियमित और अनिवार्य लेखापरीक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। लेखापरीक्षा, राज्य द्वारा अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन कर सुरक्षा निगरानी प्रदान करने की राज्य की क्षमता पर फोकस करती है।

10.4 बंदरगाह और जलमार्ग

(Ports and Waterways)

10.4.1 बंदरगाह क्षेत्र

(Ports Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (PPP) के लिए **मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (MCA)** में बदलाव को स्वीकृति प्रदान की है।
- **वाणिज्य मंत्रालय** ने **ड्राई पोर्ट्स या इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs)** में बुनियादी ढांचे के मानकों की पूर्ण समीक्षा और सुधार (overhauling) करने की भी घोषणा की है।

विवरण

- भारत में पत्तनों का विकास **समवर्ती सूची** का विषय है। प्रमुख पत्तन (Major ports), केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 के तहत विनियमित किये जाते हैं तथा गौण पत्तन, राज्य सरकारों द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के तहत प्रशासित किये जाते हैं।
- प्रमुख पत्तनों में PPP परियोजनाएं **राजस्व साझेदारी मॉडल** के आधार पर कार्य करती हैं और **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (TAMP)** द्वारा विनियमित होती हैं।
- MCA विकासकर्ताओं के लिए एक एक्जिट क्लॉज और विवाद समाधान के लिए **सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ़ डिस्प्यूट्स-पोर्ट्स (SRODOD-PORTS)** की व्यवस्था करता है।

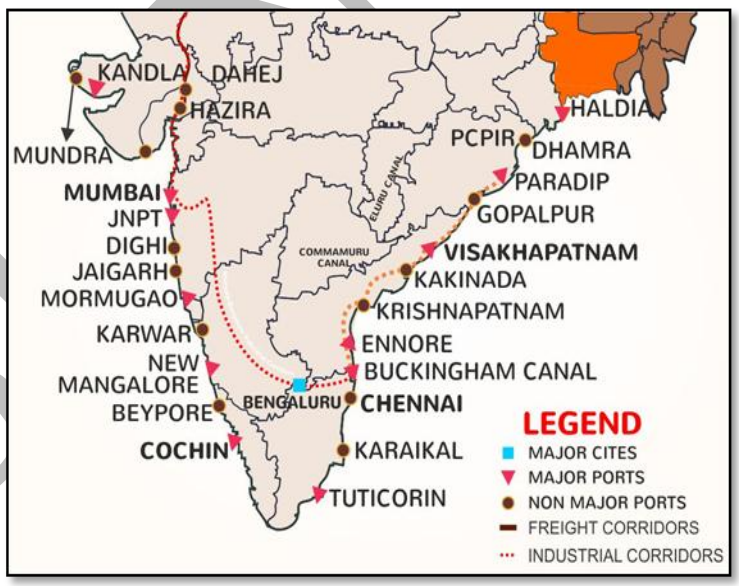

- ड्राई पोर्ट्स, अंतर्देशीय टर्मिनल हैं, जो रेल या सड़क द्वारा सीधे बंदरगाह से जुड़े हैं। ये किसी बंदरगाह पर उपलब्ध विभिन्न सेवाएँ जैसे- हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण, निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय फ्रेट इत्यादि के लिए कस्टम क्लीयरेंस आदि प्रदान करते हैं।

सागरमाला परियोजना

- यह तटीय और बंदरगाह शहर विकास योजना है, जहां रोजगार उत्पन्न करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य देश की 7,500 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर के संभावित नौवहन जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर स्थित रणनीतिक स्थानों का उपयोग करना है।
- **सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के घटक:**
  - पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास

- पत्तन कनेक्टिविटी में वृद्धि
- पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण
- तटीय सामुदायिक विकास

सागरमाला कार्यक्रम के संबंध में अन्य जानकारी

- पोत परिवहन के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)** को समग्र नीति निर्देशन और उच्च स्तरीय समन्वय, योजनाओं एवं परियोजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
- राज्य स्तरीय/क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPV) की सहायता के लिए **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी (SDC)** को पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निगमित किया गया है।

नेशनल मेरीटाइम एजेंडा 2010-20

- यह पत्तन निर्माण, जहाज निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास हेतु एक समग्र कार्रवाई योजना है।
- यह नए बंदरगाह अधिनियम, पोत परिवहन व्यापार व्यवहार अधिनियम, एडमिरलटी एक्ट, व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम समुद्री डकैती (पाईरेसी) अधिनियम के अधिनियमन को परिकल्पित करता है।

नेशनल मेरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम

- यह योजना 276 गोदियों के निर्माण, चैनलों को गहरा करना, रेल/सड़क संपर्क परियोजनाओं, उपकरण उन्नयन/योजनाओं और अन्य वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण से संबंधित योजनाओं पर केन्द्रित है।

10.4.2. तटीय आर्थिक क्षेत्र

(Coastal Economic Zone)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर भारत के प्रथम मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ) नासिक, ठाणे, मुंबई, पुणे और रायगढ़ तक विस्तृत उत्तरी कोंकण क्षेत्र में विस्तारित होगा।
- यह **सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 14 मेगा CEZs की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

तटीय आर्थिक क्षेत्र क्या है ?

- इसकी परिकल्पना स्थानिक-आर्थिक क्षेत्र के रूप में की गई है, जिसे तटरेखा के साथ 300-500 किमी तक और तटरेखा से लगभग 200 से 300 किमी अंतर्देशीय क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा सकता है। प्रत्येक CEZ एक राज्य के भीतर सभी तटीय जिलों का संकुलन होगा।
- यह भौगोलिक सीमा प्रदान करेगा, जिसके अंतर्गत बंदरगाहों और तटीय राज्यों के लिए एक समान नीति के तहत बंदरगाह संचालित औद्योगीकरण का विकास किया जाएगा।
- विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे नियोजित औद्योगिक गलियारों की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) की परिकल्पना की गई है।

10.4.3. रो-रो फेरी सेवा की शुरूआत

(Ro-Ro Ferry Service Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, गुजरात में घोघा और दाहेज के बीच **रो-रो** ("रोल-ऑन, रोल-ऑफ") **फेरी सेवा** की शुरूआत की गयी है।

रो-रो फेरी सेवा

- यह कारों, ट्रकों, सेमी-ट्रेलर ट्रकों, ट्रेलरों और रेलरोड कारों जैसे पहिये वाले कार्गो (**wheeled cargo**) की ढुलाई करने वाले जहाजों (vessels) से संबंधित है। इन्हें इनके पहियों पर चलाते हुए अथवा किसी प्लेटफॉर्म वाहन के जरिये फेरी पर चढ़ाया (रोल ऑन) अथवा उतारा (रोल ऑफ) जाता है।

VISION IAS

- इसे **पोत परिवहन मंत्रालय** द्वारा सागरमाला परियोजना के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया है।
- इसका वित्तपोषण आंशिक रूप से **गुजरात सरकार** द्वारा एवं आंशिक रूप से **सागरमाला परियोजना** के तहत किया गया है।
- इसे खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जैसे अन्य स्थानों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

10.4.4. जल मार्ग विकास परियोजना

(Jal Marg Vikas Project)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर नौवहन योग्य जलमार्ग के विकास के लिए जल मार्ग विकास परियोजना को 5,369 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है।

जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)

- यह विश्व बैंक द्वारा (आंशिक रूप से) वित्तपोषित, गंगा नदी पर स्थित एक परियोजना है। इसे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद और हल्दिया (NW-1) के बीच विकसित किया जा रहा है।

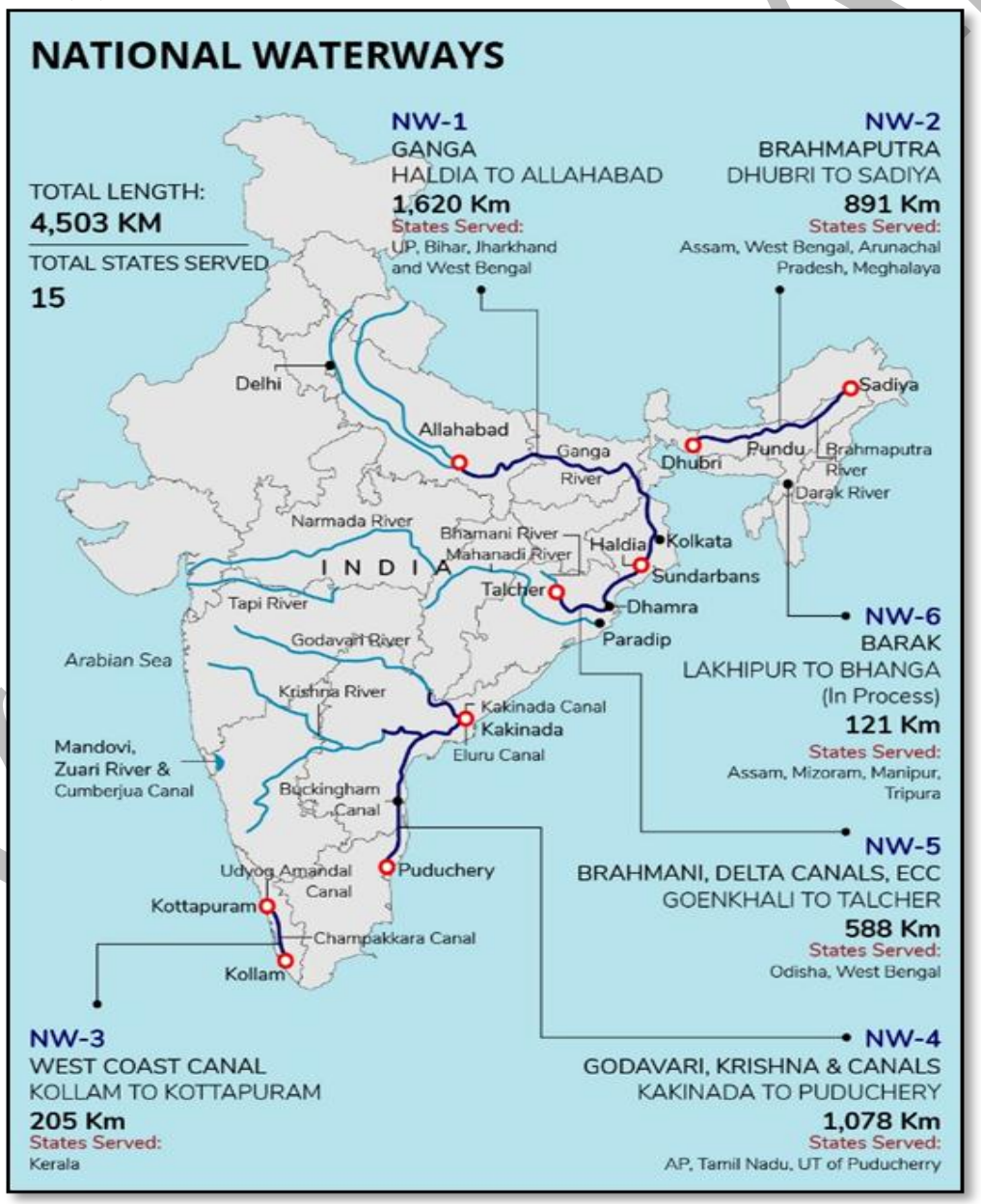

- इसका उद्देश्य 1500-2000 DWT (डेडवेट टनेज) क्षमता वाले जहाजों का व्यावसायिक नौवहन संभव बनाने के लिए नौवहन मार्ग में उचित गहराई और चौड़ाई प्राप्त करना है।
- यह रेल और सड़क कनेक्टिविटी के लिए वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में एक मल्टी-मोडल टर्मिनल स्थापित करेगा।
- इस परियोजना के अंतर्गत भारत **में** पहली बार **नदी सूचना प्रणाली** अपनाई गई है। यह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो जहाजों, लॉक एवं पुलों, टर्मिनलों एवं पत्तनों, नौवहन योग्य जलमार्गों की स्थिति, आपदा निवारण आदि के बीच सूचना विनिमय संभव बनाकर जल आधारित परिवहन श्रृंखला के संसाधन प्रबंधन को बेहतर एवं प्रभावी बनाती है।

- संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के अंतर्गत, केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौवहन के विषय में कानून बना सकती है।
- राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।
- 2016 में इस अधिनियम में संशोधन करके 106 अन्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया है, जिससे अब राष्ट्रीय जलमार्गों कुल संख्या 111 हो गयी है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक सांविधिक निकाय है। IWAI जल मार्ग विकास परियोजना की नोडल एजेंसी है।

10.5. इलेक्ट्रिसिटी

(Electricity)

10.5.1. सौभाग्य योजना

(Saubhagya Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

दिसंबर 2018 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चार करोड़ से अधिक घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य'** का शुभारंभ किया है।

प्रधानमंत्री सहज बिजल हर घर योजना-

- 'सौभाग्य' वेब पोर्टल हाल ही में प्रारंभ किया गया है, जो घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति (राज्य, जिला, गांव-वार) और लाइव आधार पर घरेलू प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- यह ग्रामीण विद्युतीकरण शिविरों से संबधित सुविधा भी प्रदान करता है। ये शिविर गांवों में डिस्कॉम्स (DISCOMs) द्वारा आयोजित किये जाएँगे जिनके माध्यम से अनिवार्य दस्तावेजीकरण को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र को तत्काल भरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे घरों लिए तीव्रता से बिजली कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे।

नवीनतम परिभाषा के अनुसार, एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा, यदि:

- उस गांव के आवास योग्य क्षेत्रों के साथ-साथ उसकी दलित बस्तियों (यदि ऐसी बस्तियां हों तो) में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसरंचना उपलब्ध कराई गयी हों।
- विद्यालय, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत उपलब्ध करायी जाती है।
- विद्युतीकृत परिवारों की संख्या गांव के कुल परिवारों की संख्या की कम से कम 10% हो।

नई योजना की आवश्यकता क्यों?

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा द्रुत गति से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद यह अनुभव किया गया कि विद्युत 'पहुंच' की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
- अभी भी बड़ी संख्या में परिवारों की विद्युत तक पहुंच न होने से, इस योजना का उद्देश्य केवल गांवों के कवरेज पर केन्द्रित न होकर गांव में बसे प्रत्येक परिवार के कवरेज को सुनिश्चित करना है।
- सरकार ने मार्च 2019 तक सभी को 24X7 विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है।

VISION IAS

योजना का विवरण

- **उद्देश्य:** भारत में सभी परिवारों को विद्युत प्रदान करना।
- **कुल परिव्यय:** 16,320 करोड़ रुपये की योजना, सकल बजटीय सहायता (GBS) 12,320 करोड़ रुपये है। इस योजना का केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक ऋण द्वारा 30% और राज्यों द्वारा 10% की सीमा तक वित्त पोषण किया जा रहा है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** सरकार नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करेगी।

कार्यान्वयन:

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (BPL) परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जो परिवार BPL श्रेणी के अंतर्गत कवर नहीं हैं वे भी अपने मासिक बिल के साथ 10 किश्तों में 500 रुपये का भुगतान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
- जहां राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की पहुँच नहीं है, ऐसे घरों को बैटरी बैंक के साथ सौर विद्युत पैक्स प्रदान किया जाएगा।
- मासिक विद्युत उपभोग के सन्दर्भ में कोई सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और सार्वजनिक संस्थानों को बिलिंग और संग्रह कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो डिस्कॉम के लिए समस्या बन गया था।
- 31 दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा हो जाने पर राज्यों को उनके ऋणों का 50% अनुदान में परिवर्तित करके प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

10.5.2 नेशनल पॉवर पोर्टल

(National Power Portal)

सुर्खियों में क्यों ?

सरकार ने हाल ही में नेशनल पॉवर पोर्टल (NPP) लांच किया है।

इसके बारे में

- यह भारत में विद्युत् उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए **भारतीय विद्युत क्षेत्र की जानकारी** (GIS सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइज़ेशन चार्ट विंडो के माध्यम से) **के संकलन और प्रसार हेतु** एक केंद्रीकृत मंच है।
- NPP डैशबोर्ड सरकार द्वारा लॉन्च किए गये सभी पॉवर सेक्टर ऐप जैसे TARANG, UJALA, VIDYUT PRAVAH, GARV, URJA और MERIT इत्यादि के लिए सिंगल पॉइंट इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।
- NPP के प्रमुख हितधारक ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (IPDS) के लिए विद्युत वित्त निगम (PFC), दीन दयान उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) हैं।
- केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (CEA), NPP कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। **CEA** विद्युत अधिनियम (2003) के तहत गठित एक **सांविधिक** निकाय है। यह प्राधिकरण केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति, नियोजन एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय तथा सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय एवं सस्ती विद्युत प्रदान करने संबंधी मामलों पर परामर्श देता है।

10.6 लॉजिस्टिक क्षेत्र

(Logistic Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इसके लिए अवसंरचना उप-क्षेत्रों की श्रेणी का विस्तार करके "परिवहन और लॉजिस्टिक" को इसमें शामिल किया है।

VISION IAS

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नए लॉजिस्टिक सूचकांक (LEADS) में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

अवसंरचना दर्जे का लाभ

- इससे इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर शर्तों पर आसानी से ऋण उपलब्ध होगा, दीर्घावधिक वित्तीयन तक पहुंच प्राप्त होगी, बाह्य वाणिज्यिक उधारी मार्ग का लाभ प्राप्त होगा और मौजूदा ऋणों की प्रतिस्पर्धी दरों पर पुनर्वित्तीयन में सहायता मिलेगी।
- बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के दीर्घकालीन वित्त तक इस क्षेत्र को पहुँच प्राप्त होगी।

अवसंरचनात्मक उप-क्षेत्रों की सुसंगत सूची

- यह एक समन्वित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को समर्थन प्रदान करने वाली एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना है जिससे बुनियादी ढांचे को अधिक अनुकूल तरीके से विकसित किया जा सके।
  - वर्तमान में, इसमें पांच व्यापक श्रेणियाँ हैं - परिवहन और लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार तथा सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना।

लॉजिस्टिक अवसंरचना के बारे में

- इसमें सामग्री प्रबंधन, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, शिपिंग सुरक्षा, इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खरीद एवं कस्टम सेवा शामिल हैं।
- सरकार ने निम्नलिखित लॉजिस्टिक सुविधाओं को अवसंरचना के रूप में सम्मिलित किया है;
  - एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ के निवेश और न्यूनतम 10 एकड़ के क्षेत्रफल के साथ एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) शामिल हो।
  - न्यूनतम 15 करोड़ रुपये के निवेश और 20,000 वर्ग फीट के न्यूनतम क्षेत्र के साथ एक कोल्ड चेन फैसिलिटी तथा 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश एवं न्यूनतम 100,000 वर्ग फीट क्षेत्र की भंडारण सुविधा 'लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर' होगी।

असम में लॉजिस्टिक हब (logistic hub)

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जोगीघोपा (असम) में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की एक परियोजना की घोषणा की है, जो की एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित है।
- परियोजना को लागू करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा समर्थित एक स्पेशल परपज व्हीकल बनाया जाएगा।

सरकारी पहल

- **लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि हेतु कार्यक्रम:** लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और लॉजिस्टिक पार्कों के प्रबंधन तथा विकास के लिए प्रारंभ किया गया था।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी पहल:** गोदाम और परिवहन में स्वचालित संग्रहण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ASRS), बार कोड के स्थान पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) की सुविधा प्रारंभ की गयी है।

विभिन्न राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक ईज़ (LEADs)

- यह सामान्य रूप में विश्व बैंक की वार्षिक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) पर आधारित है। इसमें भारत (2016) 160 देशों में 35 वें स्थान पर था। 2014 में भारत का स्थान 54वां था।
- यह बुनियादी ढांचे, सेवाओं, समयबद्धता, ट्रैक और ट्रेस, मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मकता, माल की सुरक्षा, संचालन की परिस्थितियां और नियामकीय प्रक्रिया जैसे आठ मानदंडों पर आधारित एक समग्र सूचकांक है।
- यह सामान्य रूप से निवेश, निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सर्विसेज की दक्षता के संकेतक के रूप में प्रयुक्त होगा।

VISION IAS

10.7. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

(Real Estate (Regulation And Development) Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के संचालन को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन लाया गया है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के महत्वपूर्ण प्रावधान

- यह **प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना के माध्यम से खरीदारों और रियल एस्टेट प्रमोटरों के मध्य लेनदेन को नियंत्रित करता है।
- प्राधिकरण के पास अर्थदंड लगाने की शक्ति भी होगी।
- इसके अधिदेश में एक **रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल** की स्थापना करना भी शामिल है।
- यह वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार की परियोजनाओं को विनियमित करेगा और रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक राज्य स्तरीय नियामक प्राधिकरण स्थापित करेगा।
- संपत्ति हस्तांतरित करने के बाद भी बिल्डर पांच वर्ष के लिए संरचनात्मक दोष में सुधार हेतु उत्तरदायी होगा।
- रियल एस्टेट आवासीय परियोजनाओं की बिक्री या बुकिंग के लिए RERA में पंजीकरण करवाना आवश्यक है और इसके प्रचार वाले विज्ञापनों में RERA द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है।
- सभी पंजीकृत परियोजनाओं का विवरण भी सार्वजनिक उपयोग के लिए वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
- प्रमोटरों को अलग से एक बैंक खाता भी बनाए रखना आवश्यक होगा, जिसमें निवेशकों और खरीदारों से प्राप्त धन का कम से कम 70% धन जमा करना होगा।
- प्रत्येक परियोजना से संबंधित विवरणों का आवश्यक सार्वजनिक प्रकटीकरण नियामक की वेबसाइट पर होना चाहिए।
- इसमें कार्पेट एरिया की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है और खरीदारों से कार्पेट एरिया का मूल्य लिया जाएगा न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया का।

10.8. InvIT और REITS

(INVIT AND REITS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सेबी ने हाल ही में रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करने की मंजूरी दी है।
- सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड को InvIT में निवेश करने की अनुमति प्रदान करने के पश्चात, हाल ही में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक कंपनी) द्वारा प्रायोजित भारत का पहला InvIT, IRB InvIT फंड लॉन्च किया गया।

InvIT क्या हैं?

- इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs), म्यूचुअल फंड के समान होते हैं। InvITs अवसंरचना में प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए कई व्यक्तिगत निवेशकों की अल्प धन राशि को पूल करते हैं तथा इस पूल राशि को अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करते हैं।
- InvITs कम लागत वाली दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने के लिए विकसित किए गए हैं। इनका मुख्य फोकस बैंकिंग प्रणाली पर वित्तीय दबाव को कम करना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नई इक्विटी पूंजी सृजित करना है।
- दो प्रकार के InvITs को अनुमति दी गई है:
  - प्रथम, जो पूर्ण हो चुकी और राजस्व उत्पादन वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निवेश करता है।
  - दूसरा, जिसके तहत पूर्ण हो चुके या अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से किसी में भी निवेश करने की सुविधा है।
- InvITs एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किए गए हैं और सेबी के साथ पंजीकृत हैं।

VISION IAS

- मौजूदा नियमों के मुताबिक, छोटे और खुदरा निवेशकों के लिए InvIT निवेश उपलब्ध नहीं हैं। InvITs इकाइयों के लिए न्यूनतम आवेदन की राशि 10 लाख रुपये है। इसमें मुख्य निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशक, बीमा और पेंशन फंड तथा घरेलू संस्थागत निवेशक (जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक) हो सकते हैं। अत्यधिक संपन्न व्यक्ति भी निवेशक हो सकते हैं।

रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REIT)

- यह एक कंपनी है जो आय सृजन करने वाली रियल स्टेट परिसम्पत्तियों का स्वामित्व करती है, उसका संचालन करती है या वित्त प्रदान करती है।
- यह बड़ी संख्या में निवेशकों से धन जुटाती है और आय सृजित करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों में उस राशि का निवेश करती है।
- ये ट्रस्ट, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं ताकि निवेशक ट्रस्ट में अंश खरीद सकें।
- ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा विनियमित होती हैं।

10.9. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि

(National Investment and Infrastructure Fund)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA), NIIF के मुख्य कोष में निवेश करने वाला पहला संस्थागत निवेशक बन गया है।

NIIF के विषय में

- **NIIF को 2015 में स्थापित** किया गया था। यह सेबी के साथ **श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)** के रूप में पंजीकृत भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फण्ड है।
- इसे **फंड ऑफ़ फंड्स** के रूप में स्थापित किया गया है।
- **वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक गवर्निंग काउंसिल** NIIF की परामर्श समिति के रूप में कार्य करती है।
- इस फण्ड की कुल राशि लगभग 40,000 करोड़ रूपए प्रस्तावित है। इसमें 49% सरकार द्वारा निवेश किया जाएगा और शेष राशि को थर्ड-पार्टी इन्वेस्टर्स जैसे सॉवरेन वेल्थ फण्ड, बीमा और पेंशन फंड आदि के द्वारा संग्रहित किया जायेगा।
- इसके द्वारा ऊर्जा, परिवहन, आवास, जल, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में और अवसंरचना क्षेत्र की अन्य वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य **ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और अवरुद्ध परियोजनाओं** निवेश किया जाएगा।

वैकल्पिक निवेश निधि (Alternative Investment Fund: AIF)

- AIF से आशय किसी ट्रस्ट, कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय अथवा सीमित देयता भागीदारी आदि ऐसे किसी भी **निजी सामूहिक निवेश फंड** से है जो भारत में किसी भी नियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
- **सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012** में AIF को परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा में वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि सम्मिलित हैं।

सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign wealth fund)

- यह किसी देश के कोष से व्युत्पन्न धन है जिसे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के हित में निवेश के उद्देश्य से अलग रखा जाता है।
- सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए धन केंद्रीय बैंक के रिजर्व से आता है, जो कि बजट व व्यापार अधिशेष के परिणामस्वरूप, एवं प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से प्राप्त राजस्व के रूप में जमा होता है।

VISION IAS

11. ऊर्जा

(ENERGY)

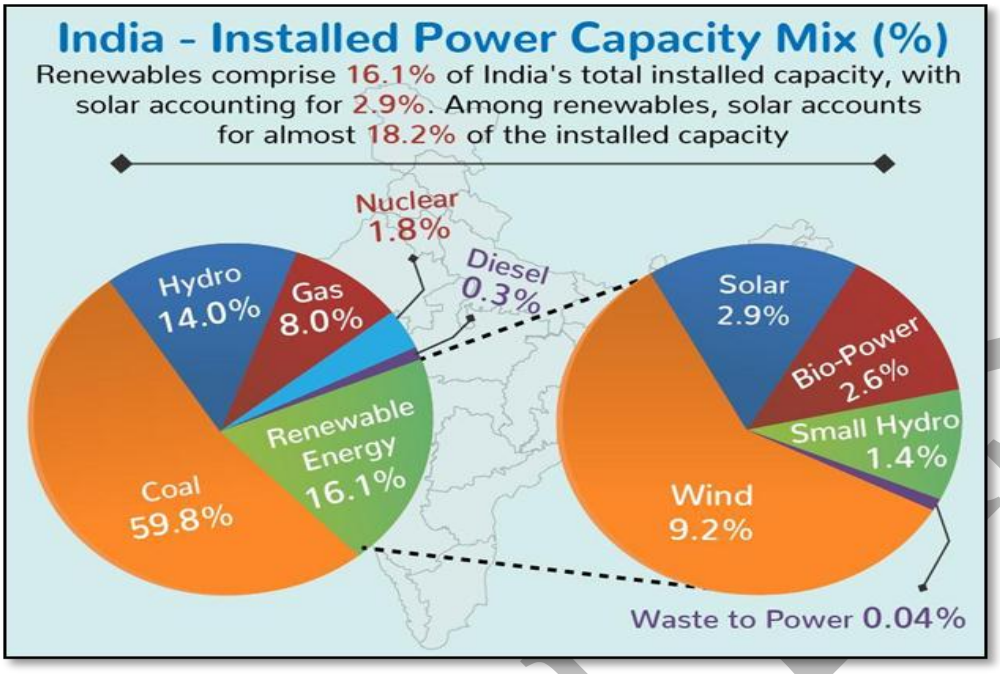

11.1. पनबिजली

(Hydropower)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत **पारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट (अरुणाचल प्रदेश)** परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।
- हाल ही में **प्रधानमंत्री की लद्दाख अक्षय ऊर्जा पहल** के तहत **बियारस (Biaras) स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (SHP)** नामक पहली परियोजना शुरू की गई है।

- भारत की कुल उत्पादन क्षमता 330 गीगावाट (GW) है, जिसमें 44 GW पनबिजली क्षेत्र का योगदान है।
- भारत के पास 148 GW (विश्व में पांचवां सबसे बड़ा) की पनबिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन कुल क्षमता के केवल 30 प्रतिशत का ही दोहन किया जा रहा है।
- **स्थापित क्षमता के आधार पर पनबिजली परियोजनाओं का वर्गीकरण**
  - **माइक्रो**: 100 किलोवाट तक
  - **मिनी**: 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक
  - **स्माल**: 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक
  - **मेगा**: 500 मेगावाट की या इससे अधिक स्थापित क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाएं एवं 1500 मेगावाट की या इससे अधिक स्थापित क्षमता वाली तापीय परियोजनाएं
- 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाएं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं।

इस परियोजना से संबंधित अन्य तथ्य

- प्रधानमंत्री की लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल का उद्देश्य लघु/सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं, सोलर फोटोवोल्टेइक (SPV) विद्युत संयंत्रों, सौर तापीय प्रणालियों जैसे- वाटर हीटर, सोलर कुकर आदि की स्थापना के माध्यम से इस क्षेत्र में डीजल, मिट्टी के तेल और ईंधन की लकड़ी पर निर्भरता को कम करना है।
- इसे **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

11.2. पवन ऊर्जा

(Wind Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार द्वारा **विद्युत अधिनियम, 2003** की धारा 63 के अंतर्गत **पवन ऊर्जा की खरीद के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए गए हैं।

पवन ऊर्जा के संबंध में कुछ तथ्य

- भारत की कुल स्थापित क्षमता 329.4 गीगावॉट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 57.472 GW (अप्रैल 2017) है।
- देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत, पवन ऊर्जा का योगदान 56.2% (32.3 GW) और सौर ऊर्जा का 21.8% (12.5 GW) है।
- भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी के पश्चात् पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में चौथे स्थान पर है।
- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी** के अनुसार, 100 मीटर की ऊँचाई वाले टॉवर के साथ भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 302 GW तक बढ़ाने की संभावना है।
- भारत की **एकीकृत ऊर्जा नीति** के अंतर्गत 2031-32 तक 800 GW की स्थापित क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 40% (320 GW) योगदान अक्षय ऊर्जा का होगा।

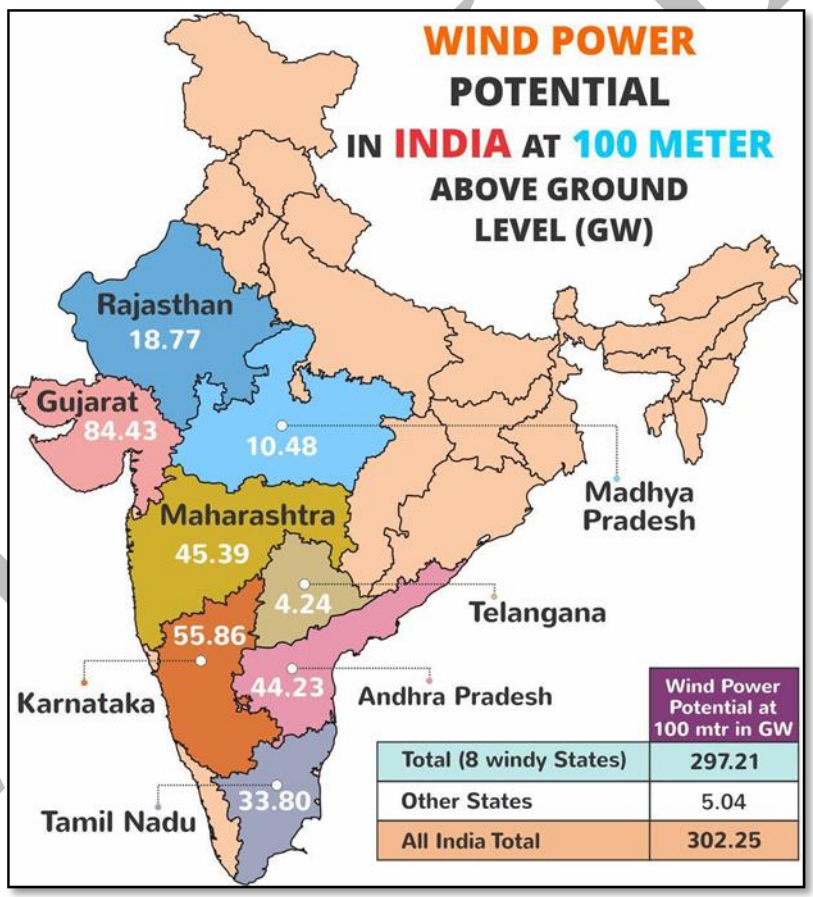

पृष्ठभूमि

- भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 GW तथा पवन ऊर्जा से 60 GW सहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 175 GW की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- पूर्व में, संबंधित राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों द्वारा कीमतों का निर्धारण किया जाता था। इस कीमत पर पवन ऊर्जा से संबंधित कंपनियों द्वारा ऊर्जा का विक्रय करना होता था, जिसकी कीमत सामान्यत: 4-6 रूपए प्रति यूनिट होती थी।

- **समवर्ती सूची के अंतर्गत पवन ऊर्जा:** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत आवश्यक केंद्रीय दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण, अतीत में राज्य सरकार द्वारा की गई कई नीलामी की पहलें विफल रही थीं।

मुख्य दिशा-निर्देश

- यह नीलामी की **पारदर्शी प्रक्रिया** के माध्यम से पवन ऊर्जा की खरीद हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- इसके अंतर्गत एक **भुगतान सुरक्षा तंत्र** का प्रस्ताव किया गया है। यह भुगतान सुरक्षा तंत्र पवन ऊर्जा के विकासकर्ताओं को आंशिक क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है, भले ही ग्रिड पर विद्युत का पारेषण न हो।
- यदि ऊर्जा के विकासकर्ता, ऊर्जा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करते समय निर्धारित कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर प्रदान करने में विफल रहते हैं तो यह तंत्र इन विकासकर्ताओं पर जुर्माना लगा सकता है।
- ये नियम केवल नई परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- **राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति:** यह आधार रेखा (base line) से 200 नॉटिकल मील (देश के EEZ) तक के समुद्री क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **तटवर्ती (ऑनशोर) क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा-निर्देश:** कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
- विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट **नवीकरणीय खरीद दायित्व** ने भी भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट:** "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर" प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में अक्षय ऊर्जा के लिए विद्युत निकासी और पारेषण अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है।
- **विंड-सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का मसौदा:** इसका लक्ष्य 2022 तक 10 GW की विंड-सोलर हाइब्रिड क्षमता को विकसित करना है।

11.3. सौर

(Solar)

11.3.1 कुसुम

(KUSUM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी है।

KUSUM के सम्बन्ध में

- इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर जल पम्प लगाने एवं बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल क्षमता की लागत 1.4 लाख करोड़ रूपये होगी, जिसमें से केंद्र 48,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

KUSUM के घटक

- किसानों द्वारा **10,000 MW** सौर ऊर्जा का उत्पादन करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए **बंजर भूमि का उपयोग किया जाना है।** इसके लिए, विद्युत् वितरण कंपनियों (Discoms) को किसानों से पांच वर्षों तक बिजली खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- सरकार किसानों को **खेतों के लिए 17.5 लाख ऑफ-ग्रिड (ग्रिड रहित) सौर पम्प खरीदने** के लिए **सब्सिडी** प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य प्रत्येक सौर पम्प पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगे। अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा, जबकि 10% लागत किसान द्वारा वहन की जाएगी।
- 7,250 MW क्षमता के **ग्रिड से जुड़े (ग्रिड-कनेक्टेड) खेतों के पम्पों का सौरीकरण (Solarisation) किया जाएगा।**
- **सरकारी विभागों के ग्रिड से जुड़े जल पम्पों का सौरीकरण किया जाएगा।**

VISION IAS

11.3.2. सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि - SRISTI)

(Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI))

सुर्खियों में क्यों?

- देश में रूफटॉप सोलर पॉवर के परिनियोजन को गति प्रदान करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने **सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ़ इंडिया (सृस्टि)** पर एक कंसेप्ट नोट तैयार किया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 40 गीगावॉट क्षमता सोलर रूफटॉप से उत्पादित करने का लक्ष्य है।
- रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर (RTS) पावर प्रोग्राम** को कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भी अनुकूल नीति और विनियामकीय उपायों को अपनाया गया है।

वर्तमान स्थिति- कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में वर्ष 2019-20 तक 4,200 मेगावाट RTS संयत्रों के संस्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

11.4 नाभिकीय विद्युत संयंत्र

(Nuclear Power Plants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कैबिनेट द्वारा 10 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर (PHWR) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। इन संयंत्रों का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया जायेगा।

NPCIL से संबंधी तथ्य

- यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत है।
- इसका मुख्य उद्देश्य नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का संचालन और विद्युत् उत्पादन हेतु नाभिकीय विद्युत् परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है।
- इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी PSU **भाविनी (भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड) में भी इसकी इक्विटी भागीदारी** है।

भारतीय नाभिकीय ऊर्जा क्षमता की वर्तमान स्थिति

- **विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2017** के अनुसार, नाभिकीय सयंत्रों की स्थापना के संबंध में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है जबकि चीन इस सूची में सबसे ऊपर है।
- वर्तमान में, NPCIL 22 नाभिकीय विद्युत सयंत्रों का संचालन कर रहा है (विवरण मानचित्र में दिया गया है)।
- भारत की कुल स्थापित नाभिकीय क्षमता 6780 मेगावॉट है, जो भारत में कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता का 2.1% है। प्रस्तावित सयंत्रों की संख्या, देश की वर्तमान 6,780 मेगावाट की स्थापित नाभिकीय क्षमता को दोगुना करेगी।
- नाभिकीय विद्युत उत्पादन हेतु तीन प्रकार के सयंत्रों का प्रयोग किया गया है
  - प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर
  - बॉइलिंग वाटर रिएक्टर (BWR)
  - VVER (प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर)
- वर्तमान में, भारत द्वारा फ्रांस, रूस, UK, अमेरिका और जापान सहित अनेक देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते किये गये हैं।

VISION IAS

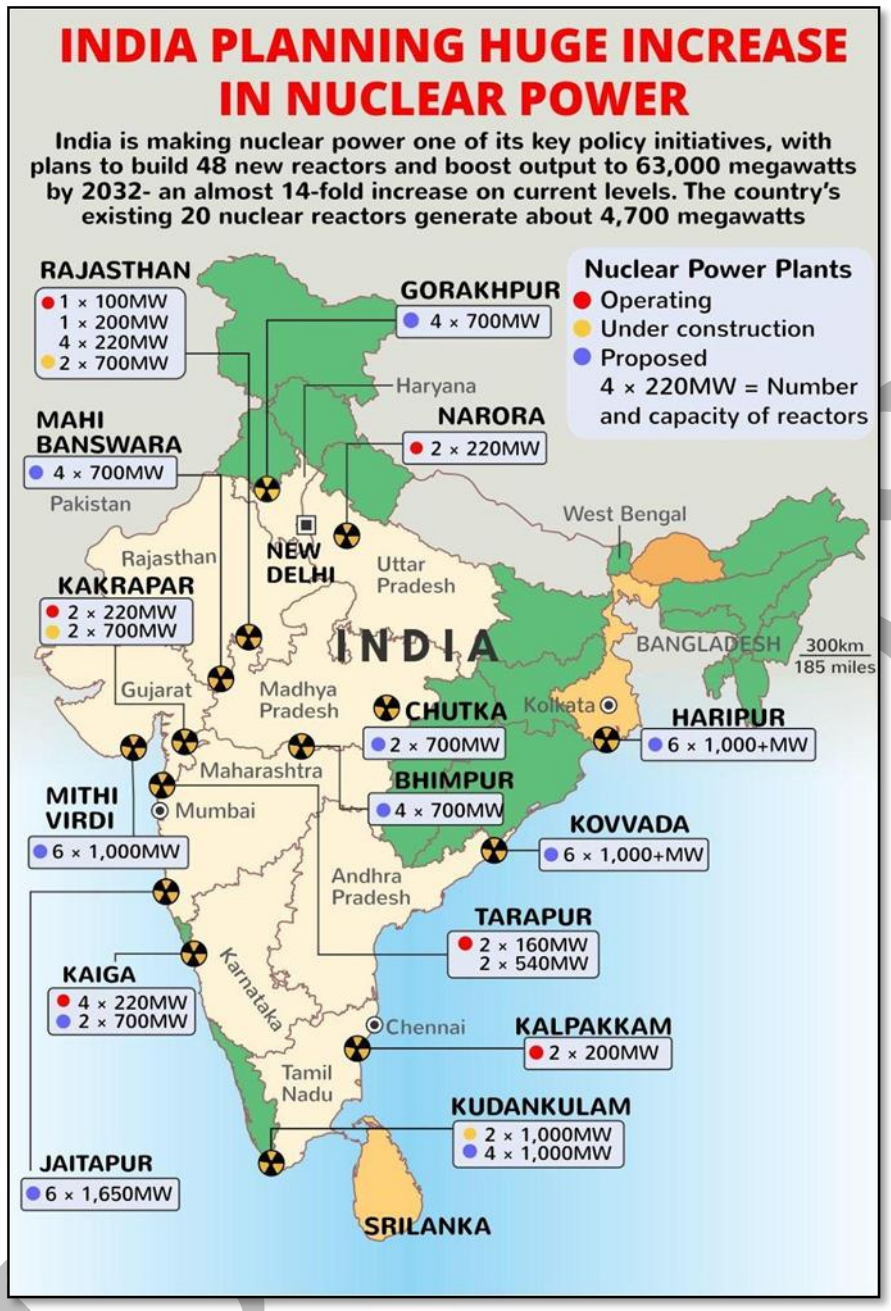

11.5. कोयला

(Coal)

11.5.1 शक्ति नीति

(Shakti Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक कोल लिंकेज नीति को मंजूरी प्रदान की है जिसे **स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांस्पैरेन्टली इन इंडिया (SHAKTI)** नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य ऊर्जा कंपनियों को दीर्घावधि के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करना है।

नीति के प्रावधान:

- राज्य स्वामित्व वाली ऊर्जा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को कोल लिंकेज प्रदान किया जाएगा।
- वे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स: IPPs) जिनके पास विद्युत क्रय समझौते (पावर पर्चेज़ एग्रीमेंट्स: PPAs) हैं, नीलामी में भाग लेंगे और मौजूदा शुल्कों में छूट के लिए बोली लगायेंगे।

- वे IPPs जिनके पास विद्युत क्रय समझौते नहीं हैं, लिंकेज के लिए कोयला कंपनी द्वारा अधिसूचित मूल्य के ऊपर बोली लगाएँगे।

विद्युत क्रय समझौता (पावर पर्चेज़ एग्रीमेंट: PPA)

- PPA, विक्रेता (वह जो विक्रय के उद्देश्य के लिए विद्युत का उत्पादन करता है) और क्रेता के मध्य एक अनुबंध होता है।
- यह दोनों पार्टियों के मध्य विद्युत की बिक्री हेतु वाणिज्यिक शर्तों को परिभाषित करता है, साथ ही इसमें इसका भी उल्लेख होता है कि परियोजना का व्यावसायिक संचालन कब आरंभ होगा।
- सरकार विद्युत खरीद समझौते (PPA) के तहत निर्धारित दायित्वों को वैधानिक रूप से बाध्यकारी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन (SEVA)

- यह विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक ऐप है, जिसे कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह **'डिजिटल इंडिया' पहल** का एक भाग है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता के साथ संबंधों को बढ़ाने के साथ-साथ **कोयला प्रेषण में पारदर्शिता और जवाबदेहिता** सुनिश्चित करना है।
- यह आरंभ में केवल उन कोयला खदानों को कवर करेगा जो विद्युत उत्पादन से जुड़े हैं।
- यह **SEVA डैशबोर्ड** के साथ कार्य करेगा जो कोयले के श्रेणीकरण के साथ-साथ एक दिन, महीने और वर्तमान वार्षिक अपडेट सहित प्रेषित किए जाने वाले कोयले की मात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

11.5.2. कोयले का व्यावसायिक खनन

(Commercial Mining in Coal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों को कोयले के वाणिज्यिक खनन की मंज़ूरी प्रदान की है।

वर्तमान परिदृश्य में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसके सहयोगियों का कोयले के खनन और बिक्री पर एकाधिकार है। यह देश में 80 प्रतिशत से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है।

शेष आपूर्ति एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और निजी उद्यमियों को आवंटित की गई कुछ कैप्टिव (आवंटित) कोयला खानों से होती है।

भारत में कोयला भंडार

- कोयले के भंडार मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित हैं।
- भारतीय कोयला भंडार मुख्य रूप से लिग्नाइट और बिटुमिनस प्रकार के हैं (अन्य दो प्रकार पीट और

VISION IAS

एन्थ्रेसाइट हैं)।
- भारतीय कोयले के साथ निम्नलिखित समस्याएँ हैं-
  - निम्न ऊष्मीय मान
  - राख की उच्च मात्रा
  - भारत में कम कुशल कोयला खदानें

वाणिज्यिक खनन की अनुमति के अपेक्षित लाभ

- **उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा**: यह देश के 2022 तक वार्षिक 1.5 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के विज़न को कुछ हद तक साकार करने में सहायक होगा।
- **आयातों में कमी**: इसके फलस्वरूप आयात व्यय में 30,000 करोड़ रूपए तक की बचत होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत में घरेलू मांग का लगभग 22 प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सस्ती घरेलू आपूर्ति आयात की कीमतों को भी नियंत्रण में रखेगी।
- **विद्युत क्षेत्र को लाभ**: **देश के विद्युत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा** कोयला द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार, इससे **बेहतर ईंधन प्रबंधन** के माध्यम से दबावग्रस्त ऊर्जा संयंत्रों के कायापलट के प्रयास में सहायता प्राप्त होगी।
- **बेहतर दक्षता**: इसके फलस्वरूप कोयला सेक्टर **एकाधिकार वाले क्षेत्रक से प्रतिस्पर्धा** वाले क्षेत्रक में परिवर्तित हो जायगा। इससे निजी और विदेशी कम्पनियों से **निवेश** इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। इस विदेशी निवेश के साथ इसमें **सर्वोत्तम तकनीक** का भी प्रवेश होगा।
- **कोयला धारक राज्यों का विकास**
- **उद्योग समेकन**

11.6. पेट्रोलियम

(Petroleum)

11.6.1. रणनीतिक तेल भंडार

(Strategic Oil Reserves)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सऊदी अरब तथा ओमान को भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
- अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने भारत के पहले रणनीतिक तेल रिजर्व में 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन बैरल तेल एवं तेल उत्पादों की खपत की जाती है। इस मांग का लगभग 80% भाग आयात करना पड़ता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** (IEA) का अनुमान है कि 2020 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश होगा। इसके साथ ही आपूर्ति अवरोधों एवं मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव के जोखिम के प्रति भारत की सुभेद्यता में भी वृद्धि होगी।

भारत में तेल एवं गैस का परिदृश्य

- भारत में विश्व के तेल एवं गैस संसाधनों का 0.5% उपस्थित है और विश्व की जनसंख्या का 15% यहाँ निवास करती है।
- विश्व में भारत तेल का **तीसरा सबसे बड़ा उपभोगकर्ता** देश है।
- जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद भारत **द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का चौथा सबसे बड़ा आयातक** है।
- 2022 तक (2014-15 के स्तर से) 10% तक तेल आयात कम करने के लिए **राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का मसौदा** तैयार गया किया है ।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, रणनीतिक तेल भंडार के वैश्विक मानकों की अनुशंसा यह है कि देश को स्ट्रेटेजिक-कम-बफर स्टॉक प्रयोजनों (आपात स्थिति) के लिए 90 दिन के तेल के आयात के बराबर एक भंडार बनाए रखना चाहिए। ये मानक IEA तथा भारत की **एकीकृत ऊर्जा नीति 2006** द्वारा निर्धारित किये गए हैं।

रणनीतिक तेल भंडारण के विषय में

- यह कच्चे तेल का भंडारण है जो किसी भी बाह्य आपूर्ति अवरोध या आपूर्ति-मांग असंतुलन के आघात के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा।
- कच्चे तेल के भंडारों का निर्माण **भूमिगत चट्टानी गुफाओं** में किया गया है तथा ये भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है तथा इसमें, धरातल पर किए गए भंडारण में वाष्पीकरण के कारण होने वाली तेल की हानि की अपेक्षा कम हानि होती है।
- भंडारण सुविधाओं के निर्माण की देखरेख **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड** (पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में तेल के रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मैंगलोर (कर्नाटक) तथा पड़ूर (केरल) में स्थित हैं।
- साथ ही, तीन अतिरिक्त भंडार परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जो चंदिखोल (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान) एवं राजकोट (गुजरात) में स्थित होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- इसकी स्थापना 1974 में की गयी थी। इसका उद्देश्य तेल आपूर्ति में अवरोधों के प्रति सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में देशों की मदद करना है।
- यह **OECD फ्रेमवर्क के अंतर्गत** एक स्वायत्त निकाय है। इसके सदस्य देशों (**भारत सदस्य नहीं है**) की संख्या 30 है।
- यह **वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक** (WEO) रिपोर्ट का प्रकाशन करती है।

11.6.2 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)

(Hydrocarbons Exploration And Licensing Policy- Help)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने हाल ही में **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति** लॉन्च की। यह नीति **मौजूदा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP)** को प्रतिस्थापित कर देश में तेल एवं गैस संसाधनों के अन्वेषण को प्रशासित करेगी।

नेशनल डेटा रिपॉजिटरी

- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण नीति के साथ सरकार ने भौगोलिक एवं हाइड्रोकार्बन संबंधी जानकारी का डेटाबेस भी आरंभ किया है जो सभी के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगा।
- नेशनल डेटा रिपॉजिटरी, पेट्रोलियम अन्वेषण की संभावनाओं को बढ़ाएगा एवं **गुणवत्तापूर्ण डेटा की उपलब्धता के माध्यम से बोली लगाए जाने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाएगा।**

इस नीति के उद्देश्य

- विनियामक प्रतिबंधों को कम करके भारत को **व्यापार एवं निवेश हेतु अनुकूल** बनाना।
- भारत के वर्तमान तेल उत्पादन को 80 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना कर 2022 तक लगभग 150-155 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- ऐसे **क्षेत्रों की पहचान करना** जहां विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण करना संभव बनाया जा सके।

VISION IAS

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति बनाम नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP vs. NELP)

नीति वर्ग	हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP)	नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (NELP)
हाइड्रोकार्बन के प्रकार	सभी पारंपरिक एवं अपारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती है।	NELP केवल पारंपरिक तेल एवं गैस को कवर करती थी, जबकि कोल बेड मीथेन को कोल बेड मीथेन नीति द्वारा कवर किया जाता था।
लाइसेंस	सभी प्रकार के तेल और गैस के अन्वेषण एवं निष्कर्षण के लिए एक ही लाइसेंस।	पारंपरिक तेल एवं गैस, कोल बेड मीथेन, शेल तेल एवं शेल गैस तथा गैस हाइड्रेट के लिए पृथक लाइसेंस की आवश्यकता होती थी।
राजस्व मॉडल	राजस्व साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार के साथ राजस्व की साझेदारी, बोली लगाने वाले के द्वारा प्रस्तुत अनुपात में की जाएगी।	उत्पादन/लाभ साझेदारी मॉडल जिसके अंतर्गत सरकार लाभ में एक भाग प्राप्त करती थी।
कवरेज	खुली रकबा नीति, जिसके अंतर्गत अन्वेषण कंपनियां अन्वेषण के अंतर्गत सम्मिलित न किए गए किसी प्रखंड के लिए आवेदन कर सकती हैं।	अन्वेषण, सरकार द्वारा खोले गए प्रखंडों तक ही सीमित था।
तेल एवं गैस का मूल्य निर्धारण	कंपनियों को अपना उत्पादन घरेलू रूप से सरकार के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने की स्वतंत्रता है।	कच्चे तेल का मूल्य आयात समता पर आधारित था; गैस का मूल्य सरकार द्वारा नियत किया जाता था।
रॉयल्टी	अन्वेषण हेतु कठिन गहरे जल क्षेत्रों (5 प्रतिशत) एवं अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों (2 प्रतिशत) के लिए रॉयल्टी में छूट एवं उथले जल क्षेत्रों में रॉयल्टी में कमी (10 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत)।	तटीय क्षेत्रों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अपतटीय क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत; कोल बेड मीथेन के लिए 10 प्रतिशत।

VISION IAS

POLICY CATEGORY	HELP	Pre-HELP
Types of hydrocarbon	Covers all conventional and unconventional oil and gas	NELP covered only conventional oil and gas; Coal Bed Methane Policy covered coal bed methane
License	A single license for exploration and extraction of all types of oil and gas	Separate license required for conventional oil and gas, coal bed methane, shale oil and gas, and gas hydrates
Revenue model	Revenue-sharing model under which revenue will be shared with the government in the ratio submitted by bidders	Production/profit-sharing model under which government received a share in the profits
Coverage	Open acreage policy under which exploration companies and can apply to explore any block not under exploration	Exploration was restricted to blocks opened for bidding by the government
Oil and gas pricing	Companies have the freedom to sell their production domestically without government intervention	Crude oil price was based on import parity; gas price was fixed by the government
Royalty	Concessional royalty for deep water (5 percent) and ultra-deep water (2 percent) areas, which are difficult to explore, and reductio of royalty in shallow water (from 10 percent to 7.5 percent)	12.5 percent for the onshore areas and 10 percent for offshore areas; 10 percent for coal bed methane

11.6.3. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र

(Fuel Administered Price Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism: APM) समाप्त कर दिया।

प्रशासित मूल्य तंत्र

- 1970 के दशक के आरम्भ में सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों - कालटेक्स, एस्सो और बर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण करने के बाद APM का सृजन किया गया था।
- कॉस्ट प्लस फ़ॉर्मूले के अंतर्गत प्रशासित मूल्य निर्धारण में, सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कच्चे तेल की खरीद और शोधन के आधार पर तय की जाती हैं।
- पेट्रोलियम उत्पादों के बीच क्रॉस सब्सिडाईज़ेशन प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत अस्तित्व में था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और केरोसिन की कीमतों को सब्सिडी दी जाती थी।
- नरसिम्हा राव सरकार ने प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने का खाका खींचने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में **"आर समिति" ('R' अर्थात रिफार्म या सुधार)** का गठन किया था।

प्रावधान

- 2014 में भारत ने डीजल पर से मूल्य नियंत्रण को हटा लिया था, जबकि पेट्रोल पर मूल्य नियंत्रण 2010 में ही समाप्त कर दिया गया था, जिससे सार्वजनिक कंपनियां बाजार कीमतें वसूलने लगीं। वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियां प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े (दो सप्ताह) के अंत में कीमतों की समीक्षा करती हैं।
- अब से सभी पेट्रोल पंपों पर दैनिक बिक्री कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी होगी।

11.6.4 प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा

(Pradhan Mantri Urja Ganga)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों तक करने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, भारत में कुल 15,000 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आधारभूत संरचना उपलब्ध है और 15,000 किलोमीटर की एक अतिरिक्त पाइपलाइन के द्वारा **नेशनल गैस ग्रिड** को पूर्ण किया जायेगा।
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार हेतु और **कुल ऊर्जा (energy basket) में गैस की हिस्सेदारी को 15%** तक बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा अतिरिक्त 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास की योजना प्रस्तावित की गई है।
- वर्तमान में, प्राकृतिक गैस का नेटवर्क मुख्यतः देश के पश्चिमी, दक्षिण-पूर्वी और उत्तरी भागों को मुख्य गैस स्रोतों से जोड़ता है। हालांकि, देश के पूर्वी भाग को प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ने हेतु, 2655 किलोमीटर की अतिरिक्त पाइपलाइनों को ग्रिड से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह दो चरणों की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे 2016 में प्रारम्भ किया गया था (इसे जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धमरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (JHBDPL)) के रूप में भी जाना जाता है और यह 2655 किलोमीटर की पाइपलाइनों को कवर करती है।
- प्रारंभ में इसे पांच पूर्वी राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन इस योजना को 750 किलोमीटर की पाइपलाइन द्वारा पहले गुवाहाटी और तत्पश्चात सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों तक विस्तारित करने पर कार्य किया जा रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड

- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किया गया है।
- इसका गठन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना, प्रतिस्पर्धी बाजारों को प्रोत्साहित करना तथा अन्य संबद्ध विषयों के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड

सरकार द्वारा इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विकसित किया जा रहा है:

- देश में प्राकृतिक गैस तक पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना और सम्पूर्ण देश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उपलब्ध कराना,
- गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केन्द्रों से जोड़ना, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और
- CNG और PNG की आपूर्ति के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विकास करना।

VISION IAS

11.7. खनिज
(Minerals)

11.7.1. गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए मसौदा टेम्पलेट
(Draft Template for Star Rating of Minor Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **खान मंत्रालय द्वारा गौण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए ड्राफ्ट मूल्यांकन टेम्पलेट का निर्माण किया गया है।**

यह क्या है?

- गौण खनिजों जैसे:- बालू और मिट्टी के लिए स्टार रेटिंग मूल्यांकन टेम्पलेट का निर्माण, प्रमुख खनिजों की स्टार रेटिंग प्रणाली के अनुरूप किया गया है जिसे 2016 में लांच किया गया था।
- इसमें व्यवस्थित एवं संधारणीय खनन, श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, वैधानिक अनुपालन आदि आधारों पर मूल्यांकन किया जाएगा।

- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** के अनुसार **खनिजों** को प्रमुख एवं गौण खनिजों में वर्गीकृत किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार, **गौण खनिज, निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले रेत के अतिरिक्त अन्य साधारण रेत एवं साथ ही साथ सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गौण खनिजों के रूप में अधिसूचित कोई अन्य खनिज हैं।**
- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख खनिजों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं रहा है। इसलिए, **जिस किसी भी खनिज को गौण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसे प्रमुख खनिज माना जाता है।**

प्रमुख खनिजों की स्टार रेटिंग

- प्रमुख खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली **भारतीय खान ब्यूरो (IBM)** के माध्यम से मई 2016 में लागू की गई थी।
- खानों की स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टेम्पलेट की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक **वेब पोर्टल** विकसित किया गया है।
- स्व-प्रमाणीकरण का मूल्यांकन और इसकी पुष्टि भारतीय खान ब्यूरो (IBM) द्वारा की जाती है। खनन पट्टे के कार्य-निष्पादन के आधार पर 1-5 की स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है।
- **स्टार रेटिंग निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:**
  - पर्यावरणीय प्रभाव का शमन करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन।
  - खनन प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए सामाजिक प्रभावों को संबोधित करना।
  - स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदायों की संलग्नता एवं कल्याण कार्यक्रम।
  - खनन के दौरान प्रयुक्त भूमि को पहले से बेहतर बनाने के लिए खदानों को प्रगतिशील उपायों को अपनाते हुए अंतिम रूप से बंद किया जाना।
  - खनन कार्यों और रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अंगीकरण।

VISION IAS

11.7.2. राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा

(Draft National Mineral Policy 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा तैयार किया गया। यह नयी नीति राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करेगी।

पृष्ठभूमि

- 2 अगस्त, 2017 को **सर्वोच्च न्यायालय** ने सरकार को राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की पुनर्समीक्षा करने एवं एक नई खनिज नीति की घोषणा करने का निर्देश दिया।
- संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार **खनिज संसाधनों का प्रबंधन** केंद्र (संघ सूची की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत) एवं राज्य (राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत), दोनों का उतरदायित्व है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- **पारदर्शी तंत्रः** राज्य एजेंसियों के लिए क्षेत्र आरक्षित करते समय पारदर्शिता रखी जाएगी।
- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के विनियमन में **सरकार की भूमिका सुविधाप्रदाता (Facilitator) की होगी।**
- **खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा**
- **समुद्र तटीय रेत खनन को प्रोत्साहित करना।**
- PMKKKY को प्रभावी बनाने के लिए DMF के अंतर्गत कार्यशील योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए **एक नेशनल वेब पोर्टल का निर्माण।**

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008

- यह विनियामक तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत तथा निवेश प्रवाह के अनुरूप बनाकर आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास करती है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो तथा खनन व भू-विज्ञान के राज्य निदेशालयों की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- एक सतत विकास फ्रेमवर्क को विकसित एवं कार्यान्वित करना ताकि स्थानिक आबादी के अधिकार बाधित न हों। इसके साथ ही एक धारणीय पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना।
- असंधारणीय खनन को हतोत्साहित करना तथा शून्य-अपव्यय खनन को बढ़ावा देना।
- लघु निक्षेपों (डिपॉजिट्स) के खनन के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना।

नेशनल सस्टेनेबल डेवेलपमेंट फ्रेमवर्क द्वारा केंद्र सरकार को खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से संबंधी चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए संधारणीय खनन के लिए एक सांविधिक तंत्र की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है।

- नेशनल सस्टेनेबल डेवेलपमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषय भी सम्मिलित हैं:
  - संधारणीय और वैज्ञानिक खनन को प्रभावित करने वाले कारकों और मापदंडों का विवरण;
  - विस्तृत मानदंड जिसके बाहर खनन को पर्याप्त रूप से संधारणीय या वैज्ञानिक रूप से प्रबंधनीय नहीं माना जा सकता है;
  - खनन के संपूर्ण जीवन चक्र के संदर्भ में खनन कार्यों की संधारणीयता में वृद्धि करने हेतु प्रणालीगत उपायों को अपनाने या अन्तर्निहित करने की आवश्यकता।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

- यह खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित देश के सभी जिलों में **जिला खनिज फाउंडेशन** (DMF) की स्थापना एवं खनन के दुष्परिणामों को सहन करने वाले जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा को

VISION IAS

अधिदेशित करता है। खननकर्ताओं द्वारा जनता को देय कुल रॉयल्टी का एक हिस्सा DMF में देना अनिवार्य है।

- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना (NMET):** यह देश में क्षेत्रीय एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी निकाय है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) द्वारा प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना।
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में राज्य एवं केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं के पूरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- खनन संबंधित कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी क्षेत्र PMKKKY के अंतर्गत सम्मिलित होंगे।

12. रिपोर्ट/ इंडेक्स

(REPORTS/ INDEXES)

12.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट

(Ease Of Doing Business Reports)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, **विश्व बैंक** द्वारा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2018 प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट में 190 देशों में भारत का 100 वां स्थान था।
- हाल ही में नीति आयोग ने व्यापार के मौजूदा नियमों और परिस्थितियों का कंपनियों के दृष्टिकोण से आकलन करने हेतु ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जारी की है।

Fast Mover

India's Performance in World Bank's ease of doing business' report

Indicator (Ranking)	2017	2018
Starting a Business	155	156
Dealing with Construction Permits	185	181
Getting Electricity	26	29
Registering Property	138	154
Getting Credit	44	29
Protecting Minority Investors	13	04
Paying Taxes	172	119
Trading across Borders	143	146
Enforcing Contracts	172	164
Resolving Insolvency	136	103
Overall Ranking	130	100

WORLD BANK

नीति आयोग की रिपोर्ट किस प्रकार से विश्व बैंक के 'डूइंग बिज़नेस' सर्वेक्षण से भिन्न है ;

- विश्व बैंक सर्वेक्षण, दिल्ली और मुंबई पर केंद्रित है जबकि नीति आयोग के सर्वेक्षण में लगभग भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- विश्व बैंक के सर्वेक्षण में 190 देशों का मानकीकृत सर्वेक्षण किया गया है जबकि नीति आयोग का सर्वेक्षण केवल भारत के लिए एक गैर-मानकीकृत सर्वेक्षण है।
- वर्तमान सर्वेक्षण गुणात्मक है। यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में राज्यों को रैंक नहीं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राज्यों को उनके कारोबारी माहौल की जानकारी प्रदान करना है।
- विश्व बैंक सर्वेक्षण राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा संचालित 10 मापदंडों को शामिल करता है जबकि यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित मुद्दों से संबंधित है।

विश्व बैंक से संबंधित अन्य रिपोर्ट

- विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स 2018 जारी किया है। यह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE-emerging market and developing economies) पर विशेष ध्यान देते हुए वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करता है।
- विश्व बैंक द्वारा **ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट 2017** भी प्रकाशित की गयी है। यह देश में निवेश के फैसलों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों (घरेलू बाजार का आकार, व्यापक आर्थिक स्थिरता और अनुकूल विनिमय दर, श्रम बल प्रतिभा और कौशल, भौतिक अवसंरचना आदि) को प्रदर्शित करती है।
- विश्व बैंक द्वारा **ग्लोबल फाइनेंसियल डेवलपमेंट रिपोर्ट** भी जारी की गयी।

12.2. राज्य निवेश सम्भाव्यता सूचकांक

(State Investment Potential Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आर्थिक थिंक टैंक NCAER की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश परिवेश के सन्दर्भ में, गुजरात ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में स्वयं को शीर्ष स्थान पर बनाये रखा है।

NCAER और सूचकांक के सम्बन्ध में:

- 1956 में स्थापित नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER), भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति अनुसन्धान संस्थान है।
- यह छह स्तम्भों– श्रम, अवसंरचना, आर्थिक परिवेश, गवर्नेंस व राजनीतिक स्थिरता, लोगों की राय (परसेप्शन) तथा भूमि एवं 51 उप-संकेतकों पर आधारित है।

12.3. विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट/ सूचकांक

(World Economic Forum Reports/ Index)

12.3.1. WEF का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(WEF Global Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **विश्व आर्थिक मंच** ने **वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (GCI)** जारी किया।

INDIA'S PERFORMANCE OVERVIEW

India remains the most competitive country in South Asia, appearing at No. 40 in the ranking of 137 countries by the World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2017-18. This has been due to the country investing in infrastructure, higher education and training, backed by its state of technological readiness.

	Rank/137 (2017-18)	Score (1-7)
GLOBAL COMPETITIVE INDEX	**40**	**4.6**
Institutions	39	4.4
Infrastructure	66	4.2
Macroeconomic environment	80	4.5
Health and primary education	91	5.5
Higher education and training	75	4.3
Goods market efficiency	56	4.5
Labour market efficiency	75	4.1
Financial market development	42	4.4
Technological readiness	107	3.1
Market size	3	6.4
Business sophistication	39	4.5
Innovation	29	4.1

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)

- यह एक ग़ैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधी कार्यक्रमों को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीति, शिक्षा और समाज के अन्य नेतृत्वकर्ताओं को जोड़कर वैश्विक स्थिति में सुधार लाना है।
- हाल ही में, इसने **ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स** जारी किया है, जिसमें भारत को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है।

12.3.2. समावेशी विकास सूचकांक

(Inclusive Development Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक (Inclusive Development Index) में 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 62वां स्थान है।

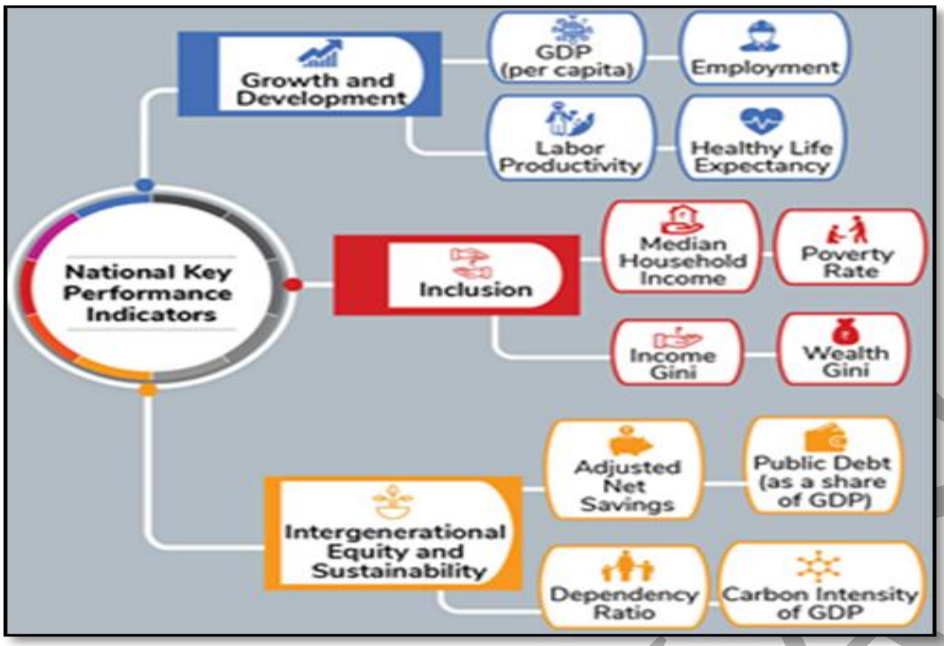

समावेशी विकास सूचकांक (IDI) 2018 के सम्बन्ध में

- 2018 के सूचकांक में GDP के अतिरिक्त आर्थिक प्रगति के अन्य ग्यारह आयामों पर 103 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति को मापा गया है।
- 2018 का सूचकांक "जीवन स्तर, पर्यावरणीय संधारणीयता और भविष्य में ऋणग्रस्तता से भावी पीढ़ियों का संरक्षण" पर भी विचार करता है।
- **लिथुआनिया** को विश्व की सर्वाधिक समावेशी उभरती अर्थव्यवस्था का स्थान दिया गया है, जबकि **नॉर्वे** उन्नत अर्थव्यवस्था में से सबसे ऊपर है।
- **BRICS देशों का प्रदर्शन** मिला-जुला है। इसमें चीन (26) का स्थान ब्राज़ील (37), भारत (62) और दक्षिण अफ्रीका (69) से आगे है जबकि रूस को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है।

असमानता से संबंधित तथ्य

- ऑक्सफेम की **'रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ'** नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% सर्वाधिक अमीर लोगों ने 2017 में 73% धन अर्जित किया जबकि निम्न संपत्ति वाले 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में केवल 1% की वृद्धि देखी गयी।
- **गिनी गुणांक** धनी-निर्धन के मध्य आय या धन के विभाजन को मापने के लिए एक लोकप्रिय सांख्यिकीय उपाय है। यह देशों या राज्यों के भीतर वितरण की असमानता (आय या सम्पत्ति) का मापन करता है। इसका मान 0 से 1 के मध्य परिवर्तित होता रहता है। जहाँ 0 पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता को प्रकट करता है।

12.4. वर्ल्ड इकॉनमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स

(World Economic Situation and Prospects)

- यह **यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनमिक एंड सोशल अफेयर्स (UN/DESA-United Nations Department of Economic and Social Affairs), यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD-United Nations Conference on Trade and Development)** और संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों की संयुक्त रिपोर्ट है।

यूनाइटेड नेशंस कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD)

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अंग है तथा व्यापार, वित्त, निवेश और विकास संबंधी मुद्दों से संबंधित मुख्य निकाय है।
- हाल ही में इसने **वर्ल्ड इंवेस्टमेंट रिपोर्ट, 2017** (भारत 9 वें स्थान पर) और **स्टेट ऑफ़ कमोडिटी डिपेंडेंस रिपोर्ट, 2016** जारी की है।

VISION IAS

12.5. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2018

(World Employment And Social Outlook 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स - 2018** पर रिपोर्ट जारी की।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- **इसकी स्थापना 1919 में की गई** थी। यह संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध प्रथम विशेषीकृत एजेंसी बना।
- इसमें भारत सहित कुल 187 सदस्य सम्मिलित हैं।
- यह **त्रिपक्षीय शासी संरचना वाला** संयुक्त राष्ट्र का **एकमात्र** ऐसा संगठन है जो श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह श्रम मानकों को निर्धारित करता है तथा सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देने हेतु नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी योजनाओं का निर्माण करता है।

रिपोर्ट में वैश्विक रुझान

- **वैश्विक बेरोजगारी दर**– 2018 में इसके 5.5% पर (2017 में 5.6%) आने की संभावना है।
- **वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट:** रोजगार के सुभेद्य प्रारूपों (स्वनियोजित श्रमिक एवं पारिवारिक श्रमिकों के सहयोग से संचालित) में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
- **सेवा क्षेत्रक में संरचनात्मक परिवर्तन:** सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि हो रही है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार दर में निरंतर गिरावट हो रही है, जो **"अपरिपक्व वि-औद्योगीकरण"** के जारी रुझान की पुष्टि करता है।

12.6 लिवेबिलिटी इंडेक्स

(Liveability Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व बैंक की फंडिंग के माध्यम से **116** शहरों का एक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करने का निर्णय लिया है।

- **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)** द्वारा सम्पूर्ण विश्व के शहरों के लिए एक **वार्षिक लिवेबिलिटी इंडेक्स** जारी किया जाता है।
- वर्तमान में 140 शहरों के लिए जारी EIU की **'ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग'** सूची में केवल दो भारतीय शहर - **मुंबई** और **दिल्ली** शामिल हैं।
- लगातार सातवें वर्ष मेलबर्न को विश्व के सबसे श्रेष्ठ 'रहने योग्य (liveable)' शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसके बाद क्रमशः विएना और वैंकूवर का स्थान है।

सूचकांक से संबंधित अन्य तथ्य

- यह गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने की क्षमता के आधार पर 116 शहरों की रैंकिंग जारी करेगा। इन 116 शहरों में 99 स्मार्ट शहर शामिल हैं, जिनकी पूर्व में पहचान की गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें राज्यों की राजधानियाँ और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाएगा।
- शहर की लिवेबिलिटी (रहने योग्य क्षमता) का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पहलुओं के मापन हेतु यह सूचकांक, **79 मापदंडों** का प्रयोग करेगा, जिसमें 57 कोर संकेतकों और 22 सहायक संकेतक होंगे।
- सूचकांक में 4 पहलुओं को भिन्न-भिन्न भारांश (weightage) दिया गया है- **संस्थागत** (25%), **सामाजिक** (25%), **आर्थिक** (5%) और **भौतिक** (45%)।
- IPSOS रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और एथेना इन्फोनॉमिक्स (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित **शहरी विकास परियोजना के लिए क्षमता निर्माण** के तहत आंकलन हेतु चुना गया है।

VISION IAS

12.7. वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक

(World Economic Outlook)

सुर्खियों में क्यों?

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (WEO) के अपने जनवरी के अपडेट में वित्त वर्ष 2019 में भारत की विकास दर 7.4% रहने और वित्त वर्ष 2020 में इसके बढ़कर 7.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

विवरण

- WEO के पूर्वानुमानों में विश्व के 180 से अधिक देशों के जीडीपी, मुद्रास्फीति, वित्तीय संतुलन और चालू खाते जैसे कई प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक शामिल होते हैं।
- यह प्रमुख आर्थिक नीतिगत मुद्दों से सम्बंधित कार्य भी करता है।
- भारत, वित्त वर्ष 2019 में चीन को प्रतिस्थापित कर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग पुनः प्राप्त कर लेगा। विमुद्रीकरण और जीएसटी के लागू होने से उत्पन्न अव्यवस्था के कारण भारत इस वर्ष इस दिशा में चीन से पीछे हो गया।

12.8. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वेक्षण

(Consumer Confidence Index Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में दिसंबर 2017 दौर का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे (CCS) जारी किया गया।

इस सर्वेक्षण के बारे में

- RBI जून 2010 से CCS को त्रैमासिक आधार पर आयोजित कर रहा है।
- CCS **करेंट सिचुएशन इंडेक्स** (Current Situation Index-CSI) और **फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स** (Future Expectation Index -FEI) को प्रदर्शित करता है।
- कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का 100 से अधिक का स्तर आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है और 100 से नीचे का स्तर निराशावादी दृष्टिकोण।
- भारत का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (वर्तमान स्थिति) 96.9 है।
- कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स इन इंडिया 2005 में स्थापित **नीलसन ग्लोबल सर्वे ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड स्पेन्डिंग इंटेंशन** का हिस्सा है।

12.9. अन्य रिपोर्ट

(Other Reports)

- **क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट** द्वारा **ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट** 2017 जारी की गयी।
- ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स (GTCI) को एडीको ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशंस के सहयोग से INSEAD द्वारा जारी किया गया है। यह इंडेक्स **प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उनकी क्षमता में वृद्धि करने और उनको बनाए रखने** के आधार पर 119 देशों और 90 शहरों का मूल्यांकन करता है और उनकी रैंक जारी करता है। इसमें भारत 81 वें स्थान पर था।
- **ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स,** 2017 (लंदन आधारित कंसल्टेंसी ए.टी.कर्नी) ने 'द एज ऑफ फोकस' शीर्षक के अंतर्गत खुदरा क्षेत्र में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में 30 विकासशील देशों की सूची में भारत को प्रथम और चीन को द्वितीय स्थान पर रखा है।
- विश्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। 2014 तक भारत विद्युत् प्राप्ति तक पहुँच स्थापित करने में सबसे पीछे था।
- **पोर्ट लॉजिस्टिक्स: भारत में मुद्दे और चुनौतियां** रिपोर्ट को नीति आयोग की ओर से सलाहकार फर्म डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (DNB) द्वारा जारी किया गया है।

VISION IAS

13. विविध

(MISCELLANEOUS)

13.1. उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018

(Consumer Protection Bill 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **हाल ही में** लोकसभा में **उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2018** प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि

- नया कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA,) 1986 को **प्रतिस्थापित** करेगा। साथ ही यह उपभोक्ता संरक्षण पर **संयुक्त राष्ट्र के संशोधित दिशा-निर्देशों** के अनुरूप भी होगा।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा प्रावधान किया गया है कि **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद** निम्नलिखित छः अधिकारों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी:
  - (i) **सुरक्षा का अधिकार**
  - (ii) **सूचना का अधिकार**
  - (iii) **चयन का अधिकार**
  - (iv) **सुनवाई का अधिकार**
  - (v) **शिकायत निवारण का अधिकार**
  - (vi) **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।**

शिकायत तंत्र: त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, जैसे- ज़िला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय विनियामक**- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकेगा।
- **उत्पाद उत्तरदायित्व कार्रवाई (Product Liability Action)**– यह उपभोक्ता को खराब उत्पाद या सेवा में कमी के कारण होने वाली क्षति के लिए किसी उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता के विरुद्ध उत्पाद उत्तरदायित्व कार्रवाई के प्रावधानों पर विचार करता है।
- ***ई-कॉमर्स*** और प्रत्यक्ष विक्रय में **अनुचित व्यापार प्रथाओं** को रोकने के लिए, यह विधेयक केंद्र सरकार को उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण हेतु कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक "ई-कॉमर्स" की एक विशिष्ट परिभाषा भी प्रस्तुत करता है।
- **यह नकली या भ्रामक विज्ञापनों** (सेलेब्रिटी द्वारा भी), मिलावटी और नकली उत्पादों को बेचने या वितरित करने अथवा उनके आयात के लिए अर्थदंड का प्रावधान करता है।
- उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना द्वारा **वैकल्पिक विवाद तंत्र** का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही यह मध्यस्थता की प्रक्रिया को भी निर्धारित करेगा।

13.2. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

(Bureau of Indian Standards Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 लागू किया गया है, जिसने पूर्व में विद्यमान भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का स्थान लिया है।

इको-मार्क

- पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को सरलता से पहचानने के लिए यह स्वैच्छिक लेबलिंग योजना है।
- उत्पादों को कठोर पर्यावरणीय अपेक्षाओं के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा करना पड़ता है।
- यह योजना **पर्यावरण और वन मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

VISION IAS

द्वारा प्रशासित किया जाता है। ISI मार्क क्वालिटी लेबल को भी BIS द्वारा (स्वैच्छिक रूप से) प्रशासित किया जाता है, जो किसी भी उत्पाद के लिए इको-मार्क लेबल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएँ

- यह भारतीय मानक ब्यूरो को **भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय** के रूप में स्थापित करता है। यह **राष्ट्रीय मानक निकाय** वस्तुओं, सेवाओं, सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता के निश्चित मानकों के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रमाणन की दिशा में कार्य करेगा।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को कुछ निश्चित वस्तुओं, सामग्रियों, आदि को अधिसूचित करने की अनुमति देता है, जिन्हें सार्वजनिक हित, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मानक चिन्ह प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अन्य उपाय:

- मानक के अनुरूप होने के संबंध में स्व-घोषणा (self-declaration) सहित विभिन्न प्रकार की सरलीकृत अनुरूपता मूल्यांकन पद्धतियों की अनुमति प्रदान की गई है।
- बहुमूल्य धातु के सामान की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने हेतु भी प्रावधान किया गया है।
- भारतीय मानक चिह्न के अनुचित उपयोग के मामलों में दंड संबंधी प्रावधान हैं।

13.3. भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC)

(INDIAN LABOUR CONFERENCE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 47वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) का आयोजन 26-27 फरवरी, 2018 को होना था परन्तु सरकार द्वारा इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

ILC के बारे में विवरण

- भारतीय श्रम सम्मेलन को देश की श्रम संसद के रूप में भी जाना जाता है।
- यह देश के श्रमिक वर्ग से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की शीर्ष स्तरीय त्रिपक्षीय (ट्रेड यूनियन, नियोक्ता और सरकार) परामर्शदात्री समिति है।
- सभी 12 केंद्रीय व्यापार संघ संगठन, नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठन, सभी राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश तथा कार्यसूची से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग ILC के सदस्य हैं।
- 1942 में पहली ILC (जिसे त्रिपक्षीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहा गया था) का आयोजन किया गया था तथा द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के प्रयासों को सहायता देने के लिए श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का विचार किया गया था।

13.4. सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं

(Public Utility Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने **एल्यूमिना और एल्युमिनियम के विनिर्माण और 'बॉक्साइट के खनन'** की सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (PUS) दर्जे की अवधि को 6 माह तक विस्तृत कर दिया है।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (PUS)

- इसे **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के तहत हड़तालों और तालाबंदी **से बचाव** हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
- PUS को व्यापक रूप से जन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए परिवहन (सड़क परिवहन के अतिरिक्त), रक्षा प्रतिष्ठान, कॉटन सर्विसेस, विभिन्न खनन और खनिज उद्योग इत्यादि।
- यदि किसी सेवा को PUS के तहत सूचीबद्ध किया गया है, तो कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा एक दूसरे को क्रमशः हड़ताल और तालाबंदी के मामले में 6 हफ्ते का नोटिस देना अनिवार्य होगा।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, किसी भी सेवा/**उद्योग पर PUS की घोषणा अवधि पहले चरण में 6 माह से अधिक नहीं** होगी। हालांकि, इसे समय-समय पर किसी भी ऐसी अवधि के लिए, जो 6 माह से अधिक नहीं हो तक बढ़ाया जा सकता।

13.5. नेशनल CSR डेटा पोर्टल और कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल

(National CSR Data Portal & Corporate Data Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नेशनल CSR डेटा पोर्टल और कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल आरंभ किया गया है।

विवरण

- **नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी डेटा पोर्टल,** MCA 21 रजिस्ट्री (कंपनी कानून के तहत कानूनी आवश्यकताओं को लागू करने और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन से सम्बंधित) में दर्ज उपयुक्त कंपनियों द्वारा उनके वित्तीय वक्तव्यों में की गयी CSR गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा।
- कॉरपोरेट डेटा पोर्टल का उद्देश्य कंपनियों की सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी को आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य स्वरूप में उपलब्ध कराना है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- यह एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियां अपने व्यापारिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समेकन और इनके हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करती हैं।
- भारत में कंपनी अधिनिय,म 2013 की धारा 135 के तहत CSR को प्रशासित और अधिनियमित किया जाता है।

13.6. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर (IAIS)

(International Association of Insurance Supervisor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (IAIS) बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (MMoU) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में IRDAI के प्रवेश को अपनी मंजूरी दे दी है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)

- IRDAI एक स्वायत्त, सांविधिक एजेंसी है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों का विनियमन करती है और उन्हें बढ़ावा देती है।
- इसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा गठित किया गया था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर (IAIS)

- IAIS बीमा पर्यवेक्षकों के मध्य सहयोग और सूचना विनिमय के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है।
- IAIS बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (MMoU) सूचना आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से संबंधित सूचना मांगों की निगरानी प्रक्रिया में भी सहायता करेगा।

13.7. दर्पण परियोजना

(Darpan Project)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा दर्पण परियोजना (**DARPAN : DIGITAL ADVANCEMENT OF RURAL POST OFFICE FOR A NEW INDIA**) को आरम्भ किया गया है।

VISION IAS

विवरण

- दर्पण एक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधुनिकीकरण परियोजना है। यह खाता धारकों को कोर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती है।
- यह परियोजना प्रत्येक शाखा पोस्टमास्टर (BPM) को कम ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखती है।

13.8. भारतीय निर्देशक द्रव्य

(Bhartiya Nirdeshak Dravya)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत ने भारतीय निर्देशक द्रव्य (BND4201) को विकसित किया है। यह एक 20 ग्राम वजनी गोल्ड बार है। इसका उपयोग भारत में बेचे जाने वाले सोने की शुद्धता की जाँच करने के लिए किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में, भारत सरकार टकसाल (IGM) ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) के साथ **पहला स्वर्ण मानक** विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
- इस गोल्ड बार का निर्माण IGM द्वारा किया जाएगा जबकि इसके तकनीकी पहलुओं का मापन BARC द्वारा किया जाएगा और बार की शुद्धता को प्रमाणित करना NPL की जिम्मेदारी होगी।
- NPL भारत में मानक इकाइयों जैसे- किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर; की रिपॉजिटरी है तथा यह कैलीब्रेशन (calibration) संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

13.9. ढोला सदिया पुल

(Dhola Sadiya Bridge)

- प्रधान मंत्री ने असम में लोहित नदी पर निर्मित देश के सबसे लम्बे पुल का उद्घाटन किया। जिसकी लम्बाई 9.5 किमी. है।
- इस पुल को प्रसिद्ध गीतकार-गायक भूपेन हजारिका के नाम पर भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है।

13.10. अजी बांध का उद्घाटन

(Inauguration Of AJI Dam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने SAUNI योजना के अंतर्गत राजकोट के निकट अजी बांध का उद्घाटन किया है।

SAUNI योजना के संबंध में

- SAUNI का पूरा नाम 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन' है।
- SAUNI योजना के अंतर्गत दक्षिणी गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से अधिप्रवाहित (ओवरफ्लो) होने वाले बाढ़ के पानी का मार्ग परिवर्तित कर शुष्क सौराष्ट्र क्षेत्र के 115 बड़े बांधों को भरने की परिकल्पना की गई है।

13.11. थिंक 20 टास्क फोर्स

(Think 20 Task Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जर्मनी ने हाल ही में पहली बार **G-20 "डिजिटल मंत्रियों"** की बैठक बुलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप T20 टास्क फोर्स **(थिंक 20 टास्क फोर्स)** की स्थापना की गई।

VISION IAS

T20 टास्क फोर्स के बारे में:

- इसमें थिंक टैंक और अकादमिक **(जैसे- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया)** सम्मिलित हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारंपरिक क्षेत्रों के "डिजिटलकरण" को प्रबंधित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।
- यह इंटरनेट के माध्यम से लेन-देन करने वाले व्यवसायों, सरकारों और उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक संचालन (operation) के नियमों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
- यह **वहनीय और समावेशी साइबर सुरक्षा** पर भी ध्यान केंद्रित करेगा

13.12. अनूगा

(ANUGA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ANUGA 2017 में सह-भागीदार देश था। अनूगा फूड फेयर का आयोजन **कोलोन, जर्मनी** में हुआ।

ANUGA खाद्य उद्योग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच है।

Allgemeine Nahrungs Und Genußmittel Ausstellung (जनरल फूड एंड नॉन एसेंशियल प्रोवीजन एक्सिबिशन) खाद्य और पेय पदार्थ व्यापार से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यापार मेला है।

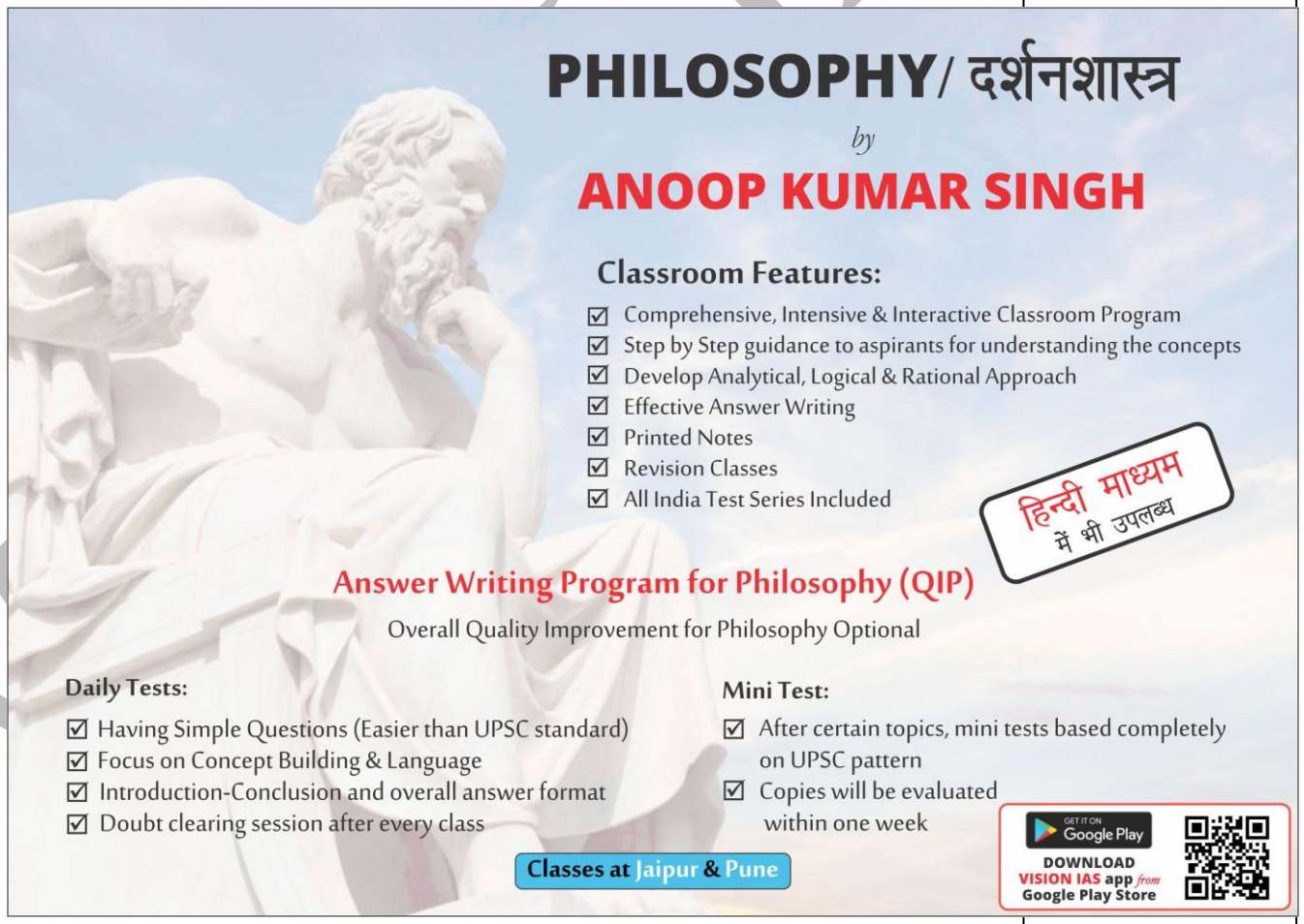

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.